शून्य काल में आदिवासी

संकलन–संपादन

अश्विनी कुमार पंकज

आदिवासी अखिल भारतीय आंदोलन हो गया है।
इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आदिम, जंगली, पिछड़ा,
मूलवासी, अनार्य आदि-हिंदू और कोलों के लिए 'आदिवासी'
शब्द की वैश्विक स्वीकारोक्ति है।

जयपाल सिंह मुंडा
आदिवासी महासभा रिपोर्ट, 15 मार्च 1948

शून्य काल में आदिवासी

आभार

भारत सरकार
संयुक्त राष्ट्र संघ
'देशज कौन? आदिवासी कौन?'
और अनुवादकों के प्रति

शून्य काल में आदिवासी

संकलन-संपादन

अश्विनी कुमार पंकज

प्यारा केरकेट्टा फाउण्डेशन
राँची (झारखण्ड)

इस पुस्तक में शामिल
आलेखों का उपयोग बगैर प्रकाशक/संपादक
की अनुमति के किया जा सकता है.
हां, स्रोत का उल्लेख करेंगे तो
आप संपादक के श्रम को प्रोत्साहित करेंगे.

प्रकाशक:
प्यारा केरकेट्टा फाउण्डेशन, चेशायर होम रोड, बरियातु, राँची-834009,
दूरभाष : 9234301671, ई-मेल : pkfranchi@gmail.com,
वेब पता : www.kharia.in प्रथम संस्करण : सितंबर 2017
टाईपसेटिंग/आवरण : बिर बुरु ओम्पाय मीडिया 9234301671

SHUNYA KAL MEN ADIVASI
(Compiled and Edited by **Ashwini Kr. Pankaj**)

ISBN : 978-93-81056-71-4

कतार

देशज और आदिवासी लोगों का भारतीय महासंघ
(Indian confederation of Indigenous and Tribal Peoples - ICITP)
के संस्थापक अध्यक्ष

डॉ. रामदयाल मुंडा

UNO के न्यूयार्क में आयोजित
Permanent Forum on Indigenous Issues के
Seventh Session, April 21 - May 2, 2008 में

इस पुस्तक में 'इंडीजिनस' का अर्थ
भारतीय संदर्भ में 'आदिवासी'
और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में 'देशज'
स्वीकार किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासी अधिकार घोषणा
के दशक वर्ष (2007-2017) पर जारी 'लोगो'

शून्य काल में आदिवासी

अश्विनी कुमार पंकज

दुनिया के अधिकांश राष्ट्र 9 अगस्त को अपने यहां सरकारी तौर पर 'आदिवासी दिवस' का आयोजन करते हैं। आदिवासी दिवस का आयोजन वास्तव में उस अंतरराष्ट्रीय संकल्प का समर्थन है जो इंटरनेशल लेबर ऑर्गनाइजेशन (आईएलओ) और संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) द्वारा लिया गया है। परंतु संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। यहां 'अनुसूचित जनजाति' रहते हैं, जिनकी विशिष्ट भाषा-संस्कृति, धार्मिक विश्वास और परंपराएं हैं। गांधी जी ने भी कहा है कि ये सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अविकसित पिछड़े हुए हिंदू हैं। यही नहीं, भारत सरकार के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बार-बार दोहराया है कि, 'भारत की अनुसूचित जनजातियां संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित आदिवासी या आदिवासी (इंडीजिनस) लोग नहीं हैं, बल्कि भारत के सभी लोग आदिवासी हैं।' भारत में कोई आदिवासी नहीं रहता।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जेनेवा में आयोजित आदिवासी लोगों के कार्यदल के सम्मुख भारतीय शिष्टमंडल की ओर से बयान देते हुए जयंत प्रसाद ने कहा था, 'अध्यक्ष महोदया, जब मेरे पास यह मंच है तो मैं आदिवासी आदिवासी लोगों की परिषद की ओर से प्रो. ए. के. किस्कू व डॉ. रामदयाल मुंडा (रांची विश्वविद्यालय के कुलपति) द्वारा कल शाम दिए गए बयान पर टिप्पणी करना चाहूंगा। कार्यदल में परिषद का प्रतिनिधित्व इस वर्ष भारत के तीन गणमान्य सदस्य कर रहे हैं, जिनमें एक संसद सदस्य भी शामिल हैं। परिषद द्वारा इस पर जोर दिया गया है कि ऐतिहासिक, मानवशास्त्रीय व सामाजिक दृष्टिकोण से भारत के 6 करोड़ आदिवासी लोगों की विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सीमाई पहचान है। इसके अलावा, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए सामान्यतया उपयोग में आने वाले आदिवासी शब्द को आदिवासी लोगों के समतुल्य रखा गया है। ...मैं रिकार्ड के लिए केवल इतना कहना चाहूंगा कि हमारे शिष्टमंडल की

समझ से आदिवासी जनसंख्या की शब्दावली को भारत के आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। ... भारत सरकार भी, भारत के अंदर किसी भी समूह के लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार की मान्यता नहीं देती।'

हालांकि इससे पहले 1985 में भी, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यदल की बैठक में शरद कुलकर्णी ने यह प्रस्ताव रखा था कि कार्यदल की परिभाषा के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों को आदिवासी जनसंख्याओं की श्रेणियों के अंतर्गत लाया जा सकता है। लेकिन उस समय भी भारत सरकार के प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव से इनकार किया था। 1987 की बैठक में, समर ब्रह्म चौधरी, जो कि उस समय एक संसद सदस्य थे, डॉ. निर्मल मिंज और प्रोफेसर किस्कू ने एक बार फिर अपील की थी की कि अनुसूचित जनजातियों को आदिवासी लोगों में शामिल किया जाए। इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया कि 1935 के भारत सरकार के नियम में इन जनजातियों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में इन जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। पर भारतीय शिष्टमंडल की ओर से जयंत प्रसाद ने इस दलील का प्रतिवाद किया। उन्होंने प्रख्यात समाजशास्त्री एंद्रे बेटेल का उद्धरण देकर बताया कि अधिकांश आदिवासी समूह, भारत के व्यापक समाज से भिनन अंशों तक एकरूपता दिखाते हैं। भारत में, कोई भी आदिवासी जाति, स्वतंत्र समाज के रूप में मुश्किल से ही अस्तित्व रखती है।

जाहिर है जब देश का शासन विश्व समुदाय के सामने अपनी भूमि के सबसे पुराने बाशिंदों की उपस्थिति से इनकार करता हो, कोई भी आसानी से समझ सकता है कि स्वातंत्रोतर भारत में आदिवासी अधिकारों की वर्तमान स्थिति कैसी हो सकती है। साथ ही यह भी विचारणीय है कि वह कौन-सा संवैधानिक आधार है जिसके तहत सरकार अपने यहां आदिवासियों के होने से इनकार करती है।

वर्तमान 16वीं लोकसभा में हुई बहस का उल्लेख इस संदर्भ में प्रासंगिक होगा, जो बताता है कि आदिवासियों के प्रति हमारी संसद और सरकार कितनी संवेदनशील है। पिछले साल 9 अगस्त को तेलंगाना राष्ट्र समिति के महबूबाबाद से सांसद ए. सीताराम नाइके ने लोकसभा में पूछा था, 'संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों के अनुसार यह सरकार राज्य और राष्ट्रीय उत्सव

के रूप में आदिवासी दिवस को क्यों नहीं आयोजित कर रही है? विश्वविद्यालयों और जनजातीय कल्याण विभाग को भी आदिवासी दिवस मनाने का आदेश क्यों नहीं दिये जा रहे हैं?' अलीपुर द्वार, पश्चिम बंगाल के सांसद श्री दशरथ तिर्की ने कहा, 'सर्वोच्च न्यायालय ने देश के आदिवासियों को देश का प्रथम निवासी माना है। ...मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आदिवासियों की उन्नति के लिए आप क्या-क्या कदम उठाएंगे?' वहीं, राजमहल, झारखंड के सांसद विजय कुमार हाँसदाक की राय थी, 'आदिवासियों का धर्म अलग हो सकता है, पर आदिवासियों की जाति आदिवासी ही होती है। लेकिन, जब जनगणना में उनकी गणना ठीक ढंग से नहीं की गयी है। इसलिए इनका पॉपुलेशन कैलकुलेशन उनकी जाति के आधार पर हो और उसे ठीक ढंग से पेश किया जाए।'

इन सबके जवाब में माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा, 'बस हो गया। बधाई दे दीजिए और कल्पना कीजिए कि उनकी उन्नति हो जाए।'

दरअसल द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी अधिकारों का सवाल केन्द्र में आ चुका था। प्रायः सभी देश आदिवासी समुदायों के संघर्ष के दबाव में थे। जिसके फलस्वरूप आईएलओ ने 1957 में आदिवासियों की सुरक्षा के संबंध में एक प्रस्ताव (107) पारित किया। इसके बाद दुनियाभर के आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में एक कार्यदल 'वर्किंग ग्रुप ऑन इंडीजिनस पॉपुलेशंस' का गठन किया। इस दल की पहली बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई और 1985 में इसने आदिवासी अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय घोषण-पत्र जारी करने का फैसला लिया। 1989 में आईएलओ ने प्रस्ताव संख्या 169 के द्वारा आदिवासियों की पहचान इस तरह से की :

1. *आदिवासी वे लोग हैं जो औपनिवेशिकरण से पहले किसी खास देश या भौगोलिक क्षेत्र के निवासी हैं,*

2. *औपनिवेशिकरण के बाद जिन्हें बाहरी लोगों ने उनको अपने परंपरागत क्षेत्र से बाहर धकेल दिया और*

3. *इनकी अपनी स्वतंत्र सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था रही है।*

1993 में यूएनडब्लूजीईपी कार्यदल के 11वें अधिवेशन में आदिवासी अधिकार घोषणा प्रारूप को मान्यता दी गई और 1993 को आदिवासी वर्ष व 9 अगस्त को आदिवासी दिवस घोषित किया गया। आदिवासी अधिकारों को लागू करने और उनके भाषा संस्कृति, इतिहास के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त 1994 को जेनेवा में पहला अन्तरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस आयोजित किया। इसमें शामिल सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने एकमत से संकल्प लिया कि 'हम आदिवासियों के साथ हैं'। यह भी स्वीकार किया कि वे सब अपने-अपने देशों में आदिवासियों के सभी हकों को बरकरार रखने के लिए समुचित कदम उठाएंगे। और अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 में 'आदिवासी अधिकारों का घोषणा-पत्र' जारी करते हुए कहा कि दुनियाभर में आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है।

'आदिवासी अधिकारों का घोषणा-पत्र' में इस बात पर जोर दिया गया है कि आदिवासियों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं की सुरक्षा होनी चाहिए। विशेषकर, जल, जंगल, जमीन और स्थानीय व प्राकृतिक संसाधनों पर उनके परंपरागत अधिकारों को स्वीकार किया जाना चाहिए। घोषणा-पत्र में आदिवासी समुदायों के राजनीतिक आत्म-निर्णय के अधिकारों और उन्हें स्वायत्तता देने की बात पर विशेष बल दिया गया।

लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित 'आदिवासी अधिकारों का घोषणा-पत्र' पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, चूंकि भारतीय संविधान में 'आदिवासी' नहीं हैं अनुसूचित जनजाति हैं, भारत सरकार ने आज तक आदिवासी अधिकारों के लिए कोई सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाए हैं। यहां तक कि संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची, जो आदिवासी हितों का निर्देश देते हैं, उनको भी वास्तविक अर्थ में लागू नहीं किया गया है। देश के पहाड़ी और मैदानी दोनों ही तरह के आदिवासी इलाकों में संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना आम राजनीतिक और प्रशासनिक परिघटना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे बुनियादी नागरिक अधिकारों से आदिवासी वंचित तो हैं ही, विकासीय परियोजनाओं से लगातार बेदखली, पलायन और मानव तस्करी का शिकार बने हुए हैं। भूमि और भाषा-संस्कृति से हर रोज विस्थापित हो रहे हैं। नव-उदारवादी और नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में उनके जीने के

बचे-खुचे आर्थिक आधारों को भी सरकारी निवेश नीतियां छीन लेने पर आमादा है। आदिवासियों के भूमि संबंधी 1908 में पारित 'छोटानागपुर टिनेंसी एक्ट' और 'संताल परगना टिनेंसी एक्ट' जैसे कानूनी प्रावधानों को मल्टी नेशनल कॉरपोरेट खनन कंपनियों के हित में बदलने का प्रयास हो रहा है। नक्सलवाद के नाम पर राजकीय हिंसा और दमन तो जैसे आदिवासियों के जीवन का अनिवार्य हिस्सा हो गया है।

संविधान निर्माण के समय जब डा. अंबेडकर ने संविधान से 'आदिवासी' शब्द के विलोपन का प्रस्ताव रखा था, आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा ने इसका पुरजोर विरोध किया था। 2 दिसंबर 1948 को जयपाल सिंह ने संविधान से 'आदिवासी' शब्द हटाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था, 'मेरा सवाल प्रस्ताव नंबर 491 को लेकर है जिसमें आदिवासी शब्द को अनुसूचित जनजाति से विस्थापित किये जाने की बात की गई है। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि सदन में बिना ट्राइबल सब कमिटियों की रिपोर्ट और अनुशंसाएं आए ही आदिवासियों के संबंध में फैसले लिए जा रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि जो आदिवासी दोनों शेड्यूल्ड क्षेत्रें से बाहर हैं उनकी संवैधानिक स्थिति क्या होगी? ...डॉ. अंबेडकर से मैं इसका जवाब जानना चाहूंगा कि इन आदिवासियों का स्टेटस क्या होगा नये संविध ाान में? महोदय, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि नये संविधान के मसौदे में आदिवासियों की स्थिति बहुत ही असंतोषजनक है।' इसका जवाब डा. अंबेडकर ने इस तरह से दिया था, ''अनुसूचित' शब्द का चयन मैंने 'एबरोजिनिल' के विकल्प के रूप में किया है। 'अनुसूचित जनजाति' शब्द आदिवासियों को एक निश्चित अर्थ में विश्लेषित करता है, वहीं 'आदिबासी' शब्द एक सामान्य पद है और 'अछूत' की तरह ही कोई विधि सम्मत अर्थ नहीं रखता। आदिवासी कौन हैं? यह सवाल निःसंदेह प्रासंगिक है पर इसे परिभाषित करने की जरूरत होगी।' पांचवीं और छठी अनुसूची से बाहर रहने वाले आदिवासियों का स्टेटस क्या होगा, इस पर उन्होंने कहा, 'मैं इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ हूं। आगे चलकर शायद संविधान की कुछ धाराएं ही इस सवाल को सुलझाने में मदद कर पाएं। ...फिलहाल दोनों क्षेत्रों से बाहर रह रहे अनुसूचित जनजातियों की संवैधानिक स्थिति को बहाल रख पाना व्यावहारिक रूप से असंभव है।'

संविधान सभा की यह बहस हमें बताती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार द्वारा देश में आदिवासियों के नहीं होने का आधार क्या है। संविधान में आदिवासी शब्द के विलोपन से न सिर्फ भारत के आदिवासी सरकारी तौर पर अपने वास्तविक पहचान से बेदखल हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी संवैधानिक सम्मान और अधिकार से वंचित हैं। देश के वे लाखों आदिवासी जो औपनिवेशिक काल में जबरन चाय बागानों में मजदूरी के लिए ले जाए गए थे, वह भी आज तक आदिवासी होने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हिंसक सांप्रदायिक राजनीति का शिकार बने हुए हैं। पिछले 24 साल से भारत की केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अगर आदिवासी दिवस को राष्ट्रीय आयोजन नहीं बना रही हैं, तो इसकी वजह भी संविधान द्वारा आदिवासी पद को स्वीकार नहीं किया जाना है।

यह गौरतलब है कि भारत ऐसे देशों में से पहला देश है जिसने 1946 में संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के मुद्दे को उठाया। साथ ही भारत सरकार ने उपनिवेशी देशों एवं लोगों को आजादी प्रदान करने पर 1960 की महत्वपूर्ण घोषणा को सह प्रायोजित किया। लेकिन भारतीय शासक वर्ग के प्रतिनिधियों ने कभी नहीं स्वीकार किया कि उसके यहां आदिवासी रहते हैं और न ही भारत में आदिवासी समुदायों के साथ सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तरों पर हो रहे रंगभेद को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष कबूल किया।

इसके बावजूद झारखंड एकमात्र राज्य है जहां सरकारी तौर पर हेमंत सोरेन (झारखंड मुक्ति मोर्चा) के मुख्यमंत्रित्व काल में वर्ष 2013 में आदिवासी दिवस मनाया गया था। छत्तीसगढ़ और झारखण्ड की भाजपा सरकार ने सरकारी तौर पर आदिवासी दिवस पर 2017 में शुभकामना संदेश जारी किया है। वहीं, उदयपुर (राजस्थान) में सरकारी स्तर पर आदिवासी दिवस आयोजन की सभी तैयारियां हो गई थी लेकिन आखिरी वक्त में संघ के विरोध के कारण रोक दिया गया। इस का अर्थ यही है कि जिस राज्य में आदिवासियों को राजनीतिक तौर पर उपेक्षित नहीं किया जा सकता, वहां की सरकारें आदिवासी दिवस के आयोजन को गंभीरता से लेती हैं।

□

संसदीय बहस में आदिवासी दिवस

PART II

PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

(XVI LOK SABHA)

HON. SPEAKER* : Now, 'Zero Hour'.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मैं सबको एक साथ तो बोलने का मौका नहीं दे सकती हूँ। एक के बाद सबको बोलने का अवसर दूंगी।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER : I will allow it.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष* : मुझे पता है कि आज आदिवासी दिवस है। दो-तीन लोगों ने इसके लिए नोटिस दिया है। मैं पहले उनको ही बोलने का अवसर दे रही हूँ।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER : I am not saying 'no'.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आज उन सभी लोगों को पहले मौका दे रही हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज आदिवासी दिवस है, आप सब बोलना चाहेंगे। मैं सभी के नाम बुलाऊँगी। आपको भी बोलने का मौका दूँगी।
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत।

... (व्यवधान)

Title : Regarding evaluating all the schemes meant for tribals and make a time-bound programme so that all the indicators can be improved.

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR) :

Madam, first of all, I would like to extend my warm wishes to all the tribals across the country and across the world.

Tribals have not just been an integral part of this country but have added to the rich culture and heritage of India. Tribals in the country have been at the forefront strengthening democracy, promoting gender empowerment and practising the best human traditions. However, after 69 years of Independence of the country, there have been many issues which have yet been neglected with regard to tribals.

The Government has formulated many schemes for the welfare of tribals but the overall socio-economic indicators with regard to the tribals give us a very depressing picture.

Madam, the Human Development Index in all the tribal areas across the country is very low as compared to the national average. The literacy rate of the country today is 74 per cent but if we see of the tribals it is 59 per cent. It is very low in the States which have more tribal population like Madhya Pradesh, Maharashtra, West Bengal and Odisha, where we see a gap of literacy between the general population and the tribal from 18 per cent to 26 per cent.

If we see, 48 per cent of the mothers, who belong to the tribal community, are undernourished. Every second tribal child is having stunted growth. About 29 per cent of the tribal children, who have stunted growth, are put in severely stunted category.

In 2012, according to a Report of the Planning Commission, 45.3 per cent of the tribals, who are living in rural areas, belong to below the poverty line. If we see the general population, it is 21.7 per cent that belongs to below the poverty line. So, it is almost double of what we see in the economic terms. In urban areas, 24 per cent tribal people belong to below the

poverty line whereas 13.7 per cent general population belong to below the poverty line.

Now, I am coming to my Parliamentary Constituency Nandurbar. We are having the lowest Human Development Index in the State. The literacy rate of Nandurbar is also the lowest. We rank fifth in infant mortality in the State.

Therefore, Madam, through you, I would like to request the Government to evaluate all the schemes meant for tribals and make a time-bound programme so that all the indicators can be improved.

Thank you.

HON. SPEAKER : Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Rabindera Kumar Jena, Shri Shrirang Appa Barne, Shri Ramsinh Rathwa and Shri Manshukhbhai Dhanjibhai Vasava are permitted to associate with the issue raised by Dr. Heena Vijaykumar Gavit.

12.22 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS

Title: Regarding some derogatory remarks made in an advertisement published in certain newspapers in Madhya Pradesh.

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम) : महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का समय दिया। आज पूरे विश्व का आदिवासी दिवस है। अब सरकार तो बेखबर है।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, बेखबर नहीं है।

श्री कांति लाल भूरिया : महोदया, अगर आपकी आसन्दी से आदिवासियों के लिए बधाई हो जाती तो बहुत अच्छा होता। आज देश में 12 करोड़ आदिवासी हैं। आज पूरे विश्व का आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर अगर

सभी आदिवासियों को शुभकामनाएँ दे देते तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता। हमारे 50 से अधिक सांसद हैं। यह आदिवासियों के मामले में बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज हम आदिवासियों को भूलकर बैठे हैं। आज प्रधान मंत्री जी मेरे क्षेत्र झाबुआ-अलीराजपुर में गए हैं। कल देर तक पार्लियामेंट चली थी। मैंने उनके यहाँ लिखकर दिया था कि मैं आपके साथ आ सकूँ, क्योंकि आप मेरे क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला और प्रधान मंत्री जी चले गए, चलिए कोई बात नहीं। वहाँ पर एक विज्ञापन छपा, उस विज्ञापन पर लिखा था कि प्रधान मंत्री जी आज जाकर आदिवासियों का उन्मूलन करेंगे।

... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदया, यह ठीक नहीं है। ...(व्यवधान) इससे आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुँची है।

... (व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया : महोदया, आप देखिए यह विज्ञापन छपा है।...(व्यवधान) यह उस विज्ञापन पर प्रधान मंत्री जी का फोटो है और यह उस पर लिखा हुआ है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप यह मत दिखाइए।

... (व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया : महोदया, यह बहुत दुःख की बात है।...(व्यवधान) आज पूरा देश दुखी है।...(व्यवधान) आदिवासियों का उन्मूलन करने का मतलब है कि आदिवासियों को जड़ से खत्म करना।...(व्यवधान) मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का यह विज्ञापन है।...(व्यवधान) आप इसे देख लीजिए।...(व्यवधान) मैडम, आप मेरी बात सुनें।

माननीय अध्यक्ष : वह आपको बोलने दें तभी तो हम आपकी बात सुनें। आदिवासी का मुँह दबा रहे हो, क्या बात है? आप बोलिए।

श्री कांति लाल भूरिया : महोदया, आपने कृपा की है। आज आदिवासियों को आपकी आसन्दी से शुभकामना संदेश मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। पूरे विश्व के आदिवासियों को और मध्य प्रदेश में 12 करोड़ आदिवासी हैं तो उनको आपकी तरफ आशीर्वाद के रूप में यह मिल जाए।

दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश से यह विज्ञापन आया है कि प्रधान मंत्री आज चन्द्रशेखर आजाद की जन्मभूमि जाकर आदिवासियों का उन्मूलन करेंगे। मतलब जड़ से खत्म कर देंगे? आदिवासियों को भूल जाएँगे? यह विज्ञापन है, इसमें प्रधान मंत्री जी का फोटो है। ...(व्यवधान) आज आदिवासियों का इतना अपमान? आज बधाई देने के बजाय

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह गलत हुआ है।

श्री कांति लाल भूरिया : आज आदिवासियों का विश्व दिवस है। वह उनका उन्मूलन करके खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो यह गलत बात है। यहाँ होम मिनिस्टर बैठे हैं। वे इस बात की जाँच कराएँ और जिसने यह छापा है, जिन जिन के फोटो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह आदिवासियों का अपमान है। आज यह विश्व के आदिवासियों का अपमान है। मध्य प्रदेश के 12 करोड़ तो हैं ही, पर उनके साथ इतनी बड़ी गलती! ...(व्यवधान) प्रधान मंत्री आज मेरे क्षेत्र में गए। क्या प्रधान मंत्री मुझे आज साथ ले जा नहीं सकते थे? मैंने यह लैटर कल लिखकर दिया है कि प्रधान मंत्री जी, आप कल आ रहे हैं, मैं आपके साथ आऊँगा क्योंकि आप मेरे क्षेत्र में जा रहे हैं, पर मुझे जवाब नहीं मिला। पार्लियामेंट लेट होने की वजह से मैं जा नहीं पाया। आज उस क्षेत्र के सांसद के साथ इतना बड़ा उन्होंने....* किया, आदिवासियों का अपमान किया? मैं वहाँ से आदिवासी सांसद हूँ, इसलिए मुझे उन्होंने वहाँ पर नैगलैक्ट किया? यह बड़े दुख की बात है। गृह मंत्री जी इसका जवाब दें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जाँच करें जो भी हुआ है।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, जहाँ तक आदिवासी समाज का प्रश्न है, भारत कभी भी आदिवासी समाज के योगदान को भूल नहीं सकता है। मैं यह मानता हूँ कि भारत की पहचान में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है, तो वह आदिवासी समाज का है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति को एनरिच करने में, समृद्धशाली बनाने में बहुत बड़ा योगदान है तो हमारे आदिवासी समाज का है। यदि आज आदिवासी दिवस है तो उस अवसर पर मैं समस्त देश के आदिवासियों को दुनिया के दूसरे देशों में यदि हमारे आदिवासी बंधु रह रहे हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं इतना आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, हालांकि पोस्टर मैंने देखा नहीं है, उसको मैं देखूँगा और उस संबंध में मैं पता लगाकर जो कुछ भी होगा, स्पीकर महोदया को उसकी जानकारी दे दूँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गुप्ता जी प्लीज़ बैठिये। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आदिवासियों का सम्मान सब करते हैं, आप बैठिये।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम स्पीकर, जब कभी भी ऐसे फंक्शंस होते हैं और किसी भी माननीय सदस्य की कांस्टीटयुएंसी में प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी या कोई भी मंत्री जाते हैं, तो कम से कम उनको इनफॉर्म करके, उनको भी विश्वास में लेकर उस फंक्शन को अटैंड करने की सुविधा देनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर खुद एम.पीज़ को लेकर जाते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, हम आपकी बात समझ गए हैं, आप बैठिये।

Title: Regarding observing 9th August as Adivasi Diwas.

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आज 9 अगस्त का दिन विश्व आदिवासी दिवस है। यह दिन आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के मानवीय अधिकारों के

संरक्षण के लिए, आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन पर अधिकार को स्थायी रूप से दिए जाने और आदिवासियों की विशेष पहचान, संस्कृति, अस्तित्व, अस्मिता और आत्मसम्मान हमेशा दिये जाने की व्यापक जनजागृति के लिए 23 दिसम्बर, 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में प्रस्ताव पारित किया। उसके अनुसार 9 अगस्त, 1995 को पहला विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। तब से पूरे विश्व में आज के दिन यह आदिवासी दिवस मनाया जाता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में आज कम से कम 1 करोड़ 40 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन है। 1995 तक वहाँ बोगस आदिवासियों द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर नौकरियों में अतिक्रमण हो रहा है। 1995 तक 1 लाख से ज्यादा बोगस आदिवासी लोग आदिवासियों के नाम पर वहाँ रिक्रुटमैंट में आ गए हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि बहुत अतिक्रमण वहाँ महाराष्ट्र के आदिवासियों का हो रहा है। अभी धनी समाज भी आदिवासियों में आ रहा है। आदिवासियों और धनी समाज की संस्कृति में ज़मीन आसमान का अंतर है। यदि उन्हें इसमें प्रवेश दिया गया तो यह भारतीय संविधान के खिलाफ होगा। आपके माध्यम से मेरी सरकार से विनती है कि धनगड़ समाज को आप किसी भी सूची में आरक्षण दे दें। वहां के आदिवासी लोग धनगड़ समाज को आदिवासी की सूची में आरक्षण देने के विरोध में हैं, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं।

HON. SPEAKER : Dr. Heena Vijaykumar Gavit is permitted to associate with the issue raised by Shri Harishchandra Chavan.

PROF. A.S.R. NAIK (MAHABUBABAD) : Thank you Madam for giving me this opportunity. मैडम, यहां पर आदिवासी की समस्या आने से पहले आज जो यहां से देखा है, what is the importance of 9th August? Why are we celebrating this festival? There are guide-lines from a group of United Nations people. They have worked on these issues particularly on the tribal issues. They have directed all the nations on 23rd December, 1994 to observe 9th

August as an Adivasi Diwas. It is the International Adivasi day and I congratulate all the 12 crore Adivasi population of this nation and also the people who are outside the nation.

मैडम, मैं बस एक मिनट में इसे बता देना चाहता हूं। अभी हमारे गृह मंत्री जी आदिवासी के बारे में बता रहे थे कि their role is very important for this country.

Madam, since immemorial times, the adivasis are preserving and conserving the folk, culture and heritage of this nation without any script. They are continuing.

Madam, now in this country, there are guidelines from the United Nations. Why is this Government not implementing the guidelines of the United Nations to celebrate Adivasi festival as a State festival or the Nations festival? Why are they not instructing the universities and also Tribal Welfare Department? The Tribal Welfare Department should implement this Adivasi Diwas? What is the importance of this Adivasi Diwas? It is to protect and conserve the rights of the Adivasis. What kind of rights are they protecting?

Madam, there are many false certificates in this country? They are not taking any initiation. They are not observing it. They are not having any fast track system to identify the caste certificate. Some political leaders are also involved in this. They are coming to this House with false certificates.

माननीय अध्यक्ष : श्री रामसिंह राठवा - उपस्थित नहीं।
श्री लक्ष्मण गिलुवा - उपस्थित नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बस हो गया। लम्बा भाषण नहीं दीजिए। बात केवल हो गयी।

दशरथ तिर्की जी।

बस बधाई दे दीजिए और कल्पना कीजिए कि उनकी उन्नति हो जाए। लम्बा भाषण नहीं।

श्री दशरथ तिर्की (अलीपुर द्वारस) : मैडम, हमें बोलने का जो आज सुअवसर मिला है, इसके लिए आपको धन्यवाद।

आज 'आदिवासी दिवस' है। हमारे पार्लियामेंट हाउस के सभी सदस्यों को मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय ने देश के आदिवासियों को देश का प्रथम निवासी माना है। लेकिन, आज आदिवासियों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, यह आप सभी को मालूम है। जगह-जगह हम लोग देख रहे हैं, पत्रिका में पढ़ने को मिलता है कि आज भी आदिवासियों को निगृहीत किया जा रहा है। हालांकि, आज पश्चिम बंगाल में हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो हम लोगों की दीदी हैं, वे आज भी हमारे आदिवासियों की उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए बहुत मदद कर रही हैं। मैं सदन को और आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे आदिवासियों की उन्नति के लिए आप क्या-क्या कदम उठाएंगे?

श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) : मैडम, आज 'आदिवासी दिवस' पर एक आदिवासी की तरफ से आपको और पूरे सदन को मैं झारखंडी जोहार देना चाहूंगा। मैं एक मुद्दा आपके समक्ष लाना चाहता हूं कि आदिवासियों का धर्म अलग हो सकता है, पर आदिवासियों की जाति आदिवासी ही होती है। लेकिन, जब पॉपुलेशन की गणना होती है, तो उसमें उनकी गणना ठीक ढंग से नहीं की गयी है। इसलिए इनका पॉपुलेशन कैलकुलेशन उनकी जाति के आधार पर हो और उसे ठीक ढंग से पेश किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : सबको बधाई और जितने भी लोग चाहें, सभी इसमें सहयोगी बनें।

□

***HON. SPEAKER (माननीय अध्यक्ष) : सुमित्रा महाजन**

(Source : http://164.100.47.194/loksabhahindi/Members/
DebateResults16.aspx?mpno=8©99
846) *visited 8-08-2017*

दुनिया के विशिष्ट लोग

आदिवासी लोगों की घोषणा का सार

(चौथी रसेल अदालत, रोटरडम, 1980)

आदिवासी लोग अपने अधिकारों के सबसे बर्बर दुरुपयोग से पीड़ित हैं। देशों द्वारा ग्रहण की गई राष्ट्रीय नीतियां लोगों को अपनी संस्कृति व्यवहार में लाने के अधिकार; उन्हें अपनी भाषा बोलने से, अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के शांतिपूर्ण अधिकार से और अपने राष्ट्रीय पहचान के सहित, दुनिया के विशिष्ट लोगों की तरह अपने अस्तित्व के अधिकार से वंचित करती हैं। अधिकतर प्रत्येक मामले में आदिवासी लोग राष्ट्रीय नीतियों द्वारा अपनी जमीनों के गैरकानूनी तरीके से हथियाए जाने से पीड़ित हैं, जो इस तरह बनाई गई हैं कि आदिवासी लोगों को अपनी जमीनों के अधिकार से वंचित करती हैं। कई राष्ट्र-राज्यों के नगरपालिका नियम आदिवासी लोगों के साथ न्याय नहीं करते। अदालत में आदिवासी लोगों के आरोपों और बयानों से पुष्टि होती है कि राष्ट्र-राज्य ही इस नरसंहार और संपत्ति छीनने के अकेले औजार नहीं हैं। कुछ धार्मिक संगठन उनकी भाषाओं और संस्कृति के दूसरे तत्वों को नष्ट करने और लोगों को संसाधनों से अलग करने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों में सरकार से मिलीभगत में काम करती है। इस बात के निश्चित प्रमाण हैं कि राष्ट्र-राज्यों के सत्तारुढ़ तबके और औद्योगिक देशों के सत्तारुढ़ वर्ग के आर्थिक हित, जिनका प्रतिनिधित्व बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों द्वारा होता है, भी लोगों को उनकी जमीनों से अलग करने और स्वतंत्रता से वंचित करने में महत्वपूर्ण औजार हैं।

राष्ट्रीय नीतियों को प्रमाणित और निर्धारित करने में इन आर्थिक हितों की ताकत के चलते आदिवासी लोग शोषकों की मिलों, खदानों और रोपे लगाने में आर्थिक रूप से गुलाम होने को मजबूर हुए हैं। ये लोग अपने ही गृहराज्यों से खदेड़े गए हैं। अपनी अधिकारपूर्ण सीमाओं में हाशिए पर गरीबी और बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हुए हैं। इन डरावनी स्थितियों का निर्माण करने वाली 8नीतियों का विरोध करने वाले आदिवासी लोगों को क्रूर दमन, जुल्म और भेदभाव का शिकार बनाया जाता है, जो कि ऐसे औजार हैं, जिनसे लोगों को दुनिया के विशिष्ट लोगों की तरह अस्तित्व के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है।

चौथी रसेल अदालत के सामने इकट्ठा हुए हम आदिवासी लोग, दुनिया के लोगों से इन भयानक गलतियों को सही करने के कदम उठाने की मांग करते हैं . . हम दुनिया के लोगों से आदिवासी लोगों की दुनिया के विशिष्ट लोगों की तरह अस्तित्व के अधिकार

के लिए काम करने और नरसंहार व जातिसंहार के खिलाफ भर्त्सना करने की मांग करते हैं।

हम इन सिद्धांतों का समर्थन करते हैं कि आदिवासी लोगों को दुनिया के विशिष्ट लोगों की तरह अस्तित्व का अधिकार, अपनी सीमाओं के कब्जे का अधिकार और सार्वभौमिक आत्मनिर्णय का अधिकार है। हम इस बात पर जोर देने के लिए दुनिया के लोगों से शामिल होने का आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों द्वारा स्थापित सिद्धांतों के तहत आदिवासी लोगों को आधिपत्य से वंचित करना और नरसंहार और आदिवासी लोगों व देशों के अधिकारों का लगातार घोर उल्लंघन विश्व समुदाय के अधिकारसम्मत चिंतन का विषय है और विश्व संगठनों, खासकर राष्ट्र संघ को इस पर अवश्य ही कार्यवाही करनी चाहिए।

अंत में, हम जागरूक लोगों से, राष्ट्रों के विश्व समुदाय के पूर्ण सदस्य के रूप में आदिवासी लोगों व देशों की मान्यता और विश्व संगठनों, खासकर राष्ट्र संघ में सदस्यता और प्रतिनिधित्व की मांग पर जोर देने के लिए शामिल होने का अनुरोध करते हैं।

□

एशियाई आदिवासी लोगों की संधि
इतिहास, पृष्ठभूमि, उद्घोषणा और प्रस्ताव

आदिवासी लोगों के संगठनों द्वारा 1988 में बना ए. आई. पी. पी. (एशियन इंडीजिनस पीपुल्स पैक्ट) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य विकास और भविष्य पर उनके नियंत्रण और परंपरागत गृहराज्यों पर उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए एशिया के आदिवासी लोगों की एकता और प्रतिबद्धता को मजबूत करना है।

एशियाई आदिवासी लोगों के लिए एक सामूहिक फोरम की इच्छा व जरूरत, जो विभिन्न मंचों पर जाहिर की गई, को 1984 में बेगुयो, फिलीपीन्स में आयोजित डायलॉग एशिया में और भी गति मिली। 1988 में चियांगमाई में आदिवासी लोगों के 16 संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा आदिवासी लोगों के मंच पर यह मामला लिया गया और ए. आई. पी. पी. स्थापित करने का निश्चय किया गया। अप्रैल 1992 में बैंकाक में ए. आई. पी. पी. का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें इसकी घोषणापत्र व कार्यकारी दिशा-निर्देश ग्रहण किए गए और एक सचिवालय स्थापित किया गया।

ए. आई. पी. पी. के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में एशिया के आदिवासी लोगों की आकांक्षाओं, विचारों और अनुभवों की साझीदारी, एशिया के आदिवासी लोगों के भविष्य पर चिंतन और एशिया के आदिवासी लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अभियान चलाने और दूसरे कामों के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। इसके लिए ए. आई. पी. पी. एशिया के आदिवासी लोगों की आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए चल रहे आंदोलनों और सभी दूसरे संगठनों के साथ समन्वय करेगा। ए. आई. पी. पी. का उद्देश्य एशिया के आदिवासी लोगों के आदर्शों व उद्देश्यों की पैरवी और उनके आंदोलनों, मुद्दों, इतिहास और संघर्षों पर योजनाबद्ध प्रलेखन विकसित करना और जानकारी को प्रकाशित और प्रसारित करना भी।

वर्तमान में ए. आई.पी. पी. में 9 देशों के 18 प्राथमिक सदस्य और 3 सहायक सदस्य हैं। इसके प्रतिनिधियों में फिलीपीन्स के इगोरोट, लुमाड, मोरो, आइटा व करेन, भारत के नागा व आदिवासी, बर्मा के करेन, कचीन व अरकान, ताइवान के पहाड़ी लोग, थाईलैंड के लाहू, लीसू व करेन, मलेशिया के ओरांग असली, कदाजन व इबान, पूर्वी टिमोर के टिमोरी और नेपाल के तारू शामिल हैं।

अगले चार सालों के लिए ए. आई. पी. पी. के कार्यक्रम मुख्यतः तीन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं जिनके नाम हैं शिक्षा व संगठन; शोध अध्ययन और प्रलेखन; और अभियान और लॉबीइंग। अप्रैल 1992 में उदघाटन सभा में ए. आई. पी. पी. के सदस्यों

द्वारा इन कार्यक्रमों पर बहस हुई और स्वीकृति मिली। कार्यक्रमों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय समूहों के जरिए और उपक्षेत्र के स्तर पर समन्वय एक उपक्षेत्रीय प्रतिनिधि, जो ए. आई. पी. पी. की कार्यकारी परिषद में भी हो, के द्वारा होगा। आदिवासी/आदिवासी लोगों के अधिकारों पर एशियाई सम्मेलन, अभियान व लॉबीइंग कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।

सामान्य ज्ञान व हुनरों का प्रदान करना ही, इन लोगों के लिए शिक्षा का उद्देश्य होगा।

एशिया के आदिवासी लोगों का प्रस्ताव

एशिया के आदिवासी लोगों के संगठनों के अधोहस्ताक्षरधारी प्रतिनिधियों ने देशज/आदिवासी लोगों के अधिकारों पर एशियाई सम्मेलन की चियांगमाई, थाईलैंड में 18-23 मई 1993 को हुई बैठक में भाग लिया।

प्रस्ताव क्रमांक 1

राष्ट्र संघ के संबंध में विचार करते हुए कि . . .

दुनिया के अधिकांश आदिवासी लोग एशिया में रहते हैं;

एशिया के आदिवासी लोगों को, राष्ट्र संघ कार्यक्रमों की सलाहकार बैठकों में पूरी भागीदारी करने का कभी कोई मौका नही मिला,

एशिया के कई आदिवासी लोगों को वर्ष 1993 को दुनिया के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होने के बारे में अभी तक पता नही चला है।

राष्ट्र संघ से आग्रह करते हैं कि. . .

1. 1993 वर्ष को दुनिया के आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का, दुनिया के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दशक 1994-2004 में विस्तार।

2. आदिवासी लोगों पर राष्ट्र संघ कार्यदल को आदिवासी लोगों के अधिकारों की घोषणा के क्रियान्वयन की निगरानी के विशेष आदेश के साथ एक स्थाई राष्ट्र संघ संस्था में बदलने की औपचारिकता।

3. आदिवासी लोगों के लिए मानव-अधिकार आयोग के अंतर्गत, आदिवासी लोगों के विरुद्ध किए गए उल्लंघनों की जांच और संघर्षों की स्थितियों में हस्तक्षेप करने हेतु एक विशेष रपटकर्ता के रूप में एक आदिवासी व्यक्ति की नियुक्त की जाए।

4. एशिया में आदिवासी जनसंख्या पर राष्ट्र संघ कार्यदल की एक क्षेत्रीय बैठक 1995 में में आयोजित की जाए।

5. एशिया में जमीन व प्राकृतिक संसाधनों पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाए।

6. आदिवासी लोगों के संगठनों द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों को तकनीकी व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

प्रस्ताव क्रमांक 2

जुम्मा लोगों पर प्रस्ताव

वर्तमान में भारत में रह रहे जुम्मा शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन के लिए भारत और बंगलादेश की सरकारों के निर्णय की योजना पर चिन्ता के साथ ध्यान देते हुए, सम्मेलन इस तथ्य से पूरी तरह अवगत है कि चिटगांग पहाड़ियों में उन हालातों में, जिसके कारण जुम्मा लोग अपने गृहराज्य से भागने को मजबूर हुए, कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं हुआ है और हालात अभी भी उनके गृहराज्य में उनकी सुरक्षित वापसी में सहायक नहीं हैं।

हम मांग करते है कि वर्तमान में भारत में रह रहे जुम्मा लोगों पर वापसी के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए जब तक कि ...

चिटगांग पहाड़ियों से सेना पूरी तरह नहीं हटाई नहीं जाती।

जुम्मा जमीनों और संसाधनों की जुम्मा लोगों को वापसी के पर्याप्त प्रबंध नहीं होते।

राष्ट्र संघ के तत्वावधान में कार्यक्रम का निरीक्षण।

और इस बात की गारंटी कि भविष्य में जुम्मा लोगों के अधिकारों को बरकरार रखा जाएगा।

चिटगांग पहाड़ियों में आदिवासी जुम्मा लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देते हुए समस्या का गांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान।

प्रस्ताव क्रमांक 3

जातिवाद से संबंधित प्रस्ताव

मान्यता देते हुए कि. . .

एशिया के कई लोग जातिवाद की बुराइयों से पीड़ित हैं, जो वास्तव में

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक या सार्वजनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में बुनियादी स्वतंत्रता और मानव-अधिकारों के समान व्यवहार व उपभोग की मान्यता को निरस्त करता है, कम करता है या उनमें बाधा पहुंचाता है और इसलिए जातिवाद को नस्लवाद का एक रूप घोषित करने व मान्यता देने की राष्ट्र संघ से मांग।

प्रस्ताव क्रमांक 4

लोगों के आदान-प्रदान कार्यक्रम पर प्रस्ताव

एशिया के आदिवासी लोगों के बीच एकता व सहयोग मजबूत करने व बढ़ाने की मांग को ध्यान में रखाते हुए, ज्यादा समझ विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए सम्मेलन, संस्कृति, हस्तकौशल व विचारों के अंतःसमुदायिक आदान-प्रदान के कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लेता है।

प्रस्ताव क्रमांक 5

आदिवासी लोगों की सीमाओं के सैन्यीकरण से संबंधित प्रस्ताव

एशिया में अधिकतर सरकारों द्वारा आदिवासी लोगों की सीमाओं के गहन सैन्यीकरण परिप्रेक्ष्य से उपजे आदिवासी लोगों के मानव-अधिकारों में तीव्र कमी।

हम घोषित करते हैं कि सैन्यीकरण एक मानव अधिकार विरोधी कार्य है मानवता विरोधी और मानवीय चेतना विरोधी होने के नाते सम्मेलन इसकी भर्त्सना करता है।

सैन्यीकरण में शामिल हैं :

1. आदिवासी सीमाओं में सैन्य बलों, पुलिस व पैरा-सैन्य बलों की बड़ी संख्या में मौजूदगी।

2. सैन्य प्रतिष्ठानों, सैन्य केंपों और निरीक्षण चौकियों द्वारा जमीनों व सीमाओं पर आधिपत्य, विशेष सैन्य अधिकारों को लागू करने से होने वाले बच्चों व महिलाओं सहित आम नागरिकों का नरसंहार, बमबारी, संपत्ति व गांवों का विनाश, बगैर सुनवाई के कैद, गैर-न्यायिक वध, लापता होना, शारीरिक यातना, बलात्कार, आवागमन पर प्रतिबंध, आदि।

3. राज्य के सैन्य बलों में आदिवासी लोगों की इच्छा के विरुद्ध श्रमिकों, बोझा

उठाने वालों और सुरंग नाशक जहाज की तरह लोगों का उपयोग करने के लिए उनकी भर्ती।

4. सैन्य नियंत्रित गांवों व टापुओं के लिए आदिवासी लोगों को उनकी जमीनों से जबर्दस्ती हटाना।

हम क्षेत्र की सरकारों से आदिवासी लोगों की सीमाओं से सभी राजकीय सैन्य बल हटाने का आहवान करते हैं।

हम सैन्यीकरण के सभी पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं। हम अपने बुनियादी अधिकारों को मान्यता देने की भी मांग करते हैं।

प्रस्ताव क्रमांक 6

आणाविक संयंत्रों व आणाविक कचरे से संबंधित प्रस्ताव

1. आदिवासी लोगों की स्वीकृति के बगैर, सरकारें आदिवासी लोगों की सीमाओं पर आणविक कचरा इकट्ठा करना जारी रखे हुए हैं।

2. आदिवासी लोगों की सीमाओं पर आदिवासी लोगों के लिए हानिकारक आणविक संयंत्रों की योजना व उनका निर्माण किया जा रहा है।

ये आदिवासी लोगों के बुनियादी मानव अधिकारों का उल्लंघन है और हम एशियाई सरकारों से आहवान करते हैं कि. . .

1. आदिवासी सीमाओं पर आणविक कचरे को इकट्ठा करना तुरंत बंद करें।

2. आणविक कचरे से प्रभावित जमीनों की सफाई के कार्यक्रम आयोजित करें।

3. आदिवासी सीमाओं पर आणविक संयंत्रों और भंडारों के निर्माण से बाज आएं।

प्रस्ताव कमांक 7

थाईलैंड के पहाड़ी लोगों से संबंधित प्रस्ताव

यह सम्मेलन शाही थाई सरकार से देश के पहाड़ी लोगों पर लगाए गए निम्नलिखित प्रतिबंधों को हटाने और वापस लेने की मांग करता है कि...

1. पहाड़ी लोगों के क्षेत्रों पर राष्ट्रीय सुरक्षित जंगलों और जलग्रहण क्षेत्रों का विस्तार, जो उनके जीने के अधिकार को गंभीर रूप से सीमित करता है।

2. पहाड़ी लोगों के परिवार के आकार पर प्रतिबंध।

3. देश के अंदर पहाड़ी लोगों के आवागमन पर पर प्रतिबंध।

4. अपनी खुद की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा प्रतिनिधित्व करने और संगठन बनाने के अधिकार पर पर प्रतिबंध।

पापुआ के शिष्टमंडल की भागीदारी पर सम्मेलन की घोषणा

आदिवासी लोगों के अधिकारों पर एशियाई सम्मेलन, पापुआ लोगों के भाग लेने को स्वीकार करता है, हालांकि वे एशियाई नहीं, बल्कि प्रशांत के मेलेनेशियाई हैं।

वे एक कृत्रिम उपनिवेशी सीमा द्वारा न्यू गिनी द्वीप के आधे भाग (पूर्वी) के बहनों व भाइयों से अलग कर दिए गए हैं।

चूंकि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध इंडोनेशिया के गणराज्य में शामिल किया गया है वे उसी दमन और भेदभाव का अनुभव करते हैं, जैसा कि एशियाई सरकारों द्वारा एशियाई आदिवासी लोगों के साथ होता है।

□

आई. एल. ओ. अनुबन्ध 169

स्वतंत्र देशों में देशज व आदिवासी लोगों से संबंधित अनुबंध

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की आम सभा

अंतराष्ट्रीय श्रम कार्यालय की प्रबंध समिति द्वारा जेनेवा में आयोजित की गई और 7 जून 1989 को 76वें सत्र में मिली, और

देशज व आदिवासी जनसंख्याओं के अनुबंध व सिफारिशें, 1957, में निहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को नोट करते हुए, और

मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतराष्ट्रीय अनुबंध, नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर अंतराष्ट्रीय अनुबंध और भेदभाव की रोकथाम पर कई अंतर्राष्ट्रीय औजारों की शर्तों को याद करते हुए, और

1957 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय नियमों में हुई प्रगति और साथ-साथ दुनिया के सभी क्षेत्रों के देशज व आदिवासी लोगों की स्थिति में हुए विकास, जिसके कारण पूर्ववर्ती मानकों के विलीनीकरण रुझान को हटाने की धारणा से इस संबंध में नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ग्रहण करना सामयिक हो गया, पर विचार करते हुए, और

जिन देशों में ये रहते हैं, उसके ढांचे के अंदर उनकी अपनी पहचान, भाषाओं और धर्मों को बनाए रखने और विकसित करने, और अपनी संस्थाओं, जीवन शैली और आर्थिक विकास पर इन लोगों की खुद नियंत्रण करने की आकांक्षाओं को मान्यता देते हुए, और

दुनिया के कई हिस्सों में, इन लोगों द्वारा बुनियादी मानव-अधिकारों के उस स्तर तक उपभोग करने में असमर्थ, जितनी कि उस देश में जिसमें वे रहते हैं, की शेष आबादी करती है और उनके नियमों, मूल्यों, परंपराओं व परिप्रेक्ष्यों के अक्सर होने वाले क्षरण को ध्यान में रखते हुए, और

अंतराष्ट्रीय सहयोग व समझ और मानवता की सांस्कृतिक विभिन्नता और सामाजिक व पारिस्थितिकीय एकरूपता में देशज व आदिवासी लोगों के विशिष्ट योगदान की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए, और

नोट करते हुए कि निम्न प्रावधान राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ खाद्य व कृषि संगठन, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन और साथ-साथ इंटर अमरीकन इंडियन इंस्टीट्यूट के संबंधित क्षेत्रों में समुचित स्तरों पर उनके सहयोग से गठित किए गए हैं और इन

प्रावधानों का लागू करना सुनिश्चित कसे और इस सहयोग को प्रोत्साहित करना जारी रखना प्रस्तावित किया जाता है, और

देशज व आदिवासी जनसंख्याओं के अनुबंध, 1957 (क्र. 107), जो इस कार्यसूची का चौथा विषय है, के संबंध में निश्चित प्रस्तावों को ग्रहण करने का निर्णय लेते हुए, और

यह निर्णय लेते हुए कि ये प्रस्ताव देशज व आदिवासी जनसंख्याओं के अनुबंध, 1957, को संशोधित करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध का आकार ग्रहण करेंगे;

सन् 1989 के 27 जून को निम्न अनुबंध ग्रहण करती है जिसे देशज व आदिवासी लोगों का अनुबंध 1989 के रूप में उद्धृत किया जा सकता है :

भाग I : सामान्य नीति

धारा 1

1. यह अनुबंध लागू होता है :

(अ) स्वतंत्र राष्ट्रों में आदिवासी लोगों पर, जिनकी सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक स्थितियां राष्ट्रीय समुदाय के दूसरे तबकों से अलग हैं और जिनकी हैसियत पूरी तरह या आंशिक रूप से उनकी खुद की परंपराओं, रीति-रिवाजों या विशेष नियमों या नियंत्रणों द्वारा संचालित होती है;

(ब) स्वतंत्र देशों के लोग, जो ऐसी जनसंख्याओं के वंशज होने के कारण देशज माने जाते है, जो देश या देश के किसी भौगोलिक क्षेत्र में विजय या उपनिवेशीकरण या वर्तमान सीमाओं की स्थापना के पहले वहां रहती थीं और जिन्होंने अपनी कानूनी हैसियत पर ध्यान दिए बिना अपनी कुछ या पूरी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थाओं को बनाए रखा है।

2. जिन समूहों पर इस अनुबंध के प्रावधान लागू होते हैं, उनके निर्धारण के लिए देशज व आदिवासी के रूप में स्व-पहचान एक बुनियादी कारक होगा।

3. इस अनुबंध में लोगों शब्द के उपयोग का, इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत इस शब्द से जुड़े हो सकने वाले अधिकारों के आशय से, कोई अर्थ नहीं निकाला जाएगा।

धारा 2

1. संबंधित लोगों की भागीदारी के साथ, इन लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी अखंडता के सम्मान की गारंटी के लिए समन्वित व योजनाबद्ध कार्यों को बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकारों की होगी।

2. ऐसे कार्यों में शामिल उपाय होंगे :

(अ) यह सुनिश्चित करना कि इन लोगों के सदस्यों को राष्ट्रीय नियमों व व्यवस्था के लाभ और अधिकार उसी समान स्तर के हों, जो जनसंख्या के दूसरे तबकों को मिलते हैं;

(ब) उनकी सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान, उनकी परंपराओं व मान्यताओं और उनकी संस्थाओं का सम्मान करते हुए इन लोगों के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति को प्रोत्साहित करना;

(स) राष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्यों और देशजों के बीच मौजूद सामाजिक-आर्थिक अंतरों को खत्म करने के लिए, उनकी आकांक्षाओं और जीवन शैली से एकरूपता बिठाते हुए संबंधित लोगों के सदस्यों की सहायता करना।

धारा 3

1. देशज व आदिवासी लोग बिना किसी भेदभाव या बाधाओं के मानव अधिकारों व बुनियादी स्वतंत्रता के पूर्ण उपायों का उपभोग करेंगे। अनुबंध के प्रावधान बिना किसी भेदभाव के इन लोगों के पुरुष व महिला सदस्यों पर लागू होंगे।

2. इस अनुबंध में शामिल अधिकारों सहित, संबंधित लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के उल्लंघन में किसी तरह के बल या जोर-जबर्दस्ती का प्रयोग नहीं होगा।

धारा 4

1. संबंधित लोगों की संस्थाओं, संपत्ति, श्रम, संस्कृति, पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा के लिए समुचित विशेष उपाय ग्रहण करने होंगे।

2. ये विशेष तरीके से संबंधित लोगों की खुलेआम अभिव्यक्त इच्छाओं के विपरीत नहीं होंगे।

3. ये विशेष तरीके किसी भी तरह से, नागरिकता के सामान्य अधिकारों के बगैर भेदभाव के उपभोग में प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

धारा 5

इस अनुबंध के प्रावधानों को लागू करने में :

(अ) इन लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व आध्यात्मिक मूल्यों व पद्धतियों को मान्यता देनी होगी और समूहों व व्यक्तियों के रूप में उनके सामने आने वाली समस्याओं की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा;

(ब) इन लोगों के मूल्यों, पद्धतियों और संस्थाओं की अखंडता का सम्मान करना होगा;

(स) काम व जीवन की नई स्थितियों में इन लोगों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियां, प्रभावित लोगों के सहयोग व भागीदारी से ही ग्रहण करनी होंगी।

धारा 6

1. इस अनुबंध के प्रावधानों को लागू करने में सरकारें :

(अ) उन्हें सीधे प्रभावित करने वाले वैधानिक व प्रशासनिक उपायों पर जब कभी भी गौर हो, तब समुचित पद्धतियों द्वारा और खास तौर पर उनकी प्रतिनिधि संस्थाओं के जरिए, संबंधित लोगों से परामर्श करना होगा;

(ब) उनसे संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार निर्वाचित संस्थाओं और प्रशासकीय व अन्य संस्थाओं में निर्णय-प्रक्रिया के सभी स्तरों पर इन लोगों के कम-से-कम जनसंख्या के दूसरे तबकों के बराबर स्तर तक, स्वतंत्रतापूर्वक भागीदारी कर सकने के तरीके स्थापित करेंगी,

(स) इन लोगों की खुद की संस्थाओं और अभिक्रमों के संपूर्ण विकास के तरीके स्थापित करेंगी और समुचित मामलों में इस उद्देश्य के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराएंगीं।

2. इस अनुबंध को लागू करने हेतु परामर्श, समुचित निष्ठा के साथ और परिस्थितियों के उपयुक्त स्वरूप में, प्रस्तावित उपायों को सहमति या मंजूरी प्राप्त करने के उद्देश्य से करना होगा।

धारा 7

1. संबंधित लोगों को विकास की प्रक्रिया के लिए अपनी खुद की प्राथमिकताएं तय करने का अधिकार होगा क्योंकि यह उनके जीवन, मान्यताओं, संस्थाओं और आध्यात्मिक कल्याण और अपने अधिकार वाली या अन्यथा उपयोग वाली जमीनों को प्रभावित करती हैं और अपने खुद के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास पर यथासंभव नियंत्रण होगा। इसके अतिरिक्त वे अपने को सीधे प्रभावित कर सकने वाली राष्ट्रीय व क्षेत्रीय विकास की योजनाओं व कार्यक्रमों के प्रतिपादन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में भागीदारी करेंगे।

2. संबंधित लोगों के कार्य व जीवन की स्थितियों और शिक्षा व स्वास्थ्य स्तर में सुधार को, उनके रहवास क्षेत्रों के संपूर्ण आर्थिक विकास की योजनाओं में प्राथमिकता देनी होगी। इन क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष योजनाएँ भी इस तरह बनानी होंगी कि वे इस सुधार को प्रोत्साहित ही करें।

3. सरकारें, जब कभी उचित हो, विकास गतिविधियों की योजनाओं के उन पर पड़ने वाले सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय प्रभावों के आकलन अध्ययनों में संबंधित लोगों का सहयोग सुनिश्चित करेंगी। इन अध्ययनों के नतीजे इन गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए बुनियादी कारक होंगे।

4. सरकारें संबंधित लोगों के सहयोग से उनके रहवास की सीमाओं के पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण के उठाएंगी।

धारा 8

1. संबंधित लोगों पर राष्ट्रीय नियमों व नियंत्रणों को लागू करने में उनकी मान्यताओं या परंपरागत नियमों का समुचित ध्यान रखना होगा।

2. इन लोगों को अपनी खुद की परंपराओं व संस्थाओं को बरकरार रखने का अधिकार होगा जब तक कि वे अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों और राष्ट्रीय कानूनी तंत्र में परिभाषित बुनियादी अधिकारों से असंगत न हों।

3. इस धारा के पैरा 1 व 2 का प्रयोग, इन लोगों को, सभी नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों और संबंधित कर्तव्यों के निर्वाह से वंचित नहीं करेगा।

धारा 9

1. अपने सदस्यों द्वारा किए गए अपराधों से निपटने के लिए संबंधित लोगों द्वारा परंपरागत रूप से अपनाए जाने वाले तरीकों का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों और राष्ट्रीय कानूनी तंत्र से एकरूपता के स्तर तक होगा।

2. ऐसे मामलों के निपटारे में अधिकारियों व न्यायालयों को दंडनीय मामलों के संबंध में इन लोगों की परंपराओं को ध्यान में रखना होगा।

धारा 10

1. इन लोगों के सदस्यों पर सामान्य नियमों द्वारा दंड लगाते समय, इनकी सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखना होगा।

2. जेल में कैद करने के अलावा, दंड देने के दूसरे उपायों को प्राथमिकता देनी होगी।

धारा 11

सभी नागरिकों के लिए कानून द्वारा निर्धारित मामलों को छोड़कर, संबंधित लोगों के सदस्यों से किसी भी स्वरूप में वैतनिक या अवैतनिक, बलपूर्वक अनिवार्य व्यक्तिगत सेवा कानूनन प्रतिबंधित व दंडनीय होगी।

धारा 12

संबंधित लोगों को उनके अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करनी होगी और वे इन अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से या अपना प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं के जरिए, कानूनी प्रक्रियाएँ अपनाने में समर्थ होंगे। जब आवश्यक हो तो प्रावधानों की व्याख्या या दूसरे प्रभावी जरियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के उपाय करने होंगे कि कानूनी प्रक्रियाओं को ये लोग समझ सकें और कानूनी प्रक्रिया में उन्हें भी समझा जा सके।

भाग II : जमीन

धारा 13

अनुबंध के इस भाग के प्रावधानों को लागू करने में संबंधित लोगों की उनके रहवास या अन्य उपयोग की जमीनों या सीमाओं या दोनों से उनके संबंध, खासकर इस संबंध के सामूहिक पहलुओं और संस्कृति व आध्यात्मिक मूल्यों के लिए विशेष महत्व को सरकारें सम्मानित करेंगीं। 2. धारा 15 व 16 में जमीनों शब्द के उपयोग में सीमाओं की अवधारणा शामिल होगी, जिसके अंतर्गत संबंधित लोगों के रहवास या अन्य उपयोग के क्षेत्राों का पूरा पर्यावरण आता है।

धारा 14

1. उनके परंपरागत रहवास वाली जमीनों पर संबंधित लोगों के मालिकाना हकों और नियंत्रण के अधिकार की मान्यता होगी। साथ ही, सही मामलों में, उन जमीनों पर जिस पर वे पूरी तरह नहीं रहते, पर अपनी अतिजीविता व परंपरागत क्रियाकलापों के लिए जिस तक उनकी परंपरागत रूप से पहुच है, संबंधित लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। इस संबंध में खानबदोशों व घुमंतू खेती करने वालों पर विशेष ध्यान देना होगा।

2. संबंधित लोगों द्वारा परंपरागत रहवास की जमीनों की पहचान और उस पर मालिकाना हक व नियंत्रण के उनके अधिकारों के लिए सरकारें आवश्यक कदम उठाएंगी।

3. संबंधित लोगों के जमीन संबंधी दावों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय कानूनी तंत्र के अंदर समुचित प्रणालियां स्थापित करनी होंगी।

धारा 15

1. उनकी जमीनों पर स्थित प्राकृतिक संसाधनों पर संबंधित लोगों के अधिकारों की खास तौर पर सुरक्षा होगी। इन अधिकारों में, इन संसाधनों के उपयोग, प्रबंध व संरक्षण में संबंधित लोगों की भागीदारी का अधिकार भी शामिल है।

2. ऐसे मामलों में जहां खनिजों या जमीन के नीचे स्थित संसाधनों या जमीनों पर स्थित दूसरे संसाधनों के मालिकाना अधिकार राज्य के पास हैं, इन जमीनों पर स्थित ऐसे संसाधनों की खुदाई या दोहन के किसी भी कार्यक्रम को इजाजत देने या शुरू करने के पहले, सरकारें ऐसी प्रणालियां स्थापित करेंगी या बनाएंगी, जिनके जरिए इन लोगों से इस उद्देश्य के साथ परामर्श होगा कि किस स्तर तक उनके हित प्रभावित हो सकते हैं। जहां तक संभव हो ऐसी गतिविधियों के फायदे में संबंधित लोगों की भागीदारी होगी और इन गतिविधियों से पहुंच सकने वाली किसी भी क्षति के लिए उचित मुआवजा मिलेगा।

धारा 16

1. इस धारा के निम्न अनुच्छेदों को छोड़कर, संबंधित लोगों को उनकी रहने वाली जमीनों से नहीं हटाया जाएगा।

2. अपवादस्वरूप जब इन लोगों का पुनर्स्थापन जरूरी समझा जाए तो ऐसा पुनर्स्थापन केवल उनकी स्वतंत्र इच्छा और सूचित मंजूरी से ही होगा। अगर उनकी मंजूरी प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो केवल, जहां उचित हो वहां जन सुनवाई, जिसमें संबंधित

लोगों के प्रभावी प्रतिनिधित्व के मौका देने सहित, राष्ट्रीय नियमों और नियंत्रणों द्वारा स्थापित होगा।

3. पुनर्स्थापन का आधार खत्म होने पर, जब भी संभव हो, इन लोगों को अपनी परंपरागत जमीनों पर वापस लौटने का अधिकार होगा।

4. अगर ऐसी वापसी संभव न हो, जैसा कि समझौते द्वारा या ऐसे समझौते के अभाव में समुचित प्रणालियों द्वारा निर्धारित किया गया हो, सभी संभव मामलों में इन लोगों को कम-से-कम उतनी गुणवत्ता और कानूनी हैसियत के बराबर वाली जमीन उपलब्ध कराई जाएगी जितनी कि पहले उनके पास थी और उनकी वर्तमान जरूरतों और भविष्य के विकास के लिए उपयुक्त हो। जहां संबंधित लोग मुआवजे के लिए पैसे या अन्य वस्तुओं की पसंद जाहिर करें तो उचित गारंटियों के तहत उन्हें इस तरह का मुआवजा देय होगा।

5. इस तरह पुनर्स्थापित लोगों को, किसी भी संभावित हानि या क्षति का पूरा मुआवजा देना होगा।

धारा 17

1. अपने सदस्यों के बीच जमीन के अधिकारों के हस्तांतरण के लिए संबंधित लोगों द्वारा स्थापित पद्धतियों का सम्मान होगा।

2. जब भी उन्हें उनकी जमीनों से अलग करने या उनके अधिकारों को उनके खुद के समुदायों से बाहर हस्तांतरण करने पर विचार हो, संबंधित लोगों से सलाह-मशविरा किया जाएगा।

3. इन लोगों की जमीनों का मालिकाना हक पाने या नियंत्रण पाने या उनकी जमीनों का उपयोग प्राप्त करने के लिए उनकी परंपराओं या उनकी कानूनी समझ की कमी का बाहरी लोगों द्वारा फायदा उठाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

धारा 18

संबंधित लोगों की जमीनों पर अनधिकृत घुसपैठ या उपयोग पर कानूनन पर्याप्त दंड देना स्थापित किया जाएगा और सरकारें ऐसे अपराधों की रोकथाम के उपाय करेंगी।

धारा 19

भूमि संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित लोगों के साथ निम्न मामलों में जनसंख्या के दूसरे तबकों के समतुल्य व्यवहार किया जाए :

(अ) जब उनके पास अपने सामान्य अस्तित्व की जरूरतें पूरी करने के लिए आवश्यक क्षेत्र न हों या उनकी संख्या में किसी संभावित वृद्धि के लिए, इन लोगों को अधिक जमीन उपलब्ध कराना;

(ब) पहले से ही इन लोगों के नियंत्रण वाली जमीनों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी तरीकों की उपलब्धता।

भाग III : भरती और रोजगार की स्थितियां

धारा 20

1. राष्ट्रीय नियमों व नियंत्रणों के ढाँचे के अंदर और संबंधित लोगों के सहयोग से, इन लोगों के श्रमिकों की भरती व रोजगार की स्थितियों संबंधी प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अगर वे सामान्यतया श्रमिकों पर लागू होने वाले नियमों द्वारा प्रभावी रूप से संरक्षित नहीं होते हों, तो सरकारें विशेष तरीके ग्रहण करेंगी।

2. दूसरे श्रमिकों और संबंधित लोगों के श्रमिकों के बीच भेदभाव की रोकथाम के लिए सरकारें हर संभव प्रयास करेंगी, खासकर इस संबंध में :

(अ) प्रशिक्षित रोजगार सहित, रोजगार में प्रवेश, साथ ही तरक्की व बेहतरी के उपाय;

(ब) समान महत्व के काम के लिए समान वेतन;

(स) चिकित्सीय व सामाजिक सहायता, व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य, सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ और अन्य दूसरे पेशे संबंधी लाभ व आवास;

(द) सभी कानूनसम्मत ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए स्वतंत्रता और संगठन का अधिकार और मालिकों या मालिकों के संगठन के साथ सामूहिक समझौतों के निर्णय का अधिकार।

3. उठाए गए कदमों में यह सुनिश्चित करने के कदम शामिल होंगे :

(अ) कि खेती और दूसरे रोजगार में रत मौसमी, अल्पकालिक और घुमंतू श्रमिकों, साथ ही मजदूर ठेकेदारों द्वारा नौकरी प्राप्त श्रमिकों सहित, उसी क्षेत्रा में ऐसे ही अन्य श्रमिकों को राष्ट्रीय नियमों व व्यवहार द्वारा प्रदत्त संरक्षण का आनंद और उन्हें श्रमिक कानूनों के तहत अपने अधिकारों की तथा उन्हें उपलब्ध क्षतिपूर्ति के जरियों की पूरी जानकारी;

(ब) कि इन लोगों के श्रमिक अपने स्वास्थ्य के प्रति खतरनाक कार्य स्थितियों से प्रभावित न हों, खासकर कीटनाशकों या दूसरे विषैले पदार्थों के संपर्क के जरिए;

(स) कि इन लोगों के श्रमिक, बंधुआ मजदूरी और कर्ज के बदले गुलामी के दूसरे तरीकों द्वारा बलपूर्वक रोजगारों से प्रभावित न हों;

(द) कि इन लोगों के श्रमिक रोजगार में पुरुषों व महिलाओं के लिए समान अवसरों व समान व्यवहार का उपयोग करें और यौन उत्पीड़न से सुरक्षित रहें।

4. इस अनुबंध के इस भाग के प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करने के लिए, उन क्षेत्रों में, जहाँ संबंधित लोगों के श्रमिक वैतनिक रोजगार में लगे हैं, वहाँ पर्याप्त श्रमिक जाँच सेवाएं स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भाग IV : व्यावसायिक प्रशिक्षण, हस्तकला व कुटीर उद्योग

धारा 21

व्यावसायिक प्रशिक्षण के तरीकों के संबंध में, संबंधित लोगों के सदस्यों को कम से कम दूसरे नागरिकों के बराबर मौके देने होंगे।

धारा 22

1. सामान्य उपयोग के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमीं में संबंधित लोगों के सदस्यों की स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के कदम उठाने होंगे।

2. जहां कहीं वर्तमान में चल रहे सामान्य उपयोग वाले व्यावसायिक कार्यक्रम संबंधित लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, इन लोगों की भागीदारी के साथ सरकारें विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

3. कोई भी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, संबंधित लोगों के आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक व सांस्कृतिक हालातों और व्यावहारिक जरूरतों पर ही आधारित होगा। इससे संबंधित कोई भी अध्ययन इन लोगों के सहयोग से ही करना होगा, जिनसे ऐसे कार्यक्रमों के गठन व संचालन पर परामर्श करना होगा। जहां संभव हो, ऐसे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के गठन व संचालन की जिम्मेदारी शनैः शनैः ये लोग ही धारण करेंगे, अगर वे ऐसा निर्णय लेते हैं।

धारा 23

1. उनकी संस्कृतियों को बनाए रखने और उनकी आत्मनिर्भरता और विकास के लिए संबंधित लोगों की हस्तकलाओं, ग्रामीण व समुदाय आधारित उद्योग और जैसे शिकार करना, मछली पकड़ना, फंदा लगाना और कंद मूल इकट्ठा करना जैसे महत्वपूर्ण कारकों को मान्यता देनी होगी। इन लोगों की भागीदारी के साथ सरकारें जहां कहीं उचित हो इन क्रियाकलापों की मजबूती और बेहतरी सुनिश्चित करेंगी।

2. संबंधित लोगों के अनुरोध पर इन लोगों की टिकाऊ व न्यायसंगत विकास को ध्यान में रखते हुए, जहां कहीं संभव हो यथोचित तकनीकी व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगी।

भाग V : सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य

धारा 24

संबंधित लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाने के लिए इन योजनाओं को क्रमशः फैलाया जाएगा और ये उनके विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के लागू होंगी।

धारा 25

1. सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि संबंधित लोगों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी या उन्हें संसाधन उपलब्ध कराएंगी, ताकि वे अपनी खुद की जिम्मेदारी और नियंत्रण के तहत ऐसी सेवाओं के निर्माण व प्रदान द्वारा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के पर्याप्य उच्चतम मानकों का उपयोग कर सकें।

2. स्वास्थ्य सेवाएं यथासंभव समुदाय आधारित होंगी। ये सेवाएं उनकी आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हालातों के साथ-साथ उनके परंपरागत निरोधात्मक उपायों, रोग-प्रथाओं और दवाओं को ध्यान में रखकर संबंधित लोगों के सहयोग से आयोजित व प्रशासित होंगी।

3. स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं में, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख पर केंद्रबिंदु तथा स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के अन्य स्तरों के साथ मजबूत कड़ियां बरकरार रखते हुए, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण व रोजगार को प्राथमिकता देनी होगी।

4. ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं का प्रायः, देश में अन्य सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक उपायों के साथ तालमेल बिठाते हुए होगा।

भाग VI : शिक्षा और संचार के माध्यम

धारा 26

यह सुनिश्चित करने के कदम उठाने होंगे कि संबंधित लोगों के सदस्यों को सभी स्तरों पर शिक्षा हासिल करने के अवसर, कम से कम शोषण राष्ट्रीय समुदाय के बराबर आधार पर मिलेंगे।

धारा 27

1. इन लोगों के लिए शिक्षा कार्यक्रम व सेवाएं, उनके सहयोग से उनकी विशेष जरूरतों को संबोधित करते हुए विकसित और उनके ज्ञान व तकनालाजियां, उनके मूल्यों और उनकी सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का समावेश होगा।

2. सक्षम अधिकारी, इन लोगों के सदस्यों के प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी इस उद्देश्य के साथ सुनिश्चित करेंगे कि इन कार्यक्रमों के संचालन की जिम्मेदारी क्रमशरू इन लोगों को हस्तांतरित होगी।

3. इसके अतिरिक्त, सरकारें इन लोगों को उनकी अपनी शिक्षण संस्थाएं व सुविधाएं स्थापित करने के अधिकार को मान्यता देंगी बशर्ते कि ऐसी संस्थाएं, इन लोगों से सलाह-मशविरा करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थापित न्यूनतम मानकों को पूरा करती हों। इस उद्देश्य के लिए समुचित धन उपलब्ध कराया जाएगा।

धारा 28

1. जब भी व्यवहार्य हो, संबंधित लोगों के बच्चों को उनकी अपनी देशज और आदिवासी भाषा या वे जिस समूह के सदस्य हैं, उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सर्वाधिक प्रचलित भाषा में पढ़ना व लिखना सिखाया जाएगा। जब यह व्यवहार्य न हो तो सक्षम अधिकारी, इस उद्देश्य की प्राप्ति के तरीकों को ग्रहण करने की दृष्टि से इन लोगों के साथ सलाह-मशविरा करेंगे।

2. इन लोगों को राष्ट्रीय भाषा या देश की सरकारी भाषाओं में से एक में धाराप्रवाहिता हासिल करने के अवसर देना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

3. संबंधित लोगों की देशज/आदिवासी भाषाओं के विकास व व्यवहार के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए उपाय करने होंगे।

धारा 29

संबंधित लोगों के बच्चों की उनके अपने समुदाय और राष्ट्रीय समुदाय में पूरी भागीदारी में सहायता करने हेतु, सामान्य ज्ञान व हुनरों को प्रदान करना ही, इन लोगों की शिक्षा का उद्देश्य होगा।

धारा 30

1. उन्हें उनके अधिकारों व कर्तव्यों, खासकर श्रम संबंधी, आर्थिक अवसरों, शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी मामलों, सामाजिक सुरक्षा और इन अनुबंध से निकले उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए सरकारें संबंधित लोगों की परंपराओं व संस्कृतियों के अनुरूप तरीके ग्रहण करेंगी।

2. अगर आवश्यक हो तो यह कार्य लिखित अनुवादों के द्वारा और इन लोगों की भाषाओं में जन-संचार के उपयोग द्वारा करना होगा।

धारा 31

इन लोगों के संबंध में फैले और हो सकने वाले पूर्वाग्रहों को हटाने के उद्देश्य के साथ, राष्ट्रीय समुदाय के सभी तबकों के बीच और खासकर संबंधित लोगों के सबसे सीधे संपर्क में रहने वाले लोगों के बीच, शैक्षणिक उपाय करने होंगे। इसकी प्राप्ति के लिए, यह सुनिश्चित करने के प्रयत्न करने होंगे कि इतिहास की पाठ्य पुस्तकों और अन्य शैक्षणिक सामग्रियां, इन लोगों की संस्कृतियों व समाजों का एक सही, सटीक व सूचनात्मक चित्रण उपलब्ध कराएं।

भाग VII : सीमापार से संपर्क और सहयोग

धारा 32

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व पर्यावरणीय क्षेत्रों में क्रियाकलापों सहित, सीमापार के देशज व आदिवासी लोगों के बीच संपर्क व सहयोग को सरल बनाने के लिए सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के जरियों सहित समुचित उपाय करेंगी।

भाग VIII : प्रशासन

धारा 33

1. इस अनुबंध के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए जिम्मेदार सरकारी

अधिकारी संबंधित लोगों को प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए संस्थाओं या अन्य उपयुक्त कार्यविधियों के बरकरार रहने और उन्हें प्रदत्त कार्यों को सही ढंग से पूरा करने के लिए जरूरी जरियों का होना सुनिश्चित करेंगे।

2. इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे :

(अ) संबंधित लोगों के सहयोग से, इस अनुबंध में उपलब्ध उपायों के आयोजन, समन्वयन, संचालन और मूल्यांकन;

(ब) संबंधित लोगों के सहयोग से, सक्षम अधिकारियों के सम्मुख वैधानिक और अन्य उपायों को प्रस्तावित करना और किए गए उपायों को लागू करने का निरीक्षण।

भाग XI : सामान्य प्रशासन

धारा 34

इस अनुबंध को कार्यरूप देने के लिए किए गए उपायों की प्रकृति और दायरा, प्रत्येक देश की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, एक लचीले तरीके से निर्धारित होगा।

धारा 35

इस अनुबंध के प्रावधानों को लागू करने में, अन्य अनुबंधों और सिफारिशों, अंतर्राष्ट्रीय औजारों, संधियों या राष्ट्रीय नियमों, पंचाटों, परंपराओं या समझौतों में संबंधित लोगों को प्रदत अधिकार व फायदे, प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे।

भाग X : अंतिम प्रावधान

धारा 36

यह अनुबंध देशज व आदिवासी जनसंख्याओं के अनुबंध को संशोधित करता है।

धारा 37

इस अनुबंध का औपचारिक अनुमोदन, पंजीयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के महानिदेशक को प्रेषित होगा।

धारा 38

1. यह अनुबंध अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के केवल उन सदस्यों पर ही बंधनकारी होगा, जिन्होंने महानिदेशक के पास अनुमोदन का पंजीयन करा लिया है।

2. यह उस तारीख के बारह महीने बाद प्रभावी होगा जिस तारीख को महानिदेशक के पास दो सदस्यों के अनुमोदन का पंजीयन किया गया हो।

3. इसके बाद यह अनुबंध, किसी सदस्य के लिए उस तारीख के बारह महीने बाद प्रभावी होगा, जिस तारीख पर इसके अनुमोदन का पंजीयन किया गया है।

धारा 39

1. एक सदस्य, जिसने अनुबंध का अनुमोदन किया है, अनुबंध के सबसे पहले प्रभावी होने की तारीख से दस साल गुजर जाने के बाद, अंतराष्ट्रीय श्रम कार्यालय के महानिदेशक को प्रत्याख्यान के पंजीयन की जानकारी भेज कर ही इससे अलग हो सकता है। ऐसा प्रत्याख्यान, पंजीयन होने की तारीख से एक साल पहले तक प्रभावी नहीं होगा।

2. इस संधि को अनुमोदित करने वाला हरेक सदस्य, जो पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित दस साल की अवधि के गुजर जाने के बाद, इस धारा में उपलब्ध कराए गए प्रत्याख्यान के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता है, अगले दस सालों की अवधि के लिए इससे बाध्य होगा, इसके बाद अनुबंध में उपलब्ध कराई गई शर्तों के तहत, प्रत्येक दस सालों के गुजरने के बाद इसका प्रत्याख्यान कर सकता है।

थारा 40

1. अंतराष्ट्रीय श्रम कार्यालय का महानिदेशक, संगठन के सदस्यों द्वारा सभी अनुमोदनों व प्रत्याख्यानों के पंजीयन की उसे भेजी गई जानकारी के बाबत, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सभी सदस्यों को अधिसूचित करेगा।

2. संगठन के सदस्यों को, उसे भेजे गए दूसरे अनुमोदनों के पंजीयन की अधिसूचना देते समय, महानिदेशक अनुबंध के प्रभावी होने की तारीख के बारे में संगठन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करेगा।

धारा 41

राष्ट्र संघ चार्टर की धारा 102 के अनुसार, अंतराष्ट्रीय श्रम कार्यालय का महानिदेशक, पूर्ववर्त्ती धाराओं के प्रावधानों के अनुरूप उसके द्वारा पंजीकृत सभी

अनुमोदनों और प्रत्याख्यानों का पूर्ण विवरण राष्ट्र संघ को प्रेषित करेगा।

धारा 42

अंतराष्ट्रीय श्रम कार्यालय की प्रबंध समिति, आवश्यक समझी गई अवधियों पर इस अनुबंध की कार्यप्रणाली पर एक रपट सामान्य बैठक में प्रस्तुत करेगी और इसके पूर्ण या कुछ भागों में संशोधन के प्रश्न की वांछनीयता को बैठक की कार्यसूची में रखने की जाँच करेगी।

धारा 43

1. अगर सभा इस पूरे अनुबंध या इसके भागों को संशोधित करते हुए एक नया अनुबंध ग्रहण करती है, तो अगर नए अनुबंध में अन्यथा उपलब्ध न कराया गया हो, तब तक :

(अ) उपरोक्त धारा 39 के प्रावधानों के बावजूद, जब कभी भी नया संशोधित अनुबंध प्रभावी होगा, इस अनुबंध की कानूनन समाप्ति, किसी सदस्य द्वारा नए संशोधित अनुबंध के अनुमोदन से जुड़ी होगी;

(ब) नया संशोधित अनुबंध जिस तारीख से प्रभावी होगा, तभी से यह अनुबंध सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए खुला नहीं रहेगा।

2. किसी भी मामले में उन सदस्यों के लिए, जिन्होंने इसे अनुमोदित किया है, लेकिन नए संशोधित अनुबंध का अनुमोदन नहीं किया है, यह अनुबंध अपने स्वरूप और विषयवस्तु में प्रभावी बना रहेगा।

धारा 44

इस अनुबंध के अंग्रेजी व फ्रांसीसी संस्करण के मूलपाठ समान रूप से आधिकारिक हैं।

□

राष्ट्र संघ की आम सभा

45/164, दुनिया के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष
आम सभा

इस बात को दिमाग में रखते हुए कि राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र में तय उद्देश्यों में से एक था आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवीय चरित्र की अंतराष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में जाति, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर बगैर किसी भेदभाव के सभी को बुनियादी स्वतंत्रता व अधिकारों के प्रोत्साहन व बेहतरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त होगा।

25 मई 1990 को आर्थिक व सामाजिक परिषद के निर्णय 1990/248 में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कि साधारण सभा 1993 को दुनिया के आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की तरह घोषित करे,

1. सन् 1993 को आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करती है, ताकि आदिवासी लोगों द्वारा मानव-अधिकारों, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि जैसे क्षेत्रों में सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया जा सके;

2. सदस्य राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए आमंत्रित करती है कि इस वर्ष के लिए तैयारियां की जाएं,

3. सिफारिश करती है कि राष्ट्र संघ की विशेषज्ञ संस्थाओं, क्षेत्रीय आयोग और अन्य संगठनों के विचार में, दुनिया के आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को सफल बनाने में वे क्या योगदान दे सकते हैं;

4. आदिवासी लोगों के और दूसरे रुचि रखने वाले गैर-सरकारी संगठनों को इस बाबत विचार करने के लिए आमंत्रित करती है कि इस वर्ष की सफलता के लिए वे क्या योगदान दे सकते हैं, इस धारणा के साथ कि उन्हें मानव अधिकार आयोग को प्रस्तुत किया जा सके।

5. वर्ष के संबंध में संभावित राष्ट्र संघ गतिविधियों पर, मानव अधिकारों पर

आयोग के सैंतालीसवें सत्र में विचार करने का अनुरोध करती है;

6. अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए गतिविधियों के कार्यक्रमों के धन देने के उद्देश्य के लिए सरकारी, अंतसरकारी संगठनों और आदिवासी व गैर-आदिवासी संगठनों के स्वैच्छिक योगदानों की देखभाल व स्वीकृति के लिए महासचिव को अधिकृत करती है;

7. सामाजिक व आर्थिक और विशेषज्ञ संस्थाओं की सिफारिशों पर आधारित गतिविधियों के प्रारूप कार्यक्रम को आम सभा के छियालिसवें सत्र में प्रस्तुत करने के लिए महासचिव से अनुरोध करती है;

8. "दुनिया के आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की तैयारियां व संगठन" के शीर्षक वाला एक विषय, छियालिसवें सत्र की अंतरिम कार्यसूची में शामिल करने का निर्णय लेती है।

69 वीं पूर्ण बैठक
18 दिसंबर 1990

□

मानव अधिकार आयोग
(सैतालीसवां सत्र)

1991/57, दुनिया के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष

मानव अधिकार आयोग

इस बात को दिमाग में रखते हुए कि राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में तय उद्देश्यों में एक था, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवीय चरित्र की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में जाति, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर बगैर किसी भेदभाव के सभी को बुनियादी स्वतंत्रता व अधिकारों के प्रोत्साहन व बेहतरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त होगा।

18 दिसंबर 1990 के साधारण सभा संकल्प 45/164 पर ध्यान देते हुए, जिसमें सभा द्वारा 1993 को आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था ताकि आदिवासी लोगों द्वारा मानव-अधिकारों, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे क्षेत्रों में सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया जा सके।

5 दिसंबर 1980 को ग्रहण किए गए सामान्य सभा निर्णय 35/424 में अंतर्राष्ट्रीय वर्षों और वार्षिकोत्सवों की दिशानीतियों को ध्यान में रखते हुए, दुनिया के आदिवासी लोगों की संस्कृतियों और सामाजिक संगठनों के मूल्यों और विविधताओं को मान्यता देते हुए,

1. सिफारिश करता है कि राष्ट्र संघ की विशेषज्ञ संस्थाओं, क्षेत्रीय आयोगों और अन्य संगठनों को निर्देश दिए जाएं कि उनके विचार में, दुनिया के आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को सफल बनाने में वे क्या योगदान दे सकते हैं और कैसे :

(अ) उनकी संचालनात्मक गतिविधियां ज्यादा प्रभावी तरीके से आदिवासी लोगों द्वारा झेली जा रही समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती हैं;

(ब) आदिवासी लोग अपने को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं की योजना बनाने, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते है। सदस्य राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए उनकी पहलों और प्रस्तावित विषयों को महासचिव को सूचना देने के लिए आमंत्रित करता है।

2. अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की गतिविधियों और विषयों के संबंध में सदस्य राष्ट्रों को आदिवासी लोगों और उनके साथ काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों से सलाह मशविरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है;

4. साधारण सभा द्वारा संकल्प के 45/164 के अनुरोध पर, महासचिव से अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए गतिविधियों के कार्यक्रम बनाने, भेदभाव की रोकथाम और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर उपआयोग तथा आदिवासी जनसंख्याओं पर कार्यदल के कामकाज की समीक्षा करने और गतिविधियों के कार्यक्रम के प्रारूप के समन्वय और क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट सिफारिशों पर विचार करने का अनुरोध करता है;

5. अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए गतिविधियों के कार्यक्रमों को धन देने के उद्देश्य के लिए महासचिव से सरकारों, अंतर्सरकारी संगठनों और आदिवासी व गैर आदिवासी संगठनों के स्वैच्छिक योगदानों की देखभाल व स्वीकार करने का अनुरोध करता है।

53 वीं बैठक
6 मार्च 1991

□

दुनिया के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष

आम सभा

इस बात को दिमाग में रखते हुए कि राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में तय उद्देश्य में से एक आर्थिक, सामाजिक या मानवीय चरित्र की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में जाति लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर बगैर किसी भेदभाव के सभी को बुनियादी स्वतंत्रता व अधिकारों के प्रोत्साहन व बेहतरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त होगा;

18 दिसंबर 1990 की आम सभा संकल्प 45/164 पर जोर देते हुए, जिसमें 1993 को दुनिया के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, ताकि आदिवासी लोगों द्वारा मानव अधिकारों, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया जा सके;

5 दिसंबर 1980 को ग्रहण किए गए सामान्य सभा निर्णय 35/424 में अंतर्राष्ट्रीय वर्षों और वार्षिकोत्सवों की दिशानीतियों को ध्यान में रखते हुए, 6 मार्च 1991 को मानव अधिकारों पर आयोग के संकल्प 1991/57 को दिमाग में रखते हुए; मानव अधिकारों पर आयोग के संकल्प 1991/57 की प्रतिक्रिया में, राष्ट्र संघ बाल कोष के कार्यकारी बोर्ड के संकल्प 1991/7 और राष्ट्र संघ विकास परिषद की प्रबंध परिषद के संकल्प 1991/12 में उठाई गई पहलों को संतुष्टि के साथ दर्ज करते हुए;

5 सितंबर 1991 से आदिवासी व आदिवासी लोगों पर अनुबंध 1989 (सं. 169) के प्रभावशील हो जाने को दर्ज करते हुए;

आदिवासी लोगों और उनके समुदायों के स्वविकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी व आर्थिक सहयोग प्राप्त करने की दिशा में दुनिया के आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का मौका देने के संबंध में पर्यावरण व विकास पर राष्ट्र संघ बैठक की आयोजना समिति के 4 सितंबर 1991 के निर्णय 3/7 का स्वागत करते हुए;

भेदभाव की रोकथाम और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर उपआयोग के तिरालीसवें सत्र के दूसरे कार्य पर्चे की मंजूरी की जानकारी रखते हुए, 1993 में आयोजित होने वाली मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन की तैयारी प्रक्रिया के प्रति सतर्क रहते हुए, दुनिया के आदिवासी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की तैयारियों के संबंध में महासचिव की रपट दर्ज करते हुए, दुनिया के आदिवासी लोगों की संस्कृतियों व सामाजिक संगठनों की विविधता व मूल्यों को मान्यता देते हुए,

1. आम सभा की छियालीसवीं बैठक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए

'आदिवासी लोग - एक नई सहभागिता' की विषयवस्तु घोषित करने के लिए महासचिव से अनुरोध करती है;

2. सिफारिश करता है कि राष्ट्र संघ की विशेषज्ञ संस्थाओं, क्षेत्रीय आयोगों और अन्य संगठनों को निर्देश दिए जाएं कि उनके विचार में दुनिया के आदिवासी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को सफल बनाने में वे क्या योगदान दे सकते हैं और कैसे;

(अ) उनकी संचालनात्मक गतिविधियां ज्यादा प्रभावी तरीके से आदिवासी लोगों द्वारा झेली जा रही समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती हैं;

(ब) आदिवासी लोग अपने को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं की योजना बनाने, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं;

3. इस वर्ष के लिए गतिविधियों के संबंध में आदिवासी लोगों और उनके साथ काम करने वाले गैर आदिवासी संगठनों से सलाह मशविरा करने के लिए राष्ट्रों को प्रोत्साहित करती है;

4. उनके द्वारा उठाए गए कदमों की सूचना महासचिव को देने के लिए एक बार फिर आमंत्रित करती है;

5. दुनिया के आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए गतिविधियों के संलग्न (परिशिष्ट) कार्यक्रम को ग्रहण करती है;

6. मानव अधिकारों पर उपमहासचिव को अंतराष्ट्रीय वर्ष के समन्वयक की तरह नियुक्त करने की सिफारिश करती है, जिसके कार्य दायित्व, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यालय के साथ-साथ मानव-अधिकारों के लिए केंद्र को सौंपी जाएं।

7. वित्तीय व विकास संस्थाओं सहित राष्ट्र संघ जैसे तत्वों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए समन्वयक से अनुरोध करता है;

8. निर्णय करती है :

(अ) कि समन्वयक राष्ट्रों, आदिवासी लोगों के संगठनों और आदिवासी लोगों में खास रुचि रखने वाले दूसरे गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधित्व के साथ संस्थाओं, क्षेत्रिय आयोगों और राष्ट्र संघ के दूसरे प्रासंगिक संगठनों की एक तकनीकी बैठक 1992 के शुरू में आयोजित करेगा;

(1) आदिवासी लोगों के लिए खास महत्व व प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों, क्षेत्रों व दक्षताओं/क्षमताओं की पहचान करने के लिए; (2) 1993 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष

के भाग के रूप में क्रियान्वयन करने वाली विशेष योजनाओं के खास उद्देश्य पर सहमति प्राप्त करना और वर्ष के उद्देश्य व विषयवस्तु के साथ उनकी अनुरूपता सुनिश्चित करना, (3) प्रचलित योजना निर्देशों पर विचार करना और 1993 में ली जाने वाली योजनाओं की शुरुआत, डिजाईन और क्रियान्वयन में आदिवासी लोगों को शामिल करने के प्रभावी तरीकों की सिफारिश करना; (4) 1993 में और उसके बाद आदिवासी लोगों की भागीदारी वाली योजनाओं के मूल्यांकन के लिए समुचित तरीकों व कारकों के सुझाव देना; (5) उपरोक्त के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी वित्तीय प्रावधानों पर विचार करना, अगर कोई हों तो, (6) तकनीकी बैठक के नतीजों पर, मानव-अधिकारों पर आयोग के उन्चालीसवें सत्र में रपट देना;

(ब) भेदभाव की रोकथाम और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर उपआयोग तथा आदिवासी लोगों पर कार्यदल के चल रहे कामकाज को ध्यान में रखना जारी रहना,

(स) 1992 के सैंतालीसवें सत्र में दुनिया के आदिवासी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए उदघाटन समारोह संचालित करना;

9. ऐसे तरीकों पर विचार करना जिनके द्वारा वे राष्ट्र, जो इस स्थिति में हैं, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में राष्ट्र संघ कामों मे सहायता देने के लिए संसाधन उपलब्ध करा सकते है। उदाहरण के लिए उपयुक्त स्टाफ की अनुशस्ति द्वारा,

10. महसचिव द्वारा उद्घाटित अंतराष्ट्रीय वर्ष के लिए स्वैच्छिक धन देने में राष्ट्रों, अंतर्शासकीय संगठनों, गैरसरकारी संगठनों व आदिवासी लोगों से दृढ़तापूर्वक अनुरोध करते हैं;

11. समन्वयक के दायित्व के क्रियान्वयन में आवश्यक सहायता देने की महासचिव से प्रार्थना करते हैं;

12. अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के कार्यक्रमों व योजनाओं में भागीदार पार्टियों की एक बैठक आयोजित करने के लिए मानव अधिकारों के आयोग से प्रार्थना करते हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बाद गतिविधियों से निकाले जा सकने वाले निर्णयों का आकलन हो।

17 दिसंबर 1991

परिशिष्ट

दुनिया के आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की गतिविधियों के कार्यक्रम

1. अंतराष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियां

क. *अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तहत की गतिविधियों के लिए सामान्य दिशा तय करने में राष्ट्र संघ अवलोकन*

(अ) सामान्य सभा के सैंतालीसवें सत्र के दौरान न्यूयार्क में महासचिव द्वारा औपचारिक उद्घाटन दिवस समारोह;

(ब) राष्ट्रों व सरकारों के प्रधानाध्यक्षों, राष्ट्र संघ संस्थाओं के कार्यकारी अध्यक्षों और मुख्य समुदायों के अध्यक्षों द्वारा समर्थन के संदेश;

(स) जेनेवा में मानव अधिकारों पर आयोग के उन्चालीसवें सत्र के दौरान एक औपचारिक दिवस का आयोजन;

द) राष्ट्र संघ डाक प्रशासन द्वारा "आदिवासी लोग - एक नई भागीदारी", "दुनिया के आदिवासी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1993" पर नारों के साथ वाक्य जारी करना;

(ई) अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के दौरान गतिविधियों के संबंध में उपयोग के लिए किसी आदिवासी कलाकार द्वारा एक प्रतीक चिन्ह बनाना;

ख. *राष्ट्र संघ सचिवालय के जन-सूचना विभाग द्वारा समन्वयक के सहयोग और आदिवासी संगठनों की सलाह पर योजनाएं बनाना व गतिविधियां चलाना।*

(अ) आदिवासी लोगों की विश्वव्यापी विविधता पर प्रकाश डालते हुए एक लेख का, और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपने वाले पोस्टर की ही डिजाइन का उपयोग करते हुए एक सार्वजनिक सूचना का सभी भाषाओं में प्रकाशन व वितरण;

(ब) स्थानीय भाषाओं में मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का प्रकाशन;

(स) सामान्य और गैर-आदिवासी श्रोताओं के लिए सचिवालय के जन सूचना विभाग की रेडियो श्रृंखलाओं में विशेष कार्यक्रमों का निर्माण व वितरण;

(द) राष्ट्र संघ सूचना केंद्रों, गैर-सरकारी संगठनों, स्कूलों, संचार-माध्यमों और आम जनता के लिए वर्ष पर एक सचित्र लघु पुस्तिका (ब्रोशर) का सभी 6 सरकारी भाषाओं में प्रकाशन।

ग. *राष्ट्र संघ की गतिविधियां*

(अ) आदिवासी समुदायों द्वारा मानव-अधिकारों, पर्यावरण, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सामने आने वाली समस्याओं के निदान के लिए राष्ट्र संघ संस्थाओं द्वारा समन्वय, सहयोग और तकनीकी सहायता को बढ़ाना। इस संबंध में सिफारिश की जाती है कि राष्ट्र संघ की संचालनात्मक संस्थाएं सहयोग के संभावित नए क्षेत्रों का, खासकर तकनीकी व आर्थिक सहायता की संभावनाओं का पता लगाएं;

(ब) आदिवासी लोगों की इच्छाओं के अनुरूप आदिवासी समुदायों की ठोस योजनाओं को वित्तीय सहायता देना, जो समुदाय को सीधा फायदा पहुँचा सकती है;

(स) वर्ष के उद्देश्यों से संबंधित क्षेत्रों में राष्ट्र संघ के कार्य का, खासकर आदिवासी समुदायों के लिए, प्रचार को बढ़ाना;

(द) वर्ष के उद्देश्यों से संबंधित, प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की मौजूदगी के बाबत चेतना बढ़ाना और उनके व्यापक अनुमोदन व क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करना;

(य) कुछ खास क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य देखरेख, द्विभाषाई शिक्षा संसाधन, पर्यावरण प्रबंध में सूचनाओं व अनुभव के आदान प्रदान के लिए आदिवासी संगठनों व समुदायों के केंद्र स्थापित करना;

(र) दुनिया भर में आदिवासी समुदायों के फायदों के लिए चलाए जाने वाली योजनाओं में संबंधित अनुभवों वाले आदिवासी संगठनों व लोगों के अनुबंध का समर्थन लेना;

(ल) आदिवासी जनसंख्याओं पर कार्यदल के अगले दो सत्र पश्चिमी अर्ध-गोलार्ध और एशिया प्रशांत क्षेत्र में करवाने की संभावनाओं का परीक्षण करना;

(व) आदिवासी उत्पादों के एक अंतराष्ट्रीय व्यापार मेले की प्रोत्साहित करना;

(च) उन सरकारों को तकनीकी सहायता देना, जो अपने कानूनों में आदिवासी लोगों के मानव-अधिकारों, खासकर जमीन के प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण और जातीय पहचान को मजबूत करने के प्रावधान बनाने की इच्छा जाहिर करें और ऐसे कानूनों के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

2. राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियां

सदस्य देशों को अपनी विशेष परिस्थितियों के प्रकाश में अपने विकासीय उद्देश्यों को स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारित करने के अधिकार के अनुरूप, वर्ष की सफलता के लिए निम्न उपायों को ग्रहण करने पर विचार करने हेतु आमंत्रित करती है;

(अ) सरकारें समुचित मंत्रलय में एक संपर्क व्यक्ति के मनोनीत कर सकती हैं और गतिविधियों के राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने के लिए सरकारी, गैर-सरकारी व आदिवासी प्रतिनिधित्व से बनी राष्ट्रीय समितियां गठित कर सकती है।

(ब) सूचना व शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा सरकारें जन-चेतना फैला सकती हैं। इनमें आदिवासी लोगों द्वारा या उन पर पर्चे, पोस्टर या किताब का प्रकाशन; आदिवासी लोगों के मूल्यों, इतिहास व आकांक्षाओं पर एक शैक्षिक किताब, राष्ट्रीय रेडियो व टी वी पर विशेष कार्यक्रम, आदिवासी अध्ययनकर्ताओं द्वारा आदिवासी लोगों पर शोधों के लिए धन व पुरस्कार देना; बैठकें व सम्मेलन आयोजित करना शामिल है;

(स) रेडियो व टी.वी. और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आवास और पर्यावरण पर आदर्श योजनाओं जैसे क्षेत्रों में सरकारें आदिवासी पहलों को प्रोत्साहित कर सकती हैं;

(द) सरकारें, आदिवासी लोगों की भागीदारी के साथ देश में उनकी वर्तमान स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में शुरू की गई गतिविधियों की सूचनाएं प्रस्तुत कर सकती हैं;

(य) अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के संबंध में ली गई सर्भ गतिविधियों की तैयारियों व क्रियान्वयन में सरकारें आदिवासी लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकती हैं;

(र) आदिवासी संगठनों व समुदायों को अपने खुद के गतिविधियों के कार्यक्रम और निम्न उपायों को प्रोत्साहित कर सकती हैं; -

(1) राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जाने वाली गतिविधियों के संगठन और क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी सरल बनाने के विचार से, वर्ष के लिए संपर्क बिंदुओं व समितियों में स्थापना;

(2) प्रकाशनों, प्रदर्शनियों, शैक्षिक मसौदों, बैठकों, सांस्कृतिक घटनाओं और प्रशिक्षण कोर्सों सहित गतिविधियों के कार्यक्रमों की सूचना तैयार करना। ऐसी गतिविधियों के लिए सहायता अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों से मांगी जानी चाहिए।

(3) आदिवासी समुदाय, विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। ऐसी गतिविधियों के लिए सहायता अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों से मांगी जानी चाहिए।

□

आदिवासी लोगों पर संयुक्त राष्ट्र कार्यदल द्वारा स्वीकृत आदिवासी अधिकार घोषणा प्रारूप

ग्यारहवां सत्र 1993

यह प्रारूप दृढ़ता से कहता है कि आदिवासी लोग गरिमा और अधिकारों में सभी दूसरे लोगों के समान हैं और सभी लोगों के विभिन्न होने के अधिकार, अपने आपको भिन्न मानने के अधिकार हैं और इसी तरह यह सम्मानित किए जाने के अधिकार को मान्यता देता है।

यह, यह भी दृढ़ता से कहता है कि सभी लोग सभ्यताओं और संस्कृतियों की विविधता और संपन्नता में योगदान देते हैं, जो कि मानवता की साझी विरासत बनाती है।

और आगे यह दृढ़ता से कहता है कि राष्ट्रीय उत्पत्ति, जातीय, धार्मिक, नस्ली या सांस्कृतिक विभिन्नता के आधार पर लोगों या व्यक्ति की श्रेष्ठता की वकालत या उन पर आधारित सिद्धान्त, नीतियां व व्यवहार नस्लवादी, वैज्ञानिक रूप से गलत, कानूनन अवैध, नैतिक रूप से भर्त्सनीय और सामाजिक रूप से अन्यायपूर्ण हैं।

पुनः यह यह भी दोहराता है कि अपने अधिकारों के व्यवहार में आदिवासी लोगों को किसी भी तरह के भेदभाव से स्वतंत्र होना चाहिए।

यह चिंतित है कि आदिवासी लोगों को उनके मानवीय अधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रता से (जिसके चलते उनके उपनिवेशीकरण का सिलसिला चला) और उन्हें उनकी जमीनों, सीमाओं व संसाधनों पर स्वामित्व से वंचित किया गया और इस तरह उनकी खुद की जरूरतों व हितों के अनुरूप विकास करने के उनके अधिकार के प्रयोग को रोका गया है। यह प्रारूप आदिवासी लोगों की विशिष्टताओं और अंत निहित अधिकारों, खासकर उनकी जमीनों, सीमाओं व संसाधनों पर उनके अधिकारों-जो उनके राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक संगठनों तथा संस्कृतियों, आध्यात्मिक परंपराओं, इतिहास और दर्शन से निकलते है--को तत्काल प्रोत्साहित व सम्मानित करने की आवश्यकता को मान्यता देता है।

यह इस तथ्य का स्वागत करता है कि भेदभाव व दमन के सभी स्वरूपों, जहां कहीं वे होते हैं, के खात्मे की शुरुआत के लिए और राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए आदिवासी लोग अपने आप को संगठित कर रहे हैं।

यह संतुष्ट है कि उन्हें प्रभावित करने वाले विकासों और उनकी जमीनी सीमाओं और संसाधनों पर आदिवासी लोगों के नियंत्रण से वे अपनी संस्थाओं, संस्कृतियों

और परंपराओं को मजबूती देने और बरकरार रखने में तथा अपनी आकांक्षाओं और जरूरतों के अनुरूप अपने विकास को बढ़ाते जाने में समर्थ होंगे।

यह इसे भी मान्यता देते हुए कि आदिवासी ज्ञान, संस्कृति व परंपराओं के सम्मान, निरंतर और न्यायपूर्ण विकास और पर्यावरण के सही प्रबंध में योगदान देते हैं। यह जोर देता है कि आदिवासी लोगों की जमीनों व सीमाओं के निशस्त्रीकरण की जरूरत से दुनिया के लोगों और देशों के बीच शांति, आर्थिक व सामाजिक उन्नति व विकास, आपसी समझ और भाईचारे को योगदान मिलेगा। यह प्रारूप खासकर आदिवासी परिवारों व समुदायों के अपने बच्चों को बड़ा करने, प्रशिक्षित करने, शिक्षा व भलाई के लिए उनकी साझी जिम्मेदारी को बनाए रखने के अधिकार को मान्यता देता है।

यह विचार करता है कि आदिवासी लोगों और राज्यों के बीच संधियां, समझौते और दूसरे प्रबंध अंतर्राष्ट्रीय चिंता और जिम्मेदारी के मामले हैं।

यह स्वीकार करता है कि राष्ट्र संघ का घोषणापत्र, अनुबंध और नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध सभी लोगों के स्वयं निर्णय लेने के अधिकार के बुनियादी महत्व की पुष्टि करते हैं, जिसके द्वारा वे और आजादी से अपने आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाते हैं।

दिमाग में रखते हुए कि इस घोषणा में ऐसा कुछ नहीं है जिसका उपयोग किन्हीं भी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार से उन्हें वंचित करने के लिए किया जा सकता है।

प्रोत्साहित करते हुए कि देश सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का--खासकर आदिवासी लोगों पर लागू होने वाले मानव अधिकारों से संबंधित-पालन व प्रभावी क्रियान्वन संबंधित लोगों की भागीदारी के साथ करें।

जोर देते हुए कि आदिवासी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा व समृद्धि में राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण व निरंतर भूमिका है।

विश्वास करते हुए कि यह घोषणा आदिवासी अधिकारों व स्वतंत्रता की सुरक्षा, बेहतरी व मान्यता की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम है इस क्षेत्र में राष्ट्र संघ की प्रासंगिक गतिविधियों के विकास में है।

आदिवासी लोगों के अधिकारों पर राष्ट्रसंघ घोषणा सत्यनिष्ठा से यह घोषित करता है :

भाग I

धारा 1 : आदिवासी लोगों को राष्ट्र संघ के घोषणापत्र, मानव अधिकार नियम में मान्यताप्राप्त सभी मानव-अधिकारों व बुनियादी स्वतंत्रता के पूर्ण व प्रभावी उपयोग का अधिकार है।

धारा 2 : आदिवासी लोग व व्यक्ति गरिमा व अधिकारों में सभी दूसरे लोगों व व्यक्तियों के बराबर व स्वतंत्र हैं और उन्हें किसी भी तरह के प्रतिकूल भेदभाव, खासकर आदिवासी उत्पति या पहचान के आधार पर स्वतंत्र रहने का अधिकार है।

धारा 3 : आदिवासी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार है। इस अधिकार के चलते वे स्वतंत्रतापूर्वक अपनी राजनीतिक हैसियत निर्धारित करते हैं और अपने आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास को स्वतंत्रतापूर्वक जारी रखते हैं।

धारा 4 : आदिवासी लोगों को अपनी खास राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विशिष्टताओं को बनाए रखने व मजबूत करने का अधिकार है। साथ ही अगर उनकी इच्छा हो तो देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में पूर्ण भागीदारी के साथ अपने अधिकार को बनाए रखने के कानूनी तंत्र का अधिकार रख सकते हैं।

धारा 5 : हर आदिवासी व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है।

भाग II

धारा 6 : शांति और सुरक्षा में रहने और नरसंहार या हिंसा के किसी दूसरे कार्य, जिसमें किसी बहाने से उनके परिवारों व समुदायों से आदिवासी बच्चों को हटाना शामिल है, के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी का सामूहिक अधिकार है। इसके अतिरिक्त जीवन, भौतिक व मानसिक अखंडता, आजादी व व्यक्ति की सुरक्षा का व्यक्तिगत अधिकार है।

धारा 7 : *आदिवासी लोगों को नरसंहार या सांस्कृतिक संहार का शिकार न होने के सामूहिक व व्यक्तिगत आधिकार है, जिनमें निम्न की रोकथाम व निवारण शामिल है :*

(अ) कोई भी ऐसा काम जिसका उद्देश्य या प्रभाव विशिष्ट लोगों के बतौर उनकी अखंडता या उनके सांस्कृतिक मूल्यों या उनकी जातीय पहचानों से उन्हें वंचित करता हो;

(ब) कोई भी ऐसा काम जिसका उद्देश्य या प्रभाव उन्हें उनकी जमीनों, सीमाओं या संसाधनों से वंचित करता हो;

(स) किसी भी तरह का जनसंख्या स्थानांतरण जिसका उददेश्य या प्रभाव उनके किसी भी अधिकार को क्षति पहुंचाता है या उसका उल्लंघन करता हो;

(द) कानूनी, प्रशासनिक या अन्य जरियों द्वारा उन पर अन्य संस्कृतियों या जीवन शैलियों को थोपकर उनके विलीनीकरण के किसी भी तरीके का;

(ई) उनके विरूद्ध किसी भी तरह का दुष्प्रचार।

धारा 8 : आदिवासी लोगों को अपनी विशिष्ट पहचान और विशेषताएं बरकरार रखने और विकसित करने का सामूहिक व व्यक्तिगत अधिकार है, जिनमें आदिवासी की तरह अपनी पहचान और इसी तरह मान्यता दिए जाने का अधिकार शामिल है।

धारा 9 : आदिवासी लोगों व व्यक्तियों को अपने राष्ट्र या समुदाय की परंपराओं व मान्यताओं के अनुरूप एक आदिवासी समुदाय या राष्ट्र का निवासी होने का अधिकार है। इस अधिकार के प्रयोग से उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए।

धारा 10 : आदिवासी लोगों को उनकी जमीनों या सीमाओं से जबर्दस्ती नहीं हटाया जाना चाहिए। संबंधित आदिवासी लोगों की स्वतंत्र व सूचित स्वीकृति के बाद और न्यायपूर्ण व उचित मुआवजे के समझौते के बाद ही ऐसा विस्थापन होगा, जिसमें अगर संभव हो, तो लौटने का विकल्प होगा।

धारा 11 : सैन्य संघर्ष के समय आदिवासी लोगों को विशेष सुरक्षा व संरक्षण का अधिकार होगा। आकस्मिक व सैन्य संघर्षों की परिस्थितियों में नागरिक आबादी की सुरक्षा के लिए राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय नियमों, खासकर चौथे जेनेवा अनुबंध (1949) का पालन करना होगा।

और क्या नहीं करना होगा :

(अ) आदिवासी व्यक्तियों की इच्छा के विरुद्ध सशस्त्र बलों में उनकी भर्ती, और खासकर, दूसरे आदिवासी लोगों के विरुद्ध उनका उपयोग;

(ब) किसी भी परिस्थिति में आदिवासी बच्चों की सशस्त्र बलों में भर्ती,

(स) आदिवासी व्यक्तियों को अपनी जमीनों, सीमाओं या भरणपोषण के तरीकों को छोड़ने के लिए दबाव डालना या सैनिक उद्देश्यों के लिए उन्हें विशेष केंद्रों में बसाना,

(द) किसी भी भेदभावपूर्ण परिस्थिति में आदिवासी व्यक्तियों को सैनिक उद्देश्यों के लिए काम करने पर मजबूर करना।

भाग III

धारा 12 : आदिवासी लोगों को अपनी सांस्कृतिक परंपराओं व मान्यताओं के पालन व उन्हें पुनर्जीवित करने का अधिकार है। इसमें भूत, वर्तमान व भविष्य की पुरातत्वीय व ऐतिहासिक स्थलों, डिजाइनों, समारोहों, तकनालाजियों, दृश्य, कला व साहित्य जैसी उनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को बरकरार, सुरिक्षत व विकसित करने का अधिकार शामिल है। साथ ही उनकी स्वतंत्र व सूचित सहमति के बगैर या उनके नियमों, परंपराओं व धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत को वापस पाने का अधिकार भी शामिल है।

धारा 13 : आदिवासी लोगों को अपनी आध्यात्मिक व धार्मिक परंपराओं, मान्यताओं व समारोहों के पालन, प्रदर्शन, विकास और शिक्षण का अधिकार है; उनके धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों को बरकरार रखने, विकसित करने और उनकी पहुंच तक गोपनीयता का अधिकार है; समारोह की वस्तुओं के उपयोग व नियंत्रण का अधिकार है; और मानव अवशेषों को अपने देश वापस भेजने का अधिकार है।

संबंधित आदिवासी लोगों के सहयोग से राजसत्ता शमशान सहित आदिवासी पवित्र स्थलों के संरक्षण, सम्मान व सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाएगी।

धारा 14 : आदिवासी लोगों को अपने इतिहास, भाषा, मौखिक परंपराओं, दर्शन, लिपि और साहित्य को पुनर्जीवित करने, उपयोग करने, विकसित करने और उन्हें अपनी भावी पीढ़ियों को सौंपने का अधिकार है। साथ ही समुदायों, जगहों और लोगों को खुद के नाम देने और उसे बरकरार रखने का अधिकार है।

जब कभी आदिवासी लोगों पर संकट पड़े, तो इस अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने में राजसत्ता प्रभावी कदम उठाएगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि जिससे व्याख्या के द्वारा या दूसरे उचित तरीकों से वे राजनीतिक, कानूनी व प्रशासनिक कार्यवाही को समझ सकें और उसमें इन्हें समझा जा सके।

भाग IV

धारा 15 : आदिवासी बच्चों को राज्य की शिक्षा के सभी स्तरों व स्वरूपों का अधिकार है। सभी आदिवासी लोगों को भी यह अधिकार है और उनकी खुद की भाषाओं में सीखने व पढ़ाने के उनके सांस्कृतिक उपायों से उचित तालमेल बिठाते हुए शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित व नियंत्रित करने का अधिकार है।

उनके समुदायों से बाहर रहने वाले बच्चों को अपनी खुद की संस्कृति व भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

इन उद्देश्यों के लिए समुचित संसाधन मुहैया कराने के लिए राजसत्ता प्रभावी

कदम उठाएगी।

धारा 16 : आदिवासी लोगों को शिक्षा व जनसूचना के सभी स्वरूपों में अपनी संस्कृतियों, इतिहास और आकांक्षाओं की भिन्नता व गरिमा को ठीक ढंग से दिखाने का अधिकार होगा।

आदिवासी लोगों की सलाह से राजसत्ता समाज के सभी तबकों और आदिवासी लोगों के बीच सहनशीलता, समझ और संबंधों को प्रोत्साहित व भेदभाव व पूर्वाग्रहों को खत्म करने के प्रभावी कदम उठाएगी।

धारा 17 : आदिवासी लोगों को अपनी भाषा में संचार माध्यम स्थापित करने का अधिकार होगा। उन्हें गैर-आदिवासी संचार माध्यमों तक समान पहुंच का भी अधिकार होगा।

राज्य स्वामित्व वाले संचार माध्यमों में आदिवासी सांस्कृतिक भिन्नता को सही ढंग से सुनिश्चित करने के लिए राजसत्ता प्रभावी कदम उठाएगी।

धारा 18 : राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों के तहत स्थापित सभी अधिकारों के पूर्ण उपयोग का आदिवासी लोगों को अधिकार है।

आदिवासी लोगों को श्रम, रोजगार या वेतन की भेदभावपरक स्थितियों का शिकार नहीं होने का अधिकार होगा।

भाग V

धारा 19 : अगर वे ऐसा पसंद करें तो आदिवासी लोगों को अपने अधिकारों, जीवन व भविष्य को प्रभावित करने वाले मामलों में निर्णय प्रक्रिया के सभी स्तरों पर अपनी खुद की पद्धतियों के अनुरूप चुने गए प्रतिनिधियों की पूरी भागीदारी और अपने निर्णय की आदिवासी संस्थाओं को बरकरार रखने और विकसित करने का अधिकार होगा।

धारा 20 : अगर वे ऐसा पसंद करें तो आदिवासी लोगों को प्रभावित करने वाले कानूनी या प्रशासनिक तरीके अपनी निर्धारित पद्धतियों द्वारा खोजने में अपनी पूर्ण भागीदारी का अधिकार है।

ऐसे तरीके ग्रहण व क्रियान्वित करने के पहले राज्यों को संबंधित लोगों की स्वतंत्र व सूचित सहमति प्राप्त करनी होगी।

धारा 21 : आदिवासी लोगों को अपने राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक तंत्रें को बरकरार रखने व विकसित करने का, अपनी खुद की जीविका व विकास के उपभोग की सुरक्षा का, अपनी परंपरागत और दूसरी आर्थिक गतिविधियों में लगे रहने का अधिकार है। आदिवासी लोग, जिन्हें उनकी जीविका व विकास के जरियों/साधनों से

वंचित किया गया है, उचित व न्यायपूर्ण मुआवजे के हकदार हैं।

धारा 22 : आदिवासी लोगों को रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण व पुनर्प्रशिक्षण आवास, स्वास्थ्य, सफाई, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों सहित अपनी सामाजिक व आर्थिक स्थितियों के तुरन्त, प्रभावी व निरंतर सुधार के विशेष तरीकों का अधिकार होगा।

धारा 23 : आदिवासी लोगों को अपने विकास के अधिकार का प्रयोग करने हेतु विकासीय प्राथमिकताएं व रणनीतियां निर्धारित/तय करने का अधिकार होगा। खासकर आदिवासी लोगों को प्रभावित करने वाले सभी स्वास्थ्य, आवास, आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रमों को निर्धारित व विकसित करने का और यथासंभव ऐसे कार्यक्रमों को अपनी खुद की संस्थाओं के जरिए चलाने का अधिकार होगा।

धारा 24 : आदिवासी लोगों को औषध के पौधों, जानवरों व खनिजों की सुरक्षा के अधिकार सहित अपनी परंपरागत चिकित्सा व स्वास्थ्य पद्धतियों का अधिकार होगा। उन्हें बिना किसी भेदभाव के सभी चिकित्सा संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा देखरेख तक पंहुच का अधिकार होगा।

भाग VI

धारा 25 : आदिवासी लोगों को जमीनों, सीमाओं, पानी, समुद्र तटों और दूसरे संसाधनों के साथ अपने उन खास आध्यात्मिक व भौतिक संबंध बरकरार रखने व उन्हें विकसित करने का अधिकार होगा जिनपर उनका परंपरागत रूप से स्वामित्व था या अन्य तरीकों से उनके कब्जे में था या काम में आता था और इस मामले में भावी पीढ़ियों के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनाए रखने का अधिकार होगा।

धारा 26 : आदिवासी लोगों को अपने परंपरागत स्वामित्व वाले या अन्यथा कब्जे या उपयोग में आने वाली जमीनों, हवा, के स्वामित्व, विकास, नियंत्रण व उपयोग का अधिकार होगा। इसमें उनके नियमों, परंपराओं व मान्यताओं, भूमि लगान पद्धति और संसाधनों के विकास व प्रबंध की संस्थाओं की पूर्ण मान्यता के अधिकार और इन अधिकारों के अतिक्रमण या आधिपत्यविहीन करने को रोकने के लिए राज्य द्वारा प्रभावी उपायों का अधिकार भी शामिल है।

धारा 27 : आदिवासी लोगों को अपने परंपरागत स्वामित्व या अन्यथा कब्जे या उपयोग वाली जमीनों, सीमाओं और संसाधनों, जो उनकी स्वतंत्र व समुचित सहमति बगैर जब्त की गई या कब्जे में ली गई या क्षति पहुंचाई गई या काम में ली गई, की पुनर्प्राप्ति का अधिकार होगा। अगर यह संभव नहीं है तो उन्हें इसके न्यायपूर्ण व उचित मुआवजे का अधिकार होगा। संबंधित लोगों की स्वतंत्रतापूर्वक अन्यथा सहमति के बगैर यह मुआवजा इसकी गुणवत्ता, आकार व कानूनी हैसियत वाली जमीनों, सीमाओं और

संसाधनों के हिसाब से होगा।

धारा 28 : आदिवासी लोगों को अपनी जमीनों, सीमाओं और संसाधनों की उत्पादक क्षमता और पूरे पर्यावरण के संरक्षण, पुनरुत्थान व सुरक्षा व इस उद्देश्य के लिए राज्य व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा सहायता लेने का अधिकार होगा। जब तक कि संबद्ध लोगों की स्वतंत्र सहमति न हो आदिवासी लोगों की जमीनों व सीमाओं पर सैनिक कार्यवाही की जाएगी।

राजसत्ता यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी कि आदिवासी जमीनों और सीमाओं पर खतरनाक पदार्थों के कचराघर या भंडार नहीं बनाए जाएं।

राजसत्ता, आवश्यकतानुसार आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी, रखरखाव व पुनर्प्राप्ति, जो कि संबंधित लोगों द्वारा विकसित की गई है, के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के भी प्रभावी कदम उठाएगी।

धारा 29 : आदिवासी लोग अपनी सांस्कृतिक व बौद्धिक संपत्ति के पूरे मालिकाना, नियंत्रण व सुरक्षा की मान्यता के हकदार हैं।

उन्हें मानव व अन्य जीव संसाधनों, बीजों, चिकित्सा, वन व जीव जगत के गुणों के ज्ञान, मौखिक परंपराओं, साहित्य, डिजाइन, दृश्य व प्रदर्शन कला सहित अपने विज्ञान, तकनालाजी व सांस्कृतिक अनुभूतियों के नियंत्रण, विकास व सुरक्षा के लिए विशेष उपाय करने का अधिकार होगा।

धारा 30 : आदिवासी लोगों को अपनी जमीनों, सीमाओं व संसाधनों को प्रभावित करने वाली किसी भी खनिज, पानी या अन्य संसाधनों के विकास, उपयोग या दोहन वाली परियोजना के पहले राज्य द्वारा अपनी स्वतंत्र व सूचित सहमति प्राप्त करने की जरूरत के अधिकार सहित, अपनी जमीनों, सीमाओं व अन्य संसाधनों के विकास या उपयोग के लिए विकास प्राथमिकताएं व रणनीतियां तय करने का अधिकार होगा। आदिवासी लोगों के साथ हुए समझौते के अनुरूप ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए न्यायपूर्ण व उचित मुआवजा देना होगा और प्रतिकूल पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक प्रभावों को कम करने/रोकने के तरीके अपनाने होंगे।

भाग VII

धारा 31 : आदिवासी लोगों को, आत्मनिर्णय के अधिकार का विशेष रूप से प्रयोग करने में, अपने घरेलू या स्थानीय मामलों से संबंधित विषयों में स्वायत्तता या स्वशासन का अधिकार होगा, जिसमें संस्कृति, धर्म, शिक्षा, सूचना, संचार, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, सामाजिक कल्याण, आर्थिक गतिविधियां, भूमि व संसाधन प्रबंध, पर्यावरण व गैर-सदस्यों का प्रवेश और इन स्वायत्त कार्यों की वित्तीय उपलब्धता भी शामिल है।

धारा 32 : आदिवासी लोगों को अपनी परंपराओं व मान्यताओं के अनुरूप खुद की नागरिकता निर्धारित करने का सामूहिक अधिकार होगा। आदिवासी नागरिकता, जिस राज्य में वे रहते हैं, प्राप्त करने के अधिकार में बाधा नहीं आयेगी। आदिवासी लोगों को अपनी खुद की प्रणालियों के अनुरूप अपनी संस्थाओं की रचना निर्धारित करने व अपनी सदस्यता चुनने का अधिकार होगा।

धारा 33 : आदिवासी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों के मानकों के अनुरूप अपनी संस्थाओं पद्धतियों को बढ़ाने, विकसित करने और उन्हें बरकरार रखने का अधिकार होगा।

धारा 34 : आदिवासी लोगों को अपने समुदाय के लोगों की जिम्मेदारियां तय करने का सामूहिक अधिकार है।

धारा 35 : आदिवासी लोगों को, खासकर उनको जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा द्वारा बांटे गए हैं, सीमापार के दूसरे लोगों के साथ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों सहित, संपर्क संबंध व सहयोग बनाए रखने व विकसित करने का अधिकार है।

राज्य इस अधिकार का प्रयोग व क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे।

धारा 36 : आदिवासी लोगों को राजसत्ता या अपने वंशजों के साथ हुए समझौतों, अनुबंधों या दूसरे रचनात्मक प्रबंधों की मान्यता, पालन व उनकी मूलभावना व ध्येय के अनुरूप लागू करने का अधिकार होगा और राज्यों को भी ऐसे समझौतों, अनुबंधों व रचनात्मक प्रबंधों का सम्मान करना होगा। ऐसे मतभेद व संघर्ष जो किसी अन्य तरीके से नहीं सुलझाए जा सकते, उन्हें सभी संबंधित पक्षों की सहमति से सक्षम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को प्रस्तुत करना होगा।

भाग VII

धारा 37 : इस घोषणा के प्रावधानों को पूरी शक्ति देने के लिए राजसत्ता उक्त आदिवासी लोगों की सलाह से प्रभावी और उचित कदम उठाएगी। इसमें निहित मान्यता प्राप्त अधिकारों को राष्ट्रीय कानूनों में इस तरह से ग्रहण व शामिल करना होगा कि आदिवासी लोग व्यवहार में ऐसे अधिकारों का फायदा उठा सकें।

धारा 38 : आदिवासी लोगों को उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विकास को स्वतंत्र रूप से जारी रखने के लिए राज्यों व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए पर्याप्त वित्तीय व तकनीकी सहायता तक पंहुच का और इस घोषणा में मान्यताप्राप्त अधिकारों व स्वतंत्रताओं के उपभोग का अधिकार है।

धारा 39 : आदिवासी लोगों को राज्यों के साथ संघर्षों व मतभेदों को सुलझाने के लिए आपस में सहमति प्राप्त और उचित प्रणालियों के जरिए त्वरित निर्णय और उस तक पहुंच का और साथ ही उनके व्यक्तिगत व सामूहिक अधिकारों के सभी अतिक्रमणों के लिए प्रभावी निदान का अधिकार है। ऐसे निर्णय में संबंधित आदिवासी लोगों की परंपराओं, मान्यताओं, नियमों व कानूनी तंत्रों को ध्यान में रखना होगा।

धारा 40 : राष्ट्र संघ की इकाइयां व विशेषज्ञ संस्थाओं और दूसरे अंतर्शासकीय संगठनों को इस घोषणा के प्रावधानों की पूर्ण प्राप्ति में जनचेतना, आर्थिक सहयोग और तकनीकी सहायता द्वारा योगदान देंगे। उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों पर आदिवासी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के तरीकों व जरियों को स्थापित करना होगा।

धारा 41 : राष्ट्र संघ को आदिवासी लोगों की सीधी भागीदारी के साथ सर्वोच्च स्तर पर इस क्षेत्र में एक विशेष सक्षम संस्था को बनाने सहित उस घोषणा का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। सभी राष्ट्र संघ इकाइयां इस घोषणा के प्रावधानों को लागू करने में इसके सम्मान को बढ़ाएंगी।

भाग IX

धारा 42 : यहां बताए गए मान्यताप्राप्त अधिकार दुनिया के आदिवासी लोगों के अस्तित्व, गरिमा व कल्याण के न्यूनतम मानक हैं।

धारा 43 : यहां बताए गए मान्यताप्राप्त अधिकार व स्वतंत्रता आदिवासी व्याथ्क्तयों-पुरुषों व महिलाओं पर बराबरी के तौर पर लागू होने की गारंटी देते हैं।

□

जेनेवा में आदिवासी लोगों के कार्यदल के सम्मुख भारतीय शिष्टमंडल की ओर से बयान

श्री जयंत प्रसाद

अध्यक्ष महोदया, चूंकि यहां मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे इस बात की इजाजत दें कि मैं इस कार्यदल में आपके समक्ष दिशा-निर्देश और लोकतांत्रिक तरीकों से इसकी कार्यवाही संचालित करने के लिए आपको बधाई दूं। आदिवासी लोगों के अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास की चल रही इस प्रक्रिया में आपके और कार्यदल के सदस्यों के बुनियादी योगदान पर मेरा शिष्टमंडल विशेष रूप से आभार प्रकट करता है।

मेरे शिष्टमंडल के विचार से यह प्रक्रिया मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मानकों से इस तरह सामंजस्य बिठाते हुए जारी रहनी चाहिए कि उनमें निहित विश्वव्यापी व्यावहारिकता वाले अधिकारों का किसी तरह से हनन न हो। **उनमें निहित मानव अधिकार और बुनियादी स्वतंत्रता आदिवासी लोगों पर भी बराबरी से लागू होते हैं।** और इनको कमजोर करने वाली बातों को नहीं स्वीकारा जाएगा।

विशेषकर, कार्यदल के चौथे सत्र के दौरान विकसित हुए घोषणा सिद्धांत के संदर्भ में, आदिवासी लोगों के पक्ष में **सकारात्मक भेदभाव** को हटा लेने की इच्छा व्यक्त की गई है। उदाहरण के लिए, भारत में जारी सामाजिक हकीकत के संदर्भ में, समाज के कुछ तबके ऐतिहासिक कारणों से पिछड़े बने हुए हैं। इन पिछड़े तबकों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में संविधान में विशेष प्रावधान निहित हैं, ताकि उन्हें वास्तविक अर्थों में समानता हासिल करने में सहायता मिल सके। ये प्रावधान और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रम, किसी भी मायने में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य भारतीय जनता के सभी पक्षों को समानता के आधार पर लाभ भी शामिल हैं।

जहां तक आदिवासी लोगों का अन्य लोगों के समकक्ष समानता के अधिकार का सवाल है तो उन्हें संवैधानिक, जाने को भेदभाव नहीं माना जाना चाहिए। अतः मेरा शिष्टमंडल सच्ची समानता सुनिश्चित करने के संदर्भ में, प्रारूप सिद्धांतों पर आस्ट्रेलियाई सरकार के विचारों का समर्थन करता है, जिसमें सकारात्मक भेदभाव से अलग प्रतिकूल भेदभाव शब्द के उपयोग का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदया, जब मेरे पास यह मंच है तो मैं देशज आदिवासी लोगों की

भारतीय परिषद की ओर से प्रो. ए. के. किशकू व डॉ. रामदयाल मुंडा (रांची विश्वविद्यालय के कुलपति) द्वारा कल शाम दिए गए बयान पर टिप्पणी करना चाहूंगा। कार्यदल में परिषद का प्रतिनिधित्व इस वर्ष भारत के तीन गणमान्य सदस्य कर रहे हैं, जिनमें एक संसद सदस्य भी शामिल हैं।

परिषद द्वारा इस पर जोर दिया गया है कि ऐतिहासिक, मानवशास्त्रीय व सामाजिक दृष्टिकोण से भारत के 6 करोड़ आदिवासी लोगों की विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सीमाई पहचान है।

इसके अलावा, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए सामान्यतया उपयोग में आने वाले आदिवासी शब्द को आदिवासी लोगों के समतुल्य रखा गया है।

भारत में अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट श्रेणी, हमारी जनसंख्या के कुछ खास तबकों की विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिनके पक्ष में सरकार द्वारा सकारात्मक भेदभाव का तंत्र बनाया गया है, ताकि उनकी उन्नति की तेज गति सुनिश्चित की जा सके और उनके विशेषाधिकारों की सुरक्षा हो सके।

सन 1950 के संवैधानिक आदेश में 14 राज्यों में रहने वाले 212 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। अब यह संख्या बढ़ गई है। यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि भारत में आदिवासियों को गैर-आदिवासी जनसंख्या से अलग रखकर पहचानने की कोई प्रणाली नहीं है। मानव-शास्त्रियों, समाज सुधारकों , सरकारी अधिकारियों, जनगणना आयुक्तों और यहां तक कि अध्ययनकर्ता डॉ. जी. एस. ध्रुवे ने भी अनुसूचित जनजातियों पर अपने बुनियादी अध्ययन में बताया है कि भारत में धर्म व्यवसाय या जाति के आधार पर आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच फर्क करने की कोशिशें किस तरह असफल सिद्ध हुई हैं। यह कहना और भी मुश्किल है कि भारतीय आबादी का कौन-सा तबका आदिवासी है और कौन-सा नहीं।

चूंकि पिछले कुछ सालों से यह संकल्पनात्मक मुद्दा बारंबार उठाया गया है, अतः मैं अध्यक्ष महोदया से इजाजत लेकर, जो कुछ भी मैंने कहा है, उसकी व्याख्या करना चाहता हूं। सन् 1960 में प्रख्यात समाजशास्त्री प्रो. एंद्रे बेटेल ने इस प्रश्न के परिभाषात्मक पहलू पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन में यह लिखा है कि :

'शुरुआत में किसी ने भी जनजाति शब्द का सटीक अर्थ देने की चिंता नहीं जताई। इसके चलते तब तक कोई भ्रम पैदा नहीं हुआ जब तक वे समूह, जिनका इससे संबंध था, दूसरे प्रकार के समूहों से आसानी से पहचाने व अलग किए जा सकते थे। अधिकतर ऐसी स्थिति आस्ट्रेलिया, मेलेशिया और दक्षिण अमरीका जैसे क्षेत्रों में थी, जिनका मानवशास्त्रियों ने सबसे पहले अध्ययन किया था।

भारत में और काफी हद तक अफ्रीका में स्थिति इससे साफ तौर पर एकदम

अलग है। इस देश में, समाजशास्त्रियों की जाति की अवधारणा से घनिष्ठ संबंध रखने वाले समूह, पूरी तरह से अलग प्रकार के समुदायों के साथ लंबे समय से रह रहे हैं। केवल कुछ क्षेत्रों को छोड़कर ऐसे समुदायों को पाना अत्यंत मुश्किल है, जिन्होंने अपने मौलिक आदिवासी गुणों को बरकरार रखा है। हकीकत में, अधिकांश ऐसे समूह, भारत के व्यापक समाज से विभिन्न अंशों तक व्यापक एकरूपता दिखाते हैं।'

उन्होंने यहां तक कहा कि भारत में कोई भी आदिवासी जनजाति बमुश्किल ही स्वतंत्र समाज के रूप में अपना अस्तित्व रखती है और वे सभी भारत के व्यापक समाज में विभिन्न अंशों तक घुल-मिल गई हैं। विलीनीकरण की यह प्रक्रिया हाल ही में नहीं शुरू हुई है, बल्कि प्राचीन काल से जारी है। भारत में किसी भी आदिवासी जनजाति की पूरी तरह स्वतंत्र राजनीतिक सीमा नहीं है। छोटानागपुर की बड़ी जनजातियों और ओरांव व संथाल की सबसे बड़ी आदिवासी जनजातियों में एक नाम भील का है, जो कि मध्य भारत में रहते हैं और जिनकी आबादी 50 लाख से भी अधिक है। ये लोग एक ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, जिसका 80 प्रतिशत एक भारतीय आर्य भाषा, संस्कृत, से निकला है। इसके अलावा कुछ खास मामलों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सीमाई पहचान या इन गुणों के आधार पर पहचान करना, न केवल आदिवासियों पर बल्कि भारत के अन्य कई श्रेणियों पर भी लागू किया जा सकता है। इस अकादमिक बहस को और आगे न बढ़ाते हुए मैं रिकॉर्ड के लिए केवल इतना कहना चाहूंगा कि हमारे शिष्टमंडल की समझ से आदिवासी जनसंख्या की शब्दावली को भारत के आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। कार्यदल के सदस्यों द्वारा यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि अल्पसंख्यकों के प्रश्न को आदिवासी लोगों के साथ मिलाकर भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।

भारत सरकार भी, भारत के अंदर किसी भी समूह के लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार की मान्यता नहीं देती है। आत्मनिर्णय का अधिकार उपनिवेशी स्थितियों या विदेशी कब्जे के संदर्भ में ही लागू होता है न कि दूसरे संदर्भ में। भारत में विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का मिश्रण है। कार्यदल के वर्तमान सत्र के पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मुद्दों पर स्वतंत्र आयोग की ओर से न्यायाधीश लैक्स के शानदार प्रस्तुतीकरण से एक उद्धरण लेकर कहा जाए तो भारत बहुसांस्कृतिक व बहुरंगी दुनिया का एक सूक्ष्म रूप है। यहां विभिन्न धर्मों, मतों, विश्वासों और जातियों के लोगों ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का निर्माण किया है, एक ऐसा लोकतंत्र जहां समुदाय या जाति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सबको समान नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। ये सभी विभिन्नताएं मिलकर भारत को एक राष्ट्र का दर्जा देती हैं और इसका प्रत्येक घटक देश का एक अभिन्न अंग है।

परिषद ने अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी कहा है कि भारत में आदिवासी लोगों को एक उपनिवेशी स्थिति तक ही सीमित कर दिया गया है और उन पर एक विशिष्ट शासक समूह द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं व उनके मूल्यों का प्रभुत्व है। कार्यदल के सदस्य, भारत की राजनीतिक व सामाजिक विभिन्नताओं से परिचित हैं। यहां उपस्थित परिषद के गणमान्य सदस्यों से इस तरह के व्यापक सामान्यीकरण की उम्मीद नहीं की जाती थी। प्रोफेसर किशकू, जिन्होंने परिषद की ओर से बोला, वे खुद एक दशक से थोड़े कम समय तक केंदीय सरकार के मंत्री रहे हैं और शासक दल के भूतपूर्व सदस्य रहे हैं। भारत सरकार के विभिन्न राज्यों में सभी विचारधाराओं के लोग सत्ता हासिल करते हैं। भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर, जहां की आबादी आदिवासी-बहुल है, आदिवासी स्वयं सरकार व प्रशासन चला रहे हैं। भारत में आदिवासियों के उपनिवेशी स्थिति में रहने और प्रमुख शासक समूह के पूरे प्रभुत्व का प्रश्न ही कहां उठता है, जैसा कि परिषद ने अपने बयान में कहा।

यह तथ्य खुले रूप से स्वीकारा जाता है कि आदिवासी समुदायों के विकास की गति शेष भारतीय समाज के बराबर नहीं है। आदिवासी विकास में इस असमानता से निपटने के लिए ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु के उत्कृष्ट योगदान की परिषद द्वारा सराहना की गई है, जिन्होंने आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। आदिवासी कल्याण पर यह विशेष जोर आज भी जारी है और हाल के वर्षों में इसमें और अधिक मजबूती आई है। संविधान स्वयं ही विशेष रूप से या नागरिकों के रूप में उनके सामान्य अधिकारों पर जोर देकर अनुसूचित जनजातियों और दूसरे कमजोर तबकों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान कराता है। इसका उद्देश्य उनके शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना व सामाजिक विषमताओं को दूर करना है। ऐसे कुछ मुख्य सुरक्षात्मक उपाय इस प्रकार से हैं :

(अ) किसी भी अनुसूचित जनजाति के हित में भारत के किसी भी हिस्से में स्वतंत्रता पूर्वक आने-जाने/रहने व बसने के सभी सामान्य नागरिक अधिकारों में कानून द्वारा रोक।

(ब) अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मामले में, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों सहित पिछड़े वर्गों के नौकरियों में उनकी नियुक्ति के दावों पर राज्यों को विचार करने की आवश्यकता।

(स) लोकसभा व विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण।

(द) राज्यों में आदिवासी विकास परिषदों और अलग विभागों की स्थापना और

उनके हितों की सुरक्षा व कल्याण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति।।

(य) अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रों के नियंत्रण व प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान।

समाज के कमजोर वगों का विकास और कल्याण भारतीय योजना की एक प्रमुख चिन्ता है और उसमें भी खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश जातियों की भी, जो कुल आबादी का एक चौथाई हैं। ऐतिहासिक कारणों से ये समूह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बने हुए हैं और इसीलिए उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए योजना के अंतर्गत क्रमबद्ध प्रयास किए गए।

अगर आजादी के समय से उनकी आज की स्थिति की तुलना करें तो पिछले तीस सालों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के विकास में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।

शताब्दियों के उत्पीड़न से बना उनका सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन, भारत में उपनिवेशी शासन के इतिहास और किसी विकासशील अर्थव्यवस्था में मौजूद अवरोधों की पृष्ठभूमि से ही उनके विकास की वर्तमान गति का आकलन करना होगा।

अध्यक्ष महोदया, एक अंतिम बिंदु यह है कि सामान्य जनहित और राष्ट्रीय महत्व के विकासीय परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा भारत के सभी वर्गों की भूमि अधिग्रहित की गई है और ऐसा नहीं है कि केवल आदिवासी जनता ही किन्हीं विशेष प्रावधानों से प्रभावित हुई है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रसार और औद्योगीकरण के प्रभाव से भी आदिवासी जनता का बड़ा हिस्सा उत्पादक तंत्र में प्रवेश कर रहा है, जिसके चलते न केवल आदिवासी समुदायों के अंदर, बल्कि भारत के सभी सामाजिक समूहों में परंपरागत बंधन टूट रहे हैं। सामाजिक उपेक्षा और शोषण की समस्या आदिवासी या गैरआदिवासी पहचान के साथ ही नहीं जुड़ी है, बल्कि ये आम समस्याएं हैं जिनका व्यापक हल हो सकता है, हालाँकि ये विशेष परिस्थितियों के समाधान के लिए बनाए गए हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

□

देशज और आदिवासी लोगों का भारतीय संघ

दूसरी आम सभा : 5 से 21 नवंबर, 1993

हम भारत के आदिवासियों को इस बात पर गर्व है कि हम अपनी मातृभूमि के पहले निवासी है। हमने भारत की संस्कृति, इतिहास और विरासत को काफी योगदान दिया है। पर आज हमारी संस्कृति, राजनीतिक तंत्र, सामाजिक तंत्र व अर्थव्यवस्था का रत्ती भर ही सम्मान किया जाता है। हमें मुख्यधारा समाज में नीची जाति की तरह मिलाने के प्रयास किए जाते हैं, हालांकि परंपरागत रूप से हम एक जातिविहीन समाज में रह रहे हैं, जिसमें महिलाओं की अपेक्षाकृत ऊंची हैसियत है। हमारी संस्कृति को नीची निगाह से देखा जाता है और जाति आधारित गैर-बराबरी तथा महिलाओं के दोयम दर्जे वाली मुख्य संस्कृति हम पर लादी जाती है। हमारी भाषाओं की इज्जत नहीं होती और उनमें से किसी को भी भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, पर हमसे भी कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को यह हैसियत दी गई है। हमारी जातियों में से कई भारतीय गणराज्य के विभिन्न राज्यों के बीच बांट दी गई हैं हालांकि 50 से भी अधिक सालों से पूर्वी भारत के कुछ आदिवासी भारतीय गणराज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य की मांग उठा रहे हैं।

हम संसाधन-धनी इलाकों में रहते हैं। हमारे रिहायशी इलाकों में ही अधिकांश जंगल व कोयले की खदानें हैं। हमारी जमीन, नदियों व दूसरे जल-स्रोतों से भरी-पूरी है जंगल हमारी आजीविका के स्रोत हैं, क्योंकि इनसे हमारे कपड़ों व हमारी दूसरी जरूरतों की पूर्ति होती है। अतः हमने अपनी जरूरतों और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाए रखा है। हमने परंपरागत रूप से उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया है। पर आज राष्ट्रीय विकास के नाम पर उन्हें नष्ट किया जा रहा है। अतः हम अपनी जीविका से वंचित हो रहे हैं और मोहताज बन रहे हैं।

हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं, वहां ज्यादा बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। हममें से लाखों उनके द्वारा विस्थापित हो रहे है। कोयला और दूसरी खदानें हममें से और अधिक लोगों को विस्थापित कर रहीं है। हमारे रहवासों में कई उद्योग स्थापित किए गए हैं। वे और वनजीवी उद्योग हममें से और अधिक लोगों को विस्थापित करते हैं। जब फायरिंग परीक्षण रेंज और सैन्य स्थापनाओं की योजनाएं बनती हैं तो ऐसा लगता है उन्हें हमारे ही क्षेत्र में बनाने की प्राथमिकता दी जाती है। इसका नतीजा यह हुआ कि 1950 से विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित 2 करोड़ से भी अधिक लोगों में, 40 प्रतिशत से

अधिक आदिवासी हैं, भले ही वे देश की कुल जनसंख्या का केवल 7.85 प्रतिशत हैं। इस तरह विस्थापित लोगों में से अब तक 20 प्रतिशत से भी कम पुनर्वासित हुए हैं।

इसके नतीजे में, हममें से एक बड़ी संख्या दरिद्र हो गई। हममें से कई अपने घर छोड़ कर जाने और दैनिक मजदूरी या यहां तक कि बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर हुए हैं। मानवीय और पर्यावरणीय जरूरतों के बीच संतुलन बनाना और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, हमारी संस्कृति का आधार था। पर आज हमारी कंगाली ने हमें लकड़ी ठेकेदारों व स्मगलरों के अधीन दिहाड़ी मजदूर की तरह लकड़ी काटने पर मजबूर कर दिया है। अब हम दूसरों को सस्ता कच्चा माल और सस्ता श्रम देने वाले भर रह गये है। हमें विकास के फायदे नहीं मिलते। इसके फल दूर-दराज के दूसरे समुदायों को मिलते हैं, पर कीमत हम चुकाते हैं।

इसके सबसे वीभत्स शिकार आदिवासी महिलाएं हुई हैं। विकास परियोजनाओं से हुए विस्थापन ने उन्हें जमीन व जंगलों से वंचित कर दिया है, जिससे हमारा अधिकतर भोजन आता है। अपनी जरूरत का भोजन व चारा इकट्ठा करने के लिए आज उन्हें पहले की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा अधिक दूर चलना पड़ता है। जंगल उजाड़ ने हमें चिकित्सा की जड़ी बूटियों से वंचित कर दिया है। और महिलाएं जो हमारे बीच इन संसाधनों की संरक्षक थी और भी ज्यादा उपेक्षित हुई हैं। दरिद्रता के कारण हममें से कई औरतें शहरों में घरेलू नौकर की तरह काम करने पर मजबूर हुई हैं। उनमें से कई वेश्यावृत्ति के चक्कर में भी फंस गई।

हमें दरिद्र बनाने के बाद भारत सरकार आरक्षण और आई. आर. डी. ए. के रूप में कुछ राहत देती है। पर वह हमारी दरिद्रता के कारणों से निपटने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि ये राहत उपाय भी ठीक तरह से क्रियान्वित नहीं होते। हमारी संख्या सीमित करने के या इन फायदों से वंचित करने के प्रयास किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, कई जगहों पर गैर-आदिवासी झूठे आदिवासी सर्टिफिकेट लेकर हमें मिलने वाले फायदों का लाभ उठाते हैं। दूसरी जगहों पर, हमें अपनी अनुसूचित हैसियत से वंचित करने के लिए जनगणना के दौरान हमारे नाम बदल दिए जाते है। उदाहरण के लिए छोटा नागपुर के चिक बराइक, जो अनुसूचित जनजाति है, को जनगणना में बराइक बताया जाता है, जो कि राजपूत जाति है।

1. आदिवासी की हैसियत

हमें भारत के आदिवासी लोगों की तरह मान्यता देने की हमारी मांग को इसी परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। हमारी अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सामाजिक तंत्र व राजनीतिक संरचना इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के इर्द-गिर्द बुनी हैं। अतः इन संसाधनों के छिनने,

विस्थापन होने व जंगल उजड़ने जैसे हमारी दरिद्रता और जीविका पर आक्रमण ने हमारे पूरे जीवन के लिए एक गंभीर संकट को जन्म दिया है। जो एक समय हमारा था, उसमें से अधिकांश छोड़ने के लिए हमें मजबूर किया गया। निश्चित रूप से हम पिछली शताब्दी में नहीं जाना चाहते और बिना बदलाव के नहीं रहना चाहते। हम बदलना चाहते हैं, पर अपनी शर्तों पर, अपनी परंपराओं व संस्कृति के प्रति सम्मान के साथ। हमारी पूरी पहचान ही इन संसाधानों पर केंद्रित है और हम इसे बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारे आत्म गौरव और मानव अधिकारों का एक हिस्सा है।

और ऐसे में आदिवासी लोगों की तरह मान्यता देने की हमारी मांग सार्थक होती है। आदिवासी लोग संबंधी दो अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध हैं, दोनों ही अं. श्र. सं. के हैं। सन् 1957 का अनुबंध 107 एकीकरण विचार को अपनाता है। इसका पहलू यह है कि आदिवासी लोगों को मुख्य धारा संस्कृति और समाज में मिलाया जाए। भारत सरकार ने इस अनुबंध को अनुमोदित किया है।

इसके ठीक उल्टे, सन् 1989 का अनुबंध 169 आदिवासी लोगों के चिरंतर विकास, पर्यावरण के संरक्षण, संसाधनों के बराबरी से बंटवारे और महिलाओं की इज्जत पर आधारित संस्कृति का सम्मान करता है। यह भी तय करता है कि अपवादस्वरूप केवल बेहद कड़े मानकों का पालन किए बगैर आदिवासी लोगों को विस्थापित नहीं किया जा सकता है। उनकी संस्कृति और सामाजिक तंत्रों को सुरक्षा देनी ही होगी। उनके सामूहिक संसाधनों की पुनर्स्थापना और उनका ठीक तरीके से पुनर्वास कराना होगा। इस अनुबंध को भारत सरकार ने अनुमोदित नहीं किया है। (प्रसंगवश अभी तक दुनिया के किसी देश ने इस अनुबंध को अनुमोदित नहीं किया है-सं)।

1. अतः, देशज और आदिवासी लोगों के भारतीय महासंघ की दूसरी साधारण सभा के लिए नई दिल्ली में इकट्ठे हुए हम भारत के आदिवासी मांग करते हैं कि भारत सरकार हमें भारत के आदिवासी लोगों के बतौर मान्यता दे।

2. हम यह भी मांग करते हैं कि भारत सरकार बिना और देरी किए 1989 के अनुबंध 169 को अनुमोदित करे जो हमारी जीवन शैली व संस्कृति को सम्मान देता है और हमसे व्यवहार करते समय कड़े मानकों के पालन को कहता है।

3. हम यह भी मांग करते हैं कि आदिवासी भाषाओं व संस्कृतियों के प्रति आज की तुलना में और अधिक सम्मान प्रदर्शित करना होगा। प्राथमिक शिक्षा आदिवासी भाषाओं में होनी चाहिए। हमारी इच्छा के विरुद्ध हम पर विदेशी कानून, धार्मिक और सांस्कृतिक तंत्रों को नहीं लादा जाना चाहिए।

2. जंगल और जंगल उजड़ना

जंगल हमारी पूरी जीविका है। उनसे हमारे भोजन का 50 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा आता है। हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था, धर्म और राजनीतिक संरचना जंगलों के इर्द-गिर्द ही केंद्रित है। पर आज खदानों, बड़े बांधों, वनजीवी उद्यानों और उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए उनमें से कई जंगल उजड़ रहे हैं। इस तरह हम दरिद्र हो रहे हैं। हमारी संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है और हम अपनी पहचान खो रहे है। यहां तक कि हमें जंगलों में जो कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त थे, आज उनमें से अधिक से अधिक हमसे छीने जा रहे है। इस तरह हमें हमारी जीविका से वंचित किया जा रहा है। इससे केवल हमारी अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि संस्कृति, समाज और धर्म पर भी आक्रमण हो रहा है। इन तरीकों से हमारी पूरी पहचान ही नष्ट हो रही है। हमें हमारी अपनी ही जमीन पर विदेशी और अतिक्रमणकारी माना जा रहा है, खासकर उन जंगलों में, जहां हम हजारों सालों से रह रहे हैं और जिनका हमने संरक्षण किया है। विभिन्न वन विभागों के प्रतिनिधित्व द्वारा सरकार एक जमींदार की तरह व्यवहार करती है और हमें ऐसा किराएदार मान कर व्यवहार किया जाता है, जिसके कोई अधिकार नहीं है।

विनाश के दूसरे तरीके भी हमें प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, खदानों का काम शुरू करते समय मिट्टी की सबसे ऊपरी परत का संरक्षण नहीं किया जाता, जबकि कानून मांग करता है कि ऐसा किया जाए। खुदाई करने के बाद जमीन को सुधारा नहीं जाता है। अतः प्रदूषण और दूसरे तरह के विनाशों के अलावा जमीन बिगड़ती है और जंगल उजड़ते हैं। इसके चलते होने वाला पर्यावरणीय विनाश अकेले आदिवासियों की ही नहीं, बल्कि भारत के हरेक समुदाय और पूरी मानव जाति की समस्या है। इसे रोकना जरूरी है।

4. अतः हम भारत के आदिवासी मांग करते हैं कि जंगलों को तुरंत एक बार फिर सामुदायिक संपत्ति में बदला जाए।

5. शताब्दियों से जंगलों की सुरक्षा में लगे समुदायों की भागीदारी के बगैर युद्ध स्तर पर जंगल लगाने का काम नहीं किया जा सकता। अतः हम मांग करते हैं कि थोपी जाने वाली प्रजापतियों के चुनाव में, काम के संगठन में और मुनाफों के बंटवारे में हम मुख्य निर्णय लेने वाले हों। हम निश्चय ही उसे राष्ट्र के अधिकार का संसाधन मानेंगे, पर इसके फायदों में हम समान भागीदार होंगे।

6. हम मांग करते हैं कि इस काम में खदानों और दूसरे कामों से बिगड़े सभी जंगलों को सुधारा जाए और इस काम में हमारे समुदायों की भागीदारी ली जाए। वन विभाग लोगों के समुदायों को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराए।

3. जमीन का छिनना, भूमि अधिग्रहण और विस्थापन

अ. जमीन का छिनना

जमीन आदिवासी पहचान का पूरा आधार है। आदिवासी जमीन को कानून गैर-हस्तांतरणीय (जिसके स्वामित्व को बदला नहीं जा सकता) घोषित कर राज्य ने इस सिद्धांत को मान्यता दी है। पर गैर-आदिवासी लोगों द्वारा और यहां तक कि सार्वजनिक निगमों द्वारा भी, धोखाधड़ी करके अधिकांश जमीनें अलग की जा रही हैं। दोषपूर्ण मालगुजारी नियमों और भूमि-अधिग्रहण नियम 1894 के चलते आदिवासियों के साथ यह धोखाधड़ी संभव नहीं है।

7. आदिवासियों को उनकी जमीनों से अलग करने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए बनाए गए नियमों, खासकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144, 145 व 146 का जब चाहे हमारे विरूद्ध उपयोग किया जाता है। षडयंत्रपूर्ण टाइटिल दावों में हमारे विरूद्ध मुकदमें दायर किए जाते हैं। इनकी जटिल व मंहगी पद्धतियां, हमारे लिए असंभव बना देती हैं कि हम इन आरोपों का बचाव कर सकें। न्यायाधीशों को परंपरागत आदिवासी नियमों का पता नहीं होता।

अतः यह संकल्प लिया जाए कि आदिवासी जमीनों को जोड़े रखने वाले नियमों को मजबूत बनाना होगा। धोखाधड़ी या गलत कानूनों के द्वारा उनसे अलग हुई सभी आदिवासी जमीनें इन आदिवासियों को या उनके वंशजों को और वंशजों के न होने पर उनके ग्रामीण समुदाय को सौपनी होंगी।

ब. भूमि अधिग्रहण और विस्थापन

आदिवासी संसाधन-धनी वाले इलाकों में रहते हैं। उन्हें केवल कच्चे सस्ते माल और कच्चे श्रम का स्रोत माना जाता है। उन्हें उनके भविष्य का रत्ती भर भी विचार किए बिना विस्थापित किया जाता है, ताकि इन संसाधनों का दोहन किया जा सके। अक्सर ये परियोजनाएं आर्थिक रूप से वांछनीय नहीं होती। पर यह तथ्य राज्य को हर साल और अधिक लोगों को विस्थापित करने से नहीं रोकता, जिनमें आदिवासियों का कम-से-कम 10 प्रतिशत एक बार अवश्य विस्थापित हुआ है। इसका नतीजा है आदिवासियों की बदहाली और उपेक्षा। यह हमारी अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पहचान और सामाजिक संरचना पर सीधा आक्रमण है। सेना भी हमारे क्षेत्रों को अपने अड्डे बनाने के लिए प्राथमिकता देती है। हम ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं जैसे कि कोरापुर में नौसेना शस्त्र भंडार, और मिगहाल फैक्ट्ररी। छोटानागपुर में फायरिंग रेंज से 156 गांवों के एक लाख आदिवासी उजड़ेंगे। उनमें असुर भी शामिल हैं, जो संकट में पड़ी जनजाति है, क्योंकि आज उनकी संख्या एक हजार से भी कम है। बिरहोर जाति आज तक जंगल

से फल-फूल इकट्ठा करने वाली बनी हुई है और अगर जंगलों के बाहर उनका पुनर्वास किया भी जाता है तो थोड़े समय में वे बाहर के जीवन के अनुकूल होने में समर्थ नहीं होंगे।

8. अतः देशज और आदिवासी लोगों का भारतीय महासंघ, विकास व दूसरी योजनाओं से विस्थापन के जरिए जमीन अलग होने के सभी रूपों पर दृढ़ पक्ष लेने का संकल्प करता है। महासंघ के संगठन के सदस्य, अपनी जीविका और संस्कृति से आदिवासियों को अलग करने के विरूद्ध, आदिवासी व अन्य संगठनों के आंदोलनों व संघर्षों में शामिल होंगे। हम महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी योजनाओं, छोटानागपुर की स्वर्णरेखा, कोयलकारो, पोपरहाट औ नेतरहाट, आंध्रप्रदेश की पिलावरम, जिनसे लाखों लोग, अधिकतर आदिवासी उजड़ेंगे, का दृढ़ता से विरोध करते हैं।

अधिकांश मामलों में आदिवासी व अन्य जमीनों का अधिग्रहण जन-उद्देश्य के नाम पर किया जाता है। पर जन-उद्देश्य को आज तक परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए परियोजनाओं के लिए जरूरत से ज्यादा जमीन अधिग्रहित करके वर्तमान नियमों का भी दुरुपयोग किया जाता है। अक्सर ये जमीनें निजी लोगों को, खासकर अधिकारियों के रिश्तेदारों को हस्तांतरित कर दी जाती है।

9. महासंघ के यहां मौजूदा सदस्य यह मांग करते हैं कि एक अत्यंत सीमित तरीके से जन-उद्देश्य को परिभाषित किया जाए, ताकि लोगों का विस्थापन न होना सुनिश्चित किया जा सके। केवल उन इक्का-दुक्का मामलों को छोड़कर जहां प्रभावितों की भागीदारी से किए गए गंभीर आर्थिक, सामाजिक व कानूनी विश्लेषण परियोजना को अनिवार्य दिखाएं।

इसके अलावा, देश में करोड़ों लोगों के विस्थापन, जिनमें आदिवासियों की एक बड़ी संख्या है, में अभी तक पुनर्वास की नीति नहीं है। पिछले चार दशकों में विस्थापित हुए 80 लाख आदिवासियों में से 25 प्रतिशत से भी कम का पुनर्वास हुआ है। उन्हें बेहद मामूली मुआवजा मिलता है या मिलता ही नहीं। और नई परियोजनाओं में भी उन्हें थोड़ी-सी नौकरियां ही उपलब्ध होती हैं। देर सबेर जो मुआवजा उन्हें मिलता है उसके लिए भी घूस/रिश्वत देनी पड़ती है। इतनी कम राशि में अपने आप पुनर्वास करना असंभव होता है। इसके अलावा, अक्सर निजी पार्टियों व सरकार दोनों ही, पहले भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किए बगैर, वर्तमान नियमों से बाहर जाकर विस्थापन करती है।

10. महासंघ के यहां उपस्थित सदस्य, अमानवीय और कंगाल बनाने की प्रक्रिया के विरुद्ध विरोध प्रकट करते है। हम मांग करते है कि विस्थापन की नीति व नियम तुरंत बनाए जाएं और आजादी के बाद से विस्थापित हुए लाखों लोगों को बसाया जाए। कानूनी प्रक्रिया के बगैर आज तक ली गई सभी जमीन उनके मूल स्वामियों या

उनके वंशज या वंशज न होने की स्थिति में गांव समुदाय को सौंपी जाए। कुछ अपवाद स्वरूप मामलों में जहां विस्थापन करना अनिवार्य है, वहां आदिवासी संस्कृति व संरचना को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मुआवजा व सही पुनर्वास परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा हो।

केवल व्यक्तिगत मालिकाना वाली जमीन पर विचार करना आदिवासियों पर एक विदेशी संस्कृति थोपने का एक तरीका है। जबकि वास्तव में अधिकांश आदिवासियों की परंपरा में जंगल, जमीन और दूसरे प्राकृतिक संसाधन पूरे समुदाय द्वारा सामूहिक रूप से रखे जाते रहे है, लेकिन मुआवजे की गणना करने में सामुदायिक संपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाता।

11. अतः महासंघ के यहां उपस्थित सदस्य, मांग करते हैं कि राज्य की सभी नीतियों में जमीन व दूसरे संसाधनों पर आदिवासियों की सामूहिक मलकियत को कानूनी मान्यता दी जाए। बेहद अपवादस्वरूप मामलों में, जहां विस्थापन टाला नहीं जा सकता, मुआवजे के विचार को पुनर्परिभाषित कर उसमें उनकी पूरी जीविका को शामिल किया जाए, न कि केवल व्यक्तिगत स्वामित्व वाली जमीन को।

अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले राज्य ने, अपने नियमों को लागू करने में धर्म को एक पैमाना बनाकर, शोषितों को विभाजित करने का एक तरीका चुना है। हिंदू धर्म को छोड़ चुके दलितों को उस अनुसूचित की जाति आरक्षण सुविधा से वंचित कर दिया जाता है, जो सदियों से उनके भेदभाव के विरूद्ध उन्हें मुआवजे के रूप में मिला है। आदिवासियों के मामले में अगर वे अपना धर्म बदलकर हिंदू हो जाते हैं तो वे हिंदू उत्तराधिकार नियम के तहत आ जाते हैं और उत्तराधिकार के मामले में अपने परंपरागत नियमों से मिले अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। ये कदम बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ये धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं।

12. अतः महासंघ आदिवासी संस्कृति पर इन आक्रमणों का विरोध करता है और मांग करता है कि धर्म के आधार पर शोषित समुदायों के सदस्यों को उनके किसी भी अधिकारों या विशेषाधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आदिवासियों को उत्तराधिकार के अपने खुद के नियमों का सम्मान करने का अधिकार हो, चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों न हों।

4. संवैधानिक व प्रशासनिक तरीके

अधिकांश आदिवासी परंपरागत रूप से एक बराबरी वाले समाज में रहे हैं। उनकी प्रशासकीय संरचना सरकार के उच्च अधिकारियों के बजाय समुदाय द्वारा नियंत्रित होती थी। समुदाय की सर्वसम्मति द्वारा नियुक्त उनके पंच व अन्य नेता अपने इन

अधिकारों का प्रयोग पूरी जनजाति की भलाई के लिए करते थे।

आज भी, इस तंत्र को आधुनिक व नया करना संभव है, ताकि लोगों के फायदे के लिए इसका उपयोग किया जा सके। संविधान की धारा 13 व 244 या मध्य भारत के अधिकांश आदिवासी इलाकों पर लागू होने वाली संविधान की पांचवी अनुसूची और उत्तर भारत में लागू होने वाली छठवीं अनुसूची इसे संभव बनाती है। पर वास्तव में इन धाराओं का सम्मान नहीं किया जाता और अपने घरेलू मामले चलाने में आदिवासियों को कोई स्वायत्तता नहीं दी जाती।

इसके अलावा पूरे देश के आदिवासियों के लिए कोई समान नीति नहीं है। उदाहरण के लिए, संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान नहीं किया जाता। एक राज्य की अनुसूची में शामिल आदिवासी दूसरे राज्य में उससे बाहर हो जाते हैं। संथाल लोगों के साथ ऐसा ही है, जो आसाम में अनुसूची से बाहर हैं। कई जनजातियों को, जिनमें आदिवासियों के सभी गुण हैं, इसमें शामिल नहीं किया गया है। कई दूसरे मामलों में धोखाधड़ी द्वारा ऊंची जातियों के लोग आदिवासियों के फायदे ले लेते हैं।

13. अतः हम मांग करते है कि पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक समान नीति बनाई जाए। अनुसूचित जनजाति का हर एक सदस्य अनुसूची में शामिल हो, चाहे वह देश के किसी भी भाग में रहता हो/रहती हो। विशेषाधिकारों की जालसाजी द डनीय हो, क्योंकि यह सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं की जा सकती।

14. हम यह भी मांग करते हैं कि पूरे देश में लुप्त होने के खतरे में पड़े जातीय समूहों की सूची बनाई जाए और इन समूहों को विशेष सुरक्षा दी जाए। सिट्री जैसी जातियां, जो अनुसूची में नहीं हैं, उसमें शामिल होनी चाहिए। इन जनजातियों की पहचान करने के लिए आदिवासियों की स्थानीय संस्थाओं का उपयोग किया जा सकता है।

15. आदिवासियों पर शासन के विदेशी रूपों को थोपने के बजाय उनमें विद्यमान प्रमुख परंपरागत प्रशासन के तंत्रों की इज्जत करनी होगी। आदिवासियों के संबंध में पांचवीं व छठवीं अनुसूची और दूसरे संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनुमति दिए गए प्रशासन के स्वायत्त रूपों का क्रियान्वन करना होगा।

16. सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक दायरों में ऐसा स्वशासन, आदिवासियों पर नई नीति का एक अभिन्न भाग होगा, चूंकि हम इसे भारत के आदिवासी लोगों के बतौर अपने अधिकारों पर पुनः जोर देना मानते है।

नई दिल्ली

20, नवंबर 1993

□

आदिवासी लोगों के बारे में राष्ट्र संघ के विचार

दिसंबर में राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा घोषित बार व्यक्तिगत तौर पर हरेक बुनियादी अधिकारों से सुसज्जित हुआ है। इसमें यह सूचित होना निहित है कि व्यक्तिगत मानव-अधिकार किसी गणतांत्रिक राज्य का घरेलू मामला नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए सर्वमान्य चिंता का विषय रहा है। यह वास्तव में एक महान उपलब्धि थी। पर बाद की घटनाओं ने इस उत्साह को गलत साबित कर दिया कि व्यक्तिगत तौर पर राज्य की हिंसा व सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा, पश्चिमी व्यक्तिवादी सांचे में गहराई से जड़े जमाए घोषणापत्र में वर्तमान राज्य तंत्र में रह रहे जातीय समूहों और समुदायों की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। यह एक भूल नहीं थी, बल्कि पश्चिमी नमूने का एक घटक था, जिसमें आधुनिक राज्य को या तो एक जातीय इकाई माना जाता है या तकनीकी विकास, जनसंचार और मुख्यधारा में मिलाने की व्यापक घटनाओं द्वारा अंततः सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से एकयसार इकाइयां होना माना जाता है।

धारा 17 जो बेहद हिचकिचाहट के साथ सामूहिक अधिकारों को थोड़ी बहुत मान्यता देने की कोशिश करती है, उसमें कहा गया है कि "प्रत्येक को व्यक्तिगत तौर पर और दूसरों के साथ संगठित होकर संपत्ति रखने का अधिकार है और किसी को भी गलत ढंग से उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।" पर यह भी ज्यादातर संपत्ति तक व्यक्तिवादी पहुंच और कब्जे की शर्त पर है और सामाजिक-सांस्कृतिक समूहों के अधिकारों को खुल कर अपने तहत नहीं लाता। इसमें स्पष्टतया एक लिंग पूर्वाग्रह भी है, जो कई समुदायों में प्रचलित संसाधनों पर महिला नियंत्रण को कम करके देखता है।

1970 में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भेदभाव की रोकथाम पर उपआयोग ने आदिवासी जनसंख्याओं के विरुद्ध भेदभाव की समस्या पर एक विस्तृत अध्ययन कराने की सिफारिश की। सन् 1971 में, आर्थिक व सामाजिक परिषद ने, ऐसे भेदभाव खत्म करने के लिए जरूरी राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय तरीकों के अध्ययन करने व सुझाव देने के लिए उपआयोग को अधिकृत किया। एक विशेष रपटकर्ता श्री जोस कोबो की नियुक्ति की गई, जिसने 12 साल के अध्ययन के बाद एक विस्तृत रपट पेश की। 22 लंबे अध्यायों में फैली 400 से अधिक पेजों वाली इस रपट का शीर्षक था "आदिवासी जनसंख्याओं के विरुद्ध भेदभाव की समस्या का अध्ययन"। इसमें जोर दिया गया था कि आदिवासी लोग कौन हैं, इसका निर्णय अवश्य ही संबंधित लोगों से सलाह मशविरा करके किया जाना चाहिए। इसमें आदिवासी लोगों द्वारा धारण की गई सीमाओं के सभी

संसाधनों और जमीनों पर उनके प्राकृतिक और बदले न जा सकने वाले अधिकारों को मान्यता, भूतकाल में जमीन की हानि के मुआवजे का प्रावधान और उनकी अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुरूप परंपरागत संसाधनों के विकास व प्रबंध की पुनः सिफारिश की गई है।

प्रसिद्ध कोबो रपट के प्रकाश में, उपआयोग ने आदिवासी लोगों के अधिकारों पर राष्ट्र संघ विश्वव्यापी घोषणा प्रारूप बनाने हेतु 1982 में आदिवासी लोगों पर कार्यदल गठित किया। इस प्रारूप को बनाने में विभिन्न आदिवासी प्रतिनिधियों को पूर्ण सहभागिता दी गई। आर्थिक व सामाजिक परिषद ने अब तक 'इंटरनेशनल वर्क ग्रुप फॉर इंडीजिनस अफेयर्स', 'सर्वाइवल इंटरनेशनल', 'वर्ल्ड कौंसिल ऑफ इंडीजिनस पीपुल्स', 'फोर डायरेक्शन कौंसिल', 'ग्रांड कौंसिल ऑफ दी क्रीस', 'इन्यूट सरकुमपोलार कांफ्रेंस', 'नेशनल इंडियन यूथ कौंसिल', 'इंडियन ला रिसोर्स सेन्टर', 'नेशनल एबोरोजिनल एंड आइलैन्डर लीगल सर्विस' और 'इंटरनेशनल इंडियन ट्रीटी कौंसिल' जैसे गैर-सरकारी संगठनों को मान्यता दी है।

पहली बार राष्ट्र संघ तंत्र में इतने सारे आदिवासी संगठनों की भागीदारी दी गई है। पर इस बात पर जोर देना जरूरी है कि एशिया और अफ्रीका में, जहां दुनिया के 25 करोड़ आदिवासी लोगों में से तीन-चौथाई रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व बेहद मामूली है।

आदिवासी लोगों पर कार्यदल ने 1988 में अपना भागीदारी के जरिए आदिवासी समुदायों, संस्कृतियों और परंपराओं को प्रोत्साहित करने का आहवान, परंपरागत रूप से उनके रहने वाली जमीनों पर उनके कब्जे और अलग न किए जा सकने वाले अधिकारों की मान्यता, बिना प्रतिकूल भेदभाव के अपनी परंपरागत और दूसरी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने का अधिकार और अपने भविष्य के विकास का निर्णय खुद करने के अधिकार की पुष्टि की गई है। प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, संधि अधिकार, स्वायत्तता, आत्मनिर्णय जैसे मुद्दों पर अभी निर्णय लिया जाना है। पर साधारणतया, यह उम्मीद की जाती है कि 1992 में आदिवासी लोगों के अधिकारों पर विश्वव्यापी घोषणा को राष्ट्र संघ साधारण सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। चूंकि कई देशों ने अपने आदिवासी लोगों को जातीय अल्पसंख्यक की तरह मान्यता तक नहीं दी है, अतः प्रस्तावित विश्वव्यापी घोषणा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आदिवासी प्रश्न इस मायने में अलग है कि राजनैतिक और सैनिक ताकत के जरिए उनके हितों के विरुद्ध उन्हें राज्य संरचना में शामिल करने और विदेशी जातियों की स्थापना के पहले वे आदिवासी अपना स्वतंत्र जीवन जी रहे थे। इसीलिए वे आत्मनिर्णय और आत्मविकास का अधिकार मांगते हैं।

कुछ देशों में वे असमान संधि के शिकार हैं और यहां तक कि अंततः उनका भी उल्लंघन किया जाता है। उनके रहवासों ने लगातार बढ़ रहे पूंजीवादी आक्रमणों का सामना किया है, उनके संसाधन आधार तेजी से खत्म हुए हैं और उनकी भाषाओं संस्कृतियों, धर्मों, राजनीतिक संस्थाओं आदि का तीव्र हनन हुआ है। उनके संघर्ष साधारणतया विलीनीकरण की प्रक्रिया को रोकने और भाषा, शिक्षा व संस्कृति पर अधिकार हासिल करने की दिशा में ही नहीं हैं, जैसा कि अल्पसंख्यकों के मामले में है, बल्कि सभी संसाधनों सहित अपने परंपरागत पैतृक राज्यों के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति के लिए भी हैं, जो सामूहिकता के रूप में उनके अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। अतः आदिवासी लोगों के लिए एक समग्र घोषणा की जरूरत है।

यहां यह कहना पर्याप्त होगा कि राष्ट्र संघ अभी तक व्यक्तिगत मानव अधिकारों की पर्याप्तता और सदस्य राष्ट्रों के अधिकारों के जाल में उलझा है, जिसमें एक ओर तो राष्ट्र निर्माण और आधुनिकता की प्रक्रिया में जमीनी संसाधनों को अलग करने और अपने में मिलाने के अधिकार, और दूसरी ओर सदस्य राष्ट्रों के अंदर सामूहिक अधिकारों को मान्यता देने की बढ़ती मांग और सांस्कृतिक विविधता को मानव प्रजाति की विरासत की तरह बरकरार रखना और बढ़ाना शामिल है। आदिवासीय समूह के अधिकारों की बढ़ती मान्यता की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं। अतः आदिवासी अधिकारों पर प्रस्तावित विश्वव्यापी घोषणा न केवल संबंधित लोगों के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी संस्कृति, सामाजिक प्रतिबद्धता, पर्यावरणीय प्रबंध और चिकित्सा से अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।

□

संयुक्त राष्ट्र संघ साधारण सभा

61वां सत्र, कार्यसूची में विषय संख्या 68

13 सितम्बर 2007 को महासभा द्वारा लिया गया संकल्प

(मुख्य समिति के सदंर्भ के बिना A/61/L. 67 and Add.1)

61/295 : आदिवासियों अर्थात् मूल निवासियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा

साधारण सभा,

मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव 1/2 दिनांक 29 जून, 2006[1] में शामिल सिफारिश जिसके द्वारा परिषद ने आदिवासियों के अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र घोषणा को पारित किया था, को ध्यान में रखते हुए,

इसके 20 दिसम्बर, 2006 के प्रस्ताव 61/178 को याद करते हुए जिसके द्वारा परिषद ने इस विषय पर विचार और कार्यवाही को टालने का निर्णय लिया था ताकि इस बारे में और विचार-विमर्श का समय मिल सके और यह भी फैसला किया था कि अपना विचार-विनिमय महासभा के 61वें अधिवेशन के समापन से पहले पूरा कर लेगी,

वर्तमान संकल्प के संलग्नक में दिए गए आदिवासियों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र की घोषणा को स्वीकार करती है।

107वां पूर्ण अधिवेशन
13 सितम्बर, 2007

---

1. देखें महासभा के 61वें अधिवेशन के आधिकारिक रिकॉर्ड सप्लीमेंट संख्या 53 A/61/53 part one, chapter II, Section A

संलग्नक

आदिवासियों, अर्थात् मूल निवासियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा

महासभा,

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, और राज्यों द्वारा चार्टर के अनुसार आनेवाले दायित्वों की पूर्ति में पूरी निष्ठा रखकर,

यह पुष्टि करते हुए कि आदिवासियों भी अन्य सभी लोगों के समकक्ष है, हालांकि यह भी स्वीकार किया जाता है कि सभी लोगों के अधिकार भिन्न होते हैं, उन्हें अलग ही माना जाए और उसी भाव से उनको उचित सम्मान प्रदान किया जाए,

यह भी पुष्टि करते हुए कि सभी लोग सभ्यताओं एवं संस्कृतियों की विविधता तथा समृद्धता में योगदान करते हैं, ये ही मानवता की सभी धरोहर बनाने में सहयोग करते हैं,

यह भी पुष्टि करते हुए कि देश, नस्ल, धर्म, जाति या संस्कृति के आधार पर लोगों या किन्हीं व्यक्तियों के प्रति भेदभाव के सभी सिद्धांत, नीतियां और रीतियां नस्लवादी, विज्ञान की दृष्टि से झूठी, कानूनी दृष्टि से अवैध, नैतिक रूप से निन्दनीय और सामाजिक दृष्टि से अन्यायपूर्ण हैं,

पुनः पुष्टि करते हुए कि आदिवासियों, अपने अधिकारों का प्रयोग करने में, किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त रहने चाहिए,

यह चिंताजनक है कि आदिवासी लोग उपनिवेशवाद की स्थापना तथा अपनी जमीनों, क्षेत्र एवं संसाधनों से वंचित कर दिये जाने के कारण एक लम्बे अर्से से अन्याय झेलते आ रहे हैं, इसी के परिणामस्वरूप वे अपनी जरूरतों और रुचियों के अनुरूप विकास करने के अपने अधिकार से भी वंचित रह जाते हैं,

आदिवासियों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वरूप तथा उनकी, संस्कृतियों, इतिहास, आध्यात्मिक परम्पराओं और सिद्धांतों से, विशेषकर देशों, क्षेत्रों और संसाधनों पर उनके अधिकारों से आदिवासियों को प्राप्त होने वाले वंशानुगत अधिकारों को मान्यता एवं प्रोत्साहन देने की तुरंत आवश्यकता को स्वीकार करते हुए,

यह भी स्वीकार करते हुए कि देशों के साथ हुई संधियों, समझौतों और अन्य रचनात्मक व्यवस्थाओं में स्वीकृत आदिवासियों के अधिकारों को सम्मान एवं प्रोत्साहन देने की तुरंत आवश्यकता है ।

इस तथ्य का स्वागत करते हुए कि आदिवासियों राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए तथा कहीं भी किसी भी तरह के भेदभाव और

दमन को समाप्त करने के हेतु स्वयं ही एकजुट होते और प्रयास करते हैं,

मान लिया है कि आदिवासियों को और उनके देशों, क्षेत्रों तथा संसाधनों को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर इन आदिवासियों का ही नियंत्रण होने से वे लोग अपनी संस्थाओं, संस्कृतियों और परम्पराओं को बरकरार रखने और उन्हें सशक्त बनाने तथा उनकी आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप ही अपने विकास को बढ़ावा दे सकेंगे,

स्वीकार करते हुए कि आदिवासियों की जानकारी, संस्कृतियों और परंपरागत रीतियों को मान्यता देने से स्थायी एवं समानता आधारित विकास हो सकेगा और परिवेश का समुचित प्रबंधन भी होगा,

आदिवासियों के देशों और क्षेत्रों को सैन्यीकरण से मुक्त रखने से विश्व के देशों और लोगों के बीच शांति, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति, आपसी समझ और मैत्री संबंधों के विकास में योगदान मिलने पर जोर देते हुए,

आदिवासी परिवारों और समुदाओं पर अपने बच्चों का पालनपोषण, प्रशिक्षण, शिक्षा और कल्याण बच्चों के अधिकारों के अनुरूप करने का संयुक्त दायित्व स्वीकार करते हुए,

यह ध्यान में रखते हुए कि राज्यों और आदिवासी लोगों के बीच संधियों, समझौते और अन्य रचनात्मक व्यवस्थाएं कुछ हालात में, अंतर्राष्ट्रीय सोच, रुचि, दायित्व एवं चरित्र हो सकती हैं,

यह भी ध्यान में रखते हुए कि संधियां, समझौते और अन्य रचनात्मक व्यवस्थाएं और वे संबंध जिनका ये प्रतिनिधित्व करती हैं, आदिवासियों और राज्यों के बीच सशक्त भागीदारी का आधार हैं,

यह स्वीकार करते हुए कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों[1] के बारे में अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वियना प्रतिज्ञापत्र और नागरिक एवं घोषणा और कार्यवाही कार्यक्रम[2] सभी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकारों के मूल महत्व की पुष्टि करते हैं जिसके अंतर्गत वे स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक स्थिति तय करते हैं और अपने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाते हैं,

इस घोषणा के किसी भी अंश को आधार बना कर किन्हीं भी लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि उस अधिकार से अंतअंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन न होता हो,

इस बात से सहमत हैं कि घोषणा में दिये आदिवासी लोगों के अधिकारों को

---

1. देखें प्रस्ताव 2300 ए (XXI) अनुलग्नक 1. ए/सीओएनएफ 187/24 (भाग II), अध्याय III
2. ए/कानफ्रेंस 157/24 (भाग I), अध्याय III

मान्यता देने से राज्य और आदिवासी लोगों के बीच सदभावपूर्ण एवं सहयोग के संबंध मजबूत होंगे, जो न्याय, लोकतंत्र, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान, भेदभावरहित और परस्पर विश्वास पर आधारित होंगे,

राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप आदिवासियों के प्रति वे अपने सभी दायित्वों का, विशेषकर मानवाधिकारों से संबद्ध दायित्वों का, संबद्ध लोगों के परामर्श एवं सहयोग से पालन करेंगे और उन्हें लागू करेंगे,

इस बात पर जोर देते हुए कि आदिवासियों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र ने महत्वपूर्ण एवं निरंतर भूमिका निभायी है,

यह विश्वास करते हुए कि यह घोषणा आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता, बढ़ावा और संरक्षण देने की दिशा में तथा इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की संबद्ध गतिविधियों के विकास में एक और महत्वपूर्ण कदम है,

इस बात को मानते और इसकी पुनः पुष्टि करते हुए कि आदिवासियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी मानवाधिकारों का बिना किसी भेदभाव के पूरा अधिकार है, और आदिवासियों को ऐसे सामूहिक अधिकार भी प्राप्त हैं जो उनके अस्तित्व, कल्याण एवं समन्वित विकास के लिए अपरिहार्य हैं,

यह मानते हुए कि विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न देशों में आदिवासियों की स्थिति भिन्न है और यह कि राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विशेषताओं तथा विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए,

विधिवत घोषणा की जाती है कि आदिवासियों के अधिकारों के बारे में नीचे दी जा रही संयुक्त राष्ट्र घोषणा एक मानक उपलब्धि के रूप में सहयोग (भागीदारी) और परस्पर सम्मान की भावना से लागू की जाएगी :

अनुच्छेद 1

आदिवासियों को, सामूहिक रूप से अथवा व्यक्तिगत तौर पर, उन सभी मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं का पूरी तरह उपभोग करने का अधिकार है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में स्वीकार किये गये हैं।

अनुच्छेद 2

आदिवासियों और व्यक्तियों, अन्य सभी लोगों एवं व्यक्तियों की भांति ही स्वतंत्र और बराबर हैं तथा उन्हें अपने अधिकारों, विशेषकर उनके आदिवासी होने के कारण मिले अधिकारों को इस्तेमाल करने में किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त रहने का अधिकार है।

अनुच्छेद 3

आदिवासियों को आत्मनिर्णय का अधिकार है। इस अधिकार से ही वे अपनी राजनीतिक स्थिति स्वतंत्र रूप से तय कर सकते हैं और अपने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के प्रयास कर सकते हैं।

अनुच्छेद 4

अपने आत्मनिर्णय के अधिकार का इस्तेमाल करने में आदिवासियों को अपने आंतरिक और स्थानीय मामलों में स्वायत्तता अथवा स्वायत्त सरकार स्थापित करने का तथा उनके स्वायत्त क्रियाकलाप के लिए वित्तीय साधन जुटाने का अधिकार भी होगा।

अनुच्छेद 5

आदिवासियों को अपनी विशिष्ट राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों को बनाये रखने और उन्हें सशक्त बनाने का अधिकार होगा और साथ ही, यदि वे चाहें तो, अपने राज्य के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में पूरी तरह भाग लेने का उनका अधिकार भी बरकरार रहेगा।

अनुच्छेद 6

प्रत्येक आदिवासी व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार प्राप्त रहेगा।

अनुच्छेद 7

1. आदिवासियों को व्यक्ति के जीवन, शारीरिक एवं मानसिक निष्ठा, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार होगा।

2. आदिवासियों को विशिष्ट लोगों की भांति स्वतंत्रता, शांति और सुरक्षा के साथ जीने का सामूहिक अधिकार होगा और उनके प्रति किसी भी तरह के नरसंहार या किसी अन्य प्रकार की हिंसक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी जिनमें किसी समूह के बच्चों को जबरन किसी अन्य समूह में शामिल कराना शामिल है।

अनुच्छेद 8

1. आदिवासियों और व्यक्तियों को अधिकार होगा कि उनकी संस्कृति का जबरन विलय अथवा नष्ट न किया जाए।

2. राज्य ऐसा प्रभावी तंत्र उपलब्ध कराएंगे जो निम्नलिखित की रोकथाम और निराकरण करेगा :

(क) ऐसा कोई कार्य जिसका उद्देश्य अथवा परिणाम उन्हें उनकी विशिष्ट पहचान या उनके सांस्कृतिक मूल्यों या जातीय पहचान से वंचित करना हो;

(ख) ऐसा कोई कार्य जिसका उद्देश्य अथवा परिणाम उन्हें उनके देश, क्षेत्रों या संसाधनों से वंचित (बेदखल) करना हो;

(ग) किसी भी प्रकार का जबरन आबादी स्थानान्तरण जिसका उद्देश्य अथवा प्रभाव उनके किसी भी अधिकार का अतिक्रमण या उल्लंघन करना हो;

(घ) किसी भी प्रकार का जबरन विलय या समन्वय;

(ङ) उनके विरुद्ध नस्ल आधारित अथवा जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने या उकसाने के इरादे से किसी भी तरह का दुष्प्रचार।

अनुच्छेद 9

आदिवासियों को अधिकार होगा कि संबद्ध समुदाय अथवा देश की परंपराओं और रीतियों के अनुसार किसी भी आदिवासी समुदाय या देश को अपना लें। इस अधिकार के प्रयोग से किसी भी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए।

अनुच्छेद 10

आदिवासियों को उनके देश या क्षेत्र से जबरन हटाया नहीं जाएगा। संबद्ध आदिवासियों की स्वतंत्र एवं लिखित पूर्वसहमति के बिना कोई पुनः आवंटन नहीं होगा और उसके बाद भी न्यायसंगत एवं उचित मुआवजा देने का, और हो सके तो उनके वापस लौट सकने के विकल्प का अनुबंध भी होना चाहिए।

अनुच्छेद 11

1. आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक परंपराएं और रीतिरिवाज अपनाने और उन्हें अधिक सशक्त बनाने का अधिकार है। इसमें उनका यह अधिकार भी शामिल होगा कि वे पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थलों, कला वस्तुओं, डिजाइनों, समारोहों, आयोजनों, प्रौद्योगिकियों और दृश्य एवं मंचन कलाओं तथा साहित्य सहित अपनी संस्कृति की सभी प्राचीन, वर्तमान और भावी अभिव्यक्तियों की देखभाल, संरक्षण एवं विकास कर सकें।

2. राज्य आदिवासियों के कानूनों, परंपराओं और रीतिरिवाजों का उल्लंघन करके अथवा उनकी स्वतंत्र, लिखित एवं पूर्व सहमति के बिना उनकी सांस्कृतिक, बौद्धिक धार्मिक और आध्यात्मिक संपदा के संबंध में उनकी किसी भी शिकायत को, उनके ही सहयोग से पुनः प्रतिष्ठित और विकसित करके, दूर करने के उद्देश्य से शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद 12

1. आदिवासी लोगों को अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं, रीतिरिवाजों और समारोहों को मनाने, विकसित करने और पढ़ाने-सिखाने का अधिकार होगा; अपने धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के रखरखाव, संरक्षण एवं पूरी गोपनीयता से वहां पहुंचाने, अपनी पूजा की चीजों को प्रयोग एवं नियंत्रित करने; तथा अपने नश्वर अवशेषों को अपने यहां प्रत्यावर्तित कराने का अधिकार होगा।

2. राज्य पूजा अर्चना से जुड़ी वस्तुओं और मानवीय अवशेषों तक पहुंच उपलब्ध कराने और/या उन्हें प्रत्यावर्तित कराने का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रभावी तंत्र संबद्ध आदिवासियों के सहयोग से विकसित करेंगे।

अनुच्छेद 13

1. आदिवासियों को अधिकार होगा कि वे अपने इतिहास, भाषाएं, मौखिक (अलिखित) सिद्धांत, लेखन प्रणालियां और साहित्य को फिर सशक्त बना सकें, प्रयोग कर सकें और अपनी भावी पीढ़ियों को सौंप सकें तथा समुदायों, स्थानों और व्यक्तियों के परंपरागत नाम रखे रहें।

2. राज्य प्रभावी उपाय करके सुनिश्चित करेंगे कि उनका यह अधिकार सुरक्षित रहे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राजनीतिक, कानूनी और प्रशासनिक गतिविधियों को आदिवासी लोग समझ सकें और उन्हें भी इन गतिविधियों से समझा जाए तथा जहां जरूरी हो वहां दुभाषियों की अथवा कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

अनुच्छेद 14

1. आदिवासियों को अधिकार है कि वे अपनी ही भाषा में तथा पढ़ने-पढ़ाने की अपनी सांस्कृतिक पद्धतियों के अनुरूप उपयुक्त तरीके से शिक्षा उपलब्ध कराने वाली शिक्षा प्रणालियों और संस्थान स्थापित करके उनका नियंत्रण भी अपने पास ही रखें।

2. आदिवासियों, विशेषकर बच्चों, को बिना किसी भेदभाव के राज्य के सभी स्तरों की और सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

3. राज्य, आदिवासियों के सहयोग से, सभी आदिवासियों, खासकर बच्चों के लिए, जिनमें अपने समुदायों से बाहर रहने वाले बच्चे भी शामिल हैं, यथासंभव प्रयास करेगा कि वे अपनी संस्कृति के अनुरूप और अपनी भाषा में दी जानेवाली शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

अनुच्छेद 15

1. आदिवासियों को अपनी संस्कृतियों, परंपराओं, इतिहासों और आकांक्षाओं

की गरिमा और विविधता बनाये रखने का अधिकार होगा जो उपयुक्त रूप से शिक्षा और सार्वजनिक जानकारी को प्रतिबिम्बित करेगा।

2. राज्य संबद्ध आदिवासियों के सहयोग एवं परामर्श से ऐसे प्रभावी उपाय करेंगे कि पूर्वाग्रह का सामना किया जा सके और भेदभाव समाप्त हो सके तथा आदिवासी लोगों और समाज के अन्य वर्गों के बीच संयम, आपसी समझ और सदभावूपर्ण संबंध विकसित हों।

अनुच्छेद 16

1. आदिवासियों को अधिकार है कि वे अपनी भाषा में अपने मीडिया (प्रचार माध्यम) स्थापित कर सकें और बिना किसी भेदभाव के हर किस्म के गैर-आदिवासी मीडिया में भी पहुंच प्राप्त कर सकें।

2. राज्य ऐसे प्रभावी उपाय करेंगे जिनसे सुनिश्चित हो सके कि सरकारी स्वामित्व वाले मीडिया में आदिवासी सांस्कृतिक विविधता को समुचित रूप से प्रतिबिम्बित किया जा सके। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के राज्यों को निजी स्वामित्व वाले मीडिया को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह आदिवासी सांस्कृतिक विविधता को समुचित रूप से प्रचारित करे।

अनुच्छेद 17

1. आदिवासियों व्यक्तियों और समुदायों को लागू अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू श्रम कानूनों के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों का पूरी तरह उपभोग करने का अधिकार होगा।

2. आदिवासियों के परामर्श और सहयोग से राज्य ऐसे विशिष्ट उपाय करेंगे कि आदिवासी बच्चों को आर्थिक शोषण, तथा ऐसा कोई भी काम करने से बचाया जा सके जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता हो या जिससे उनकी शिक्षा में बाधा पड़ती हो या जो उनके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक अथवा सामाजिक विकास में बाधक हो, तथा यह भी ध्यान रखा जाए कि वे किन पहलुओं से प्रभावित हो सकते हैं और उनके सशक्तिकरण के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है।

3. आदिवासियों को अधिकार होगा कि वे श्रम संबंधी किसी भेदभाव के शिकार न बनाये जा सकें, जिसमें रोजगार या वेतन आदि का भेदभाव शामिल है।

अनुच्छेद 18

आदिवासियों को अधिकार होगा कि उन मामलों में निर्णय प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी हो जिनसे उनके अधिकारों पर असर पड़ सकता है, इसके लिए उनके अपने तौर-तरीकों से उनके ही द्वारा चुने गये प्रतिनिधि निर्णय प्रक्रिया में शामिल किये जा सकते हैं और साथ ही वे अपनी स्वयं की आदिवासी निर्णय प्रक्रिया भी स्थापित कर सकते हैं।

अनुच्छेद 19

राज्य संबद्ध आदिवासियों से उनके ही प्रतिनिधि संस्थानों के जरिये पूरी ईमानदारी से परामर्श और सहयोग करेंगे ताकि उनको प्रभावित करने वाले विधायी अथवा प्रशासनिक उपाय लागू करने से पहले उनकी स्वतंत्र और लिखित पूर्व सहमति ली जा सके।

अनुच्छेद 20

1. आदिवासियों को अधिकार होगा कि वे अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियाँ स्थापित एवं विकसित कर सकें ताकि वे अपने जीवन-निर्वाह और विकास का अपने साधनों (तौर-तरीकों) से आनन्द उठाने में सुरक्षित रहें तथा अपनी सभी परंपराओं और अन्य आर्थिक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से शामिल हो सकें।

2. जो आदिवासी जीवन-निर्वाह और विकास के साधनों से वंचित हैं उन्हें न्यायसंगत एवं निष्पक्ष समाधान/मुआवजा पाने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 21

1. आदिवासियों को, बिना किसी भेदभाव के, अधिकार होगा कि अपनी आर्थिक एवं सामाजिक हालत सुधार सकें जिसमें शिक्षा का क्षेत्र, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण, आवास, साफ-सफाई, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा शामिल है।

2. राज्य उनकी आर्थिक सामाजिक हालत में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के वास्ते प्रभावी उपाय करेंगे और जहां जरूरी लगेगा विशेष उपाय करेंगे। आदिवासी वृद्धजनों, महिलाओं, युवाओं, बच्चों और विकलांगों के अधिकारों और खास जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

अनुच्छेद 22

1. इस घोषणा को कार्यान्वित करते समय आदिवासी वृद्धजनों, महिलाओं, युवाओं बच्चों और विकलांगों के अधिकारों और उनकी खास जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

2. आदिवासियों के सहयोग से राज्य यह सुनिश्चित करने के उपाय करेंगे कि आदिवासी महिलाएं और बच्चे किसी भी प्रकार की हिंसा और भेदभाव से पूरी तरह सुरक्षित एवं आश्वस्त रहें।

अनुच्छेद 23

आदिवासियों को अधिकार है कि वे विकास के अधिकार को इस्तेमाल करने की प्राथमिकताएं और नीतियां तय कर सकें। विशेषकर, आदिवासियों को, स्वयं को प्रभावित करने वाले, स्वास्थ्य, आवास और अन्य आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम निर्धारित

करने का अधिकार होगा और, जहां तक संभव हो, वे ऐसे कार्यक्रमों को अपनी ही संस्थाओं के माध्यम से लागू करेंगे।

अनुच्छेद 24

1. आदिवासियों को अपनी परंपरागत औषधियों तथा स्वास्थ्य पद्धतियां बनाये रखने का अधिकार होगा जिनमें उनके महत्वपूर्ण औषधीय पौधों, पशुओं और खनिजों का संरक्षण शामिल है। आदिवासी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के सभी सामाजिक एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का भी अधिकार है।

2. आदिवासी व्यक्तियों को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के सर्वोच्च प्राप्य स्तर का सुख लेने का अधिकार हैं। राज्य इस अधिकार का पूर्ण क्रियान्वयन बनाये रखने की दृष्टि से आवश्यक उपाय करेंगे।

अनुच्छेद 25

आदिवासियों को परंपरागत रूप से अधिकृत और प्रयोग की जा रही जमीनों, भुखण्डों, जलक्षेत्रों और तटीय सागरों तथा अन्य संसाधनों पर अपना विशिष्ट आध्यात्मिक संबंध बनाये रखने और उसे मजबूत करने का अधिकार है और साथ ही इस बारे में अपनी भावी पीढ़ियों के प्रति दायित्व निभाने का भी अधिकार है।

अनुच्छेद 26

1. आदिवासियों को उन जमीनों, राज्यक्षेत्रों और संसाधनों पर अधिकार होगा जो परंपरा से उनके स्वामित्व, कब्जे या अन्य प्रकार के इस्तेमाल अथवा नियंत्रण में रही हैं।

2. आदिवासियों को वे जमीनें, राज्यक्षेत्र और संसाधन स्वामित्व में लेने, इस्तेमाल करने, उन्हें विकसित करने अथवा नियंत्रण में रखने का अधिकार है जिन पर उनका परंपरागत स्वामित्व है या किसी परंपरगत कब्जे या इस्तेमाल से उनके पास हैं या जो किसी भी अन्य प्रकार से उनके नियंत्रण में है।

3. राज्य इन जमीनों, क्षेत्रों और संसाधनों के लिए कानूनी मान्यता एवं संरक्षण प्रदान करेंगे। इस प्रकार की मान्यता देते समय संबद्ध आदिवासी लोगों के रीतिरिवाजों, परंपराओं और जमीन की पट्टेदारी व्यवस्था का पूरा सम्मान किया जायेगा।

अनुच्छेद 27

राज्य संबद्ध आदिवासी लोगों की सहमति एवं सहयोग से एक निष्पक्ष, स्वतंत्र, न्यायसंगत, खुली और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करेंगे जिसमें आदिवासियों के कानूनों, परंपराओं, रीतिरिवाजों और भू-पट्टेदारी व्यवस्थाओं को समुचित मान्यता दी जायेगी तथा आदिवासियों की जमीनों, क्षेत्रों और संसाधनों पर उनके अधिकारों को मान्यता देकर

स्वीकार किया जायेगा जिनमें वे जमीनें, क्षेत्र और संसाधन भी शामिल हैं जिन पर परंपरा से ही आदिवासियों का अधिकार, कब्जा, इस्तेमाल या नियंत्रण रहा है। आदिवासियों को इस प्रक्रिया में शामिल होने का भी अधिकार है।

अनुच्छेद 28

1. आदिवासियों को अधिकार होगा कि अपनी शिकायत का समाधान कराने के लिए प्रत्यार्पण सहित विभिन्न उपाय अपनाएं और ऐसा संभव न हो तो जिन जमीनों, क्षेत्रें और संसाधनों पर उनका परंपरागत स्वामित्व या अन्य प्रकार का कब्जा अथवा इस्तेमाल/नियंत्रण हो और जिन्हें उनकी स्वतंत्र, लिखित और पूर्व सहमति के बिना जब्त कर लिया गया हो या कब्जे में ले लिया गया हो या नुकसान पहुंचाया गया हो उनका समुचित न्यायसंगत मुआवजा दिया जाये।

2. संबद्ध लोगों के साथ स्वतंत्र रूप से समझौता किये बिना मुआवजा जमीनों, क्षेत्रें और संसाधनों के रूप में ही समानता, आकार एवं गुणवत्ता पर आधारित होगा या धन के रूप में मुआवजा दिया जायेगा या फिर कोई अन्य उपयुक्त समाधान उपलब्ध कराया जायेगा।

अनुच्छेद 29

1. आदिवासियों को अधिकार होगा कि अपनी जमीनों, एवं संसाधनों के पर्यावरण एवं उत्पादक क्षमता का संरक्षण कर सकें। राज्य इस प्रकार के संरक्षण और बचाव के लिए बिना किसी भेदभाव के आदिवासियों के लिए सहायता कार्यक्रम बनाकर उन्हें लागू करेंगे।

2. राज्य यह सुनिश्चित करने के उपाय करेंगे कि आदिवासियों की जमीनों और क्षेत्रें में, उन लोगों की स्वतंत्र, लिखित एवं पूर्व सहमति के बिना, खतरनाक सामग्रियों का किसी भी प्रकार का भंडारण अथवा निपटान नहीं किया जायेगा।

3. राज्य, आवश्यक होने पर, यह सुनिश्चित करने के भी प्रभावी उपाय करेंगे कि ऐसी सामग्री से प्रभावित आदिवासियों द्वारा स्वास्थ्य की निगरानी, देखभाल और बहाली के कार्यक्रम उपयुक्त रूप से क्रियान्वित किये जाएं।

अनुच्छेद 30

1. आदिवासियों के देशों या क्षेत्रों में सैनिक गतिविधियां नहीं होगी जबतक कि व्यापक जनहित के कारण अथवा स्वतंत्र सहमति से आदिवासी स्वयं इस आशय का अनुरोध न करें।

2. आदिवासियों की जमीनों या क्षेत्रों का सैनिक गतिविधियों के वास्ते इस्तेमाल करने से पहले राज्य संबद्ध आदिवासियों के साथ मिलकर उपयुक्त प्रक्रिया के जरिये

व्यापक एवं प्रभावी विचारविमर्श करेंगे।

अनुच्छेद 31

1. आदिवासियों को अधिकार होगा कि वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर, परंपरागत ज्ञान और पारंपारिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, तथा अपने विज्ञान, प्रौद्योगिकियों तथा संस्कृतियों की अभिव्यक्ति को बरकरार, सुरक्षित एवं नियंत्रित रख सकें जिसमें मानवीय एवं वंशानुगत संसाधन, बीज, औषधियां, वनस्पतियों एवं जड़ी-बूटियों के गुण-दोषों के प्रयोग, मौखिक परंपराओं, साहित्य, शैलियां, खेलकूद और परंपरागत खेल-कौशल (शिकार) तथा दृश्य एवं मंचन कलाएं शामिल हैं। उन्हें यह भी अधिकार होगा कि ऐसी सांस्कृतिक धरोहर, पारम्परिक ज्ञान और परंपरागत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों पर अपनी बौद्धिक संपदा को बरकरार, नियंत्रण में, सुरक्षित रख सकें और इनका विकास कर सकें।

2. आदिवासियों की सहमति से राज्य इन अधिकारों को मान्यता देने और उनका सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित करने के प्रभावी उपाय करेंगे।

अनुच्छेद 32

1. आदिवासियों को अधिकार होगा कि वे अपनी जमीनों, क्षेत्रों तथा अन्य संसाधनों के विकास की प्राथमिकताएं एवं नीतियां तय कर सकें।

2. राज्य आदिवासियों के देशों, क्षेत्रों या अन्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली किसी भी परियोजना को स्वीकृत करने से पहले उनकी स्वतंत्र एवं सूचित सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके ही प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से आदिवासी लोगों के साथ परामर्श एवं सहयोग करेंगे।

3. राज्य ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए न्यायसंगत और निष्पक्ष क्षतिपूर्ति का प्रभावी तंत्र उपलब्ध कराएंगे, साथ ही, पर्यावरणीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से हो सकने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के भी प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद 33

1. आदिवासियों को अधिकार होगा कि वे अपने रीतिरिवाजों और परंपराओं के अनुरूप अपनी पहचान या सदस्यता निर्धारित कर सकें। इससे आदिवासियों के इन राज्यों की नागरिकता पाने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जहां वे रहते हैं।

2. आदिवासियों को अपने तौर-तरीकों के हिसाब से अपनी संस्थाओं की संरचना तय करने और उनकी सदस्यता चुनने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 34

आदिवासी लोगों को अधिकार है कि वे अपने संस्थागत ढांचों और उनके

विशिष्ट तौर-तरीकों, आध्यात्मिकता, परंपराओं, क्रियाकलाप, धार्मिक कृत्यों और, यदि हों तो, न्यायिक व्यवस्थाओं या रीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप प्रेरित, विकसित और सुरक्षित रखने के उपाय कर सकें।

अनुच्छेद 35

आदिवासियों को अधिकार है कि वे अपने समुदायों के प्रति सभी व्यक्तियों के दायित्व तय कर सकें।

अनुच्छेद 36

1. आदिवासियों और खासकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से विभाजित हुए आदिवासी लोगों को अपने यहां रहने वालों और सीमाओं के पार रहने वालों के साथ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों से संपर्क, संबंध और सहयोग बनाये रखने और आगे बढ़ाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 37

1. आदिवासियों को राज्यों या उनके उत्तराधिकारियों के साथ की गई संधियों, समझौतों और अन्य रचनात्मक व्यवस्थाओं को मान्यता दिलाने, उनका परिपालन कराने और उन्हें लागू कराने का अधिकार है।

2. घोषणा में शामिल किसी भी अंश को आदिवासियों के इन संधियों, समझौतों और अन्य रचनात्मक व्यवस्थाओं में निहित आधिकारों को हल्का करने या उनका महत्व कम करने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

अनुच्छेद 38

आदिवासियों के साथ परामर्श और सहयोग से इस घोषणा की उद्देश्य पूर्ति के लिए विधायी उपायों सहित राज्य सभी उपयुक्त प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद 39

आदिवासियों को अधिकार होगा कि वे इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों का इस्तेमाल कर सकने के उद्देश्य से राज्यों से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकें और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी ले सकें।

अनुच्छेद 40

आदिवासियों को अधिकार है कि राज्यों एवं अन्य पक्षों के साथ चल रहे टकरावों और विवादों का समाधान न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीकों से करने के वास्ते तुरंत निर्णय ले सकें और साथ ही, अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक अधिकारों के किसी भी

प्रकार के उल्लंघन का प्रभावी उपचार कर सकें। इस प्रकार के निर्णय में संबद्ध आदिवासी लोगों के रीति-रिवाजों, परंपराओं, नियमों एवं कानूनी प्रणालियों तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों पर समुचित ध्यान दिया जायेगा।

अनुच्छेद 41

संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंग और उसकी विशेषित एजेंसियां तथा अन्य अंतरसरकारी संगठन वित्तीय सहयोग और तकनीकी सहायता के द्वारा इस घोषणा के प्रावधानों को पूर्णतया क्रियान्वित कराने में योगदान देंगे। आदिवासी लोगों को प्रभावित करने वाले मामलों में उनका सहयोग सुनिश्चित करने के तौर-तरीके भी तय किये जाएंगे।

अनुच्छेद 42

संयुक्त राष्ट्र आदिवासियों के मुद्दों के बारे में स्थायी मंच सहित उसकी संस्थाएं, और राष्ट्र स्तर की एजेंसियों समेत विशेषित एजेंसियां और राज्य इस घोषणा के प्रावधानों को पूरा सम्मान देते हुए इनके पूर्ण क्रियान्वयन के लिए प्रयास करेंगे तथा इस घोषणा की प्रभाविकता आंकने के उपाय भी अपनाएंगे।

अनुच्छेद 43

इसमें शामिल अधिकार दुनिया भर के आदिवासियों के अस्तित्व मान सम्मान और कल्याण का न्यूनतम स्तर हैं।

अनुच्छेद 44

इसमें शामिल सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सभी पुरुष और महिला आदिवासियों के लिए पक्की गारंटी रहेगी।

अनुच्छेद 45

इस घोषणा के किसी भी अंश या प्रावधान को आदिवासियों के मौजूदा या भावी अधिकारों को कम या समाप्त करने का आधार न माना जाए।

अनुच्छेद 46

1. इस घोषणा में शामिल किसी अंश या प्रावधान का अर्थ यह कदापि न लगाया जाए कि किसी भी राज्य, लोगों, समूह या व्यक्ति को ऐसा कोई अधिकार मिल जाएगा कि वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के विरुद्ध कोई कार्य कर सके अथवा ऐसे किसी भी कार्य को मान्यता या प्रोत्साहन मिल जायेगा जिससे सार्वभौम एवं स्वतंत्र राज्यों की राज्यक्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक एकता पर पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से प्रतिकूल

प्रभाव पड़ेगा।

2. प्रस्तुत घोषणा में दिये अधिकारों को इस्तेमाल करते वक्त सभी के मानवाधिकारों और मूल अधिकारों का सम्मान किया जायेगा। इस घोषणा में निहित अधिकारों को इस्तेमाल करते समय केवल कानून द्वारा निर्धारित और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के अनुरूप सीमाएं ही लागू होंगी। इस तरह की सीमा लगाने में कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा और इसका एकमात्र उद्देश्य अन्य सभी के अधिकारों और स्वतंत्रता की मान्यता और प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक समाज की न्यायसंगत एवं अनिवार्य मांगों को पूरा करना है।

3. इस घोषणा में शामिल प्रावधानों का अर्थ लगाते समय न्याय, लोकतंत्र, मानवाधिकारों के सम्मान, समानता, भेदभावरहित व्यवस्था, कुशल प्रशासन एवं पूर्ण निष्ठा के सिद्धांतों को ही आधार माना जाएगा।

□

नोट :

1. संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा ने 65वें सत्र में आदिवासी संबंधी एक प्रस्ताव 21 दिसंबर 2010 को पारित किया जिसे ऑनलाइन यहां देखा जा सकता है :

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/198

2. पुनः संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा ने 66वें सत्र में 19 दिसंबर 2011 को आदिवासी संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया जिसे ऑनलाइन यहां देखा जा सकता है :

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/142

संयुक्त राष्ट्र में भारत

भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है.

भारत 7 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है - 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-2012.

भारत ने 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया, इसके शिष्टमंडल का नेतृत्व सर सीपी रामास्वामी मुदलियार ने किया.

भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संबंधी अभियानों में योगदान करने वाला सबसे बड़ा देश है.

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना से संबंधित 64 अभियानों में से 43 अभियानों में 1,60,000 से अधिक सैनिकों का योगदान किया है.

संयुक्त राष्ट्र के नीले झंडे के नीचे लड़ते हुए भारतीय सशस्त्र एवं पुलिस बल के 160 से अधिक कार्मिकों ने अपने जीवन की आहुति दी है.

संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना के लिए चल रहे 14 मिशनों में से 7 मिशनों में भारतीय सशस्त्र बल भाग ले रहा है.

भारत ने उपनिवेशी देशों एवं लोगों को आजादी प्रदान करने पर 1960 की महत्वपूर्ण घोषणा को सह प्रायोजित किया.

इस घोषणा के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए गठित विशेष समिति की सी.एस. झा ने अध्यक्षता की.

भारत ऐसे देशों में से पहला देश था जिन्होंने 1946 में संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के मुद्दे को उठाया.

भारत 1965 में अपनाए गए सभी रूपों के नस्लीय भेदभावों के उन्मूलन पर अभिसमय पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले देशों में से एक था.

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार के मुद्दे को आगे बढ़ाया है.

यह परमाणु हथियारों से लैस एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन की मांग की है.

1996 में 20 अन्य देशों के साथ भारत ने परमाणु हथियारों के चरणबद्ध उन्मूलन के लिए कार्य योजना प्रस्तुत किया (1996 - 2020).

भारत ने विकासशील देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र के ओ डी ए अनुमानों का सुनिश्चय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी.

भारत ने ब्राजील, जापान और जर्मनी के साथ मिलकर 2005 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों की मांग करने के लिए जी-4 का गठन किया.

1996 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक प्रारूप व्यापक अभिसमय (सी सी आई टी) प्रस्तुत किया.

भारत ने 2005 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि का गठन किया तथा इसमें योगदान करने वाले प्रमुख देशों में से एक है.

परिशिष्ट-1

गुवाहाटी में आयोजित आइसीआईटीपी के सम्मेलन में रामदयाल मुंडा

परिशिष्ट-2

आरएसएस के विरोध के बाद राज्य का शिक्षा विभाग नहीं मनाएगा आदिवासी दिवस

दैनिक भास्कर, उदयपुर (राजस्थान) 9 अगस्त 2017

परिशिष्ट-3

झारखण्ड सरकार का विज्ञापन : 9 अगस्त 2017

परिशिष्ट-4

छत्तीसगढ़ सरकार का विज्ञापन : 9 अगस्त 2017

अश्विनी कुमार पंकज

1964 में जन्म. डॉ. एम. एस. 'अवधेश' और स्मृति-शेष कमला के सात संतानों में से एक. कला स्नातकोत्तर. 1991 से जीवन-सृजन के मोर्चे पर वंदना टेटे की सहभागिता. अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों - रंगकर्म, कविता-कहानी, आलोचना, पत्रकारिता, डाक्यूमेंट्री, प्रिंट और वेब में रचनात्मक उपस्थिति. झारखण्ड व राजस्थान के आदिवासी जीवनदर्शन, समाज, भाषा-संस्कृति, और इतिहास पर विशेष कार्य. उलगुलान संगीत नाट्य दल, राँची के संस्थापक संगठक सदस्य. 1987 में 'विदेशिया', 1995 में 'हाका', 2006 में 'जोहार सहिया' और 2007 में 'जोहार दिसुम खबर' का प्रकाशन-संपादन. फिलहाल रंगमंच एवं प्रदर्श्यकारी कलाओं की त्रैमासिक पत्रिका 'रंगवार्ता' का संपादन- प्रकाशन.

'पेनाल्टी कॉर्नर', 'इसी सदी के असुर', 'सालो' और 'अथ दुड़गम असुर हत्या कथा' (कहानी संग्रह), 'जो मिट्टी की नमी जानते हैं' और 'खामोशी का अर्थ पराजय नहीं होता' (कविता संग्रह), 'युद्ध और प्रेम' और 'भाषा कर रही है दावा' (लंबी कविता), 'अब हामर हक बनेला' (हिंदी कविताओं का नागपुरी अनुवाद), 'छाँइह में रउद' (दुष्यंत की गजलों का नागपुरी अनुवाद), 'एक अराष्ट्रीय वक्तव्य' (विचार), नागपुरी साहित कर इतिहास' (भाषा-साहित्य), 'रंग बिदेसिया' (भिखारी ठाकुर पर, सं.), 'उपनिवेशवाद और आदिवासी संघर्ष' (सं.), 'आदिवासी और विकास का भद्रलोक' (सं.), आदिवासी गिरमिटियों पर 'माटी माटी अरकाटी' उपन्यास, जयपाल सिंह मुंडा की जीवनी 'मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा', जयपाल के अंग्रेजी लेखों का संकलन 'आदिवासिडम', 'झारखंड-झनकार' (सं.) और 'प्राथमिक आदिवासी विमर्श' (सं.) अब तक प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें.

प्यारा केरकेट्टा फाउण्डेशन
चेशायर होम रोड, बरियातु, राँची-834009 झारखण्ड
www.kharia.in | www.akhra.org.in | pkfranchi@gmail.com

ISBN : 978-93-81056-71-4